संशोधित प्रति
28.7.2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001–2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001–2002)

जनपद - सहारनपुर

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11488
Date 09-07-2002.

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–7
2.	शैक्षिक परिदृश्य	8–16
3.	नियोजन प्रक्रिया	17–32
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	33–40
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	41–47
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	48–53
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	54–74
8.	ठहराव में वृद्धि	75–114
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	115–160
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	161–184
11.	परियोजना लागत	185-198
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	199-208
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

अध्याय - 1

जिले की पृष्ठभूमि

1.1 परिचयः-

सहारनपुर को शाहहारून चिश्ती नामक मुस्लिम संत ने वसाया था। कालान्तर में यही सहारनपुर के नाम से जाना जाता है।

1.2 भौगोलिक परिदृष्यः-

जनपद के उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों पर देहरादून, दक्षिण में जिला मुजफ्फरनगर, पूरव में हरिद्वार, पश्चिम में जिला करनाल और यमुनानगर स्थित है, इसके उत्तर में उत्तरांचल राज्य प्रारम्भ हो जाता है। उत्तर की ओर शिवालिक श्रेणियाँ आच्छादित है। यह जिला उत्तर प्रदेश का सीमान्त जिला है। इसका विस्तार पूरव से पश्चिम तक 60 कि0मी0 तथा उत्तर से दक्षिण तक 70 कि0मी0 है। कुल क्षेत्रफल 3860 वर्ग कि0मी0 है। यह नगर गंगा एंव यमुना नदी के दोआव में वसा हुआ है। जनपद के भोगोलिक वर्गीकरण से विदित होता है कि इसमें काफी भिन्नताऐं है। साढोली कदीम एंव मुजफ्फरावाद विकास खण्ड भाभड़ क्षेत्र से आच्छादित है। साढोली कदीम का 80 प्रतिशत भूभाग तथा मुज़फ़्फ़रावाद का 50 प्रतिशत भूभाग उवड़-खावड़ एंव नदी नालों से आच्छादित है। यहाँ पर वरसात में वाढ़ का भय वना रहता है और गर्मी में पीने का पानी उपलब्ध नही हो पाता है। सरसावा, नकुड़ एंव गंगोह विकास खण्ड का पश्चिमी भाग यमुना के खादर क्षेत्र में आता है जहाँ प्रतिवर्ष वरसात में वाढ़ आती रहती है।

उवड़-खावड़ एंव नदी नालों वाले भूभाग में सड़कों की सुविधा अपेक्षाकृत कम है। इन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार अपेक्षाकृत कम है।

1.3 आर्थिक परिदृष्यः-

इसके पश्चिम में यमुना से पूर्वी यमुना नहर तथा पूरब में गंग नहर से सिंचित क्षेत्र बड़े उपजाऊ है जिसके कारण जनपद कृषि प्रधान है। यहाँ गेंहू, चावल, गन्ना, उड़द, चना एंव तिलहन की प्रमुख फसलें होती है। देहट क्षेत्र में दशहरी एंव कलमी आम, यहाँ का बालम खीरा और लोकाट फल प्रसिद्ध है। गन्ने की प्रचुरता के फलस्वरूप 6 चीनी की मिलें व खांडसारी कुटीर उद्योग है। यहाँ पर प्रसिद्ध आई0टी0सी0 (इन्डियन टुबेकों कम्पनी) एंव एशिया प्रसिद्ध स्टार पेपर मिल स्थापित है। यहाँ की गयी लकड़ी पर नक्काशी विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखती है।यहाँ का यह कार्य जगप्रसिद्ध है। यहाँ से लकडी की नक्काशी की बनी वस्तुओं का देश-विदेशों में निर्यात किया जाता है।

यहाँ से उत्तर की ओर मंसूरी, देहरादून, चकराता, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि धार्मिक/ पर्यटक स्थलों की ओर जाने का मार्ग प्रारम्भ होता है। कुम्भ नगरी हरिद्वार यहाँ से लगा हुआ है। यहाँ शाकुम्भरी देवी, मेला गुघाल एंव बाला सुन्दरी के प्रसिद्ध मेले लगते है। कम्पनी गार्डन, बाबा लाल दास का बाड़ा, भूतेश्वर मन्दिर, नौगजापीर आदि भी दर्शनीय स्थल है। जिले के फैज़ाबाद क्षेत्र में शाहजहाँ के महलों के खण्डहर, देववंद में मुगलों के थाने की पुरानी इमारत, मराठों का किला (जहाँ आजकल जेल बनी हुई है) ऐतिहासिक महत्व के है। इस प्रकार यहाँ पर्यटन की भी सम्भांनाऐं विद्यमान है। यहाँ देववंद के दारूल उलूम विश्वविधालय में देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते है। एशिया प्रसिद्ध डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र भी यहाँ है।

1.4 प्रशासनिक इकाइयांः-

जनपद के प्रशासनिक आधार पर 4 तहसीलों में बाटाँ गया है। विकास के आधार पर 11 विकास खण्डों में बाँटा गया है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र 5 नगर पालिका एंव 6 टाउन एरिया में बटाँ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 113 न्याय पंचायत, 1276 राजस्व ग्राम, 329 गैरआवाद ग्राम एंव 2 वन ग्राम हैं। जनपद की प्रशासनिक इकाइयों को सारणी रूप में दिखाया गया है-

सारणी 1.1

जिले की प्रशासनिक इकाइयॉं

क0स0	प्रशासनिक इकाइयां	संख्या
1	तहसील	4
2	विकास खण्ड	11
3	न्याय पंचायत	113
4	ग्राम सभायें	----
5	राजस्व ग्राम	781
6	बस्तियों की संख्या	1276 आवाद ग्राम, 329 गैरआबाद ग्राम, 2 वनग्राम
7	नगरीय क्षत्र	11
8	नगर निगम	-
9	नगर महापालिका	-
10	नगरपालिका	5
11	टाउन एरिया	6

स्रोत - सांख्यिकी पत्रिका 1998 के आधार पर

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 2848152 है। जिसमें 1525096 पुरूष 1323056 महिलाएं है। 0–6 वर्ष के बच्चों की संख्या 501713 है जो आबादी का 17.6 प्रतिशत है। जनपद की वृद्धिदर 2.1% है।

1.5 जनसंख्या:–

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जनपद सहारनपुर की कुल आबादी 23,09,029 है। इन में कुल 12,47,254 पुरूष तथा 10,61,775 महिलाएं थी, जो कि 2001 में कुल अनुमानित 28,48,475, जिसमें से 15,38,113 पुरूष तथा 13,10,362 महिला होने का अनुमान है। जो जनसंख्या का 23 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति में कुल जनसंख्या 6,39,000 है, कुल जनसंख्या का 37 प्रतिशत अल्पसंख्यक है। वर्ष 2001 की

जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 2848152 है, जिसमें से पुरूष 1525096 तथा महिलाओं की संख्या 1323056 है। जनपद में 0–6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या 501713 है। जनपद सहारनपुर में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के सापेक्ष 898 महिला है। जनपद में जनसंख्या का घनत्व 689 प्रति वर्ग किमी. है। इसे सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 1.2

जनपद की जनसंख्या

	1991 के अनुसार		2001 के आधार पर
	पुरुष	1247254	
	महिला	1061775	
	योग	2309029	
2001 में अनुमानित	पुरुष	1538135	1525096
	महिला	1310362	1323056
	योग	2848475	2848152
वृद्धि दर		2.20	2.10
लिंग अनुपात	1000 पुरुषों पर 951 महिलायें		898
जनसंख्या घनत्व	738 प्रति वर्ग किमी.		689
अनुसूचित जाति	पुरुष	347350	
	महिला	291697	
	योग	639000	
अनुसूचित जनजाति		285	
अल्प संख्यक वर्ग	जनसंख्या में कुल 37 प्रतिशत		
नगरीय जनसंख्या		26 प्रतिशत	
ग्रामीण जनसंख्या		74 प्रतिशत	

सांख्यकी पत्रिका जनपद सहारनपुर वर्ष 1998 के आधार पर

1.6 विकास खण्डवार जनसंख्या:-

सहारनपुर जनपद में 11 विकास खण्ड़ है और जनसंख्या के मामलें में इनमें काफी विशेषताऐं है। जहॉ एक ओर विकास खण्ड़ नानौता की जनसंख्या 1,14,217 है वही पर विकास खण्ड मुजफफराबाद की जनसंख्या 2,00,386 है। विकास खण्डवार जनसंख्या तथा अनुसूचित जाति की संख्या के आकड़ें सारणी (1.3) में दिये गये हैं।

सारणी 1.3

2001 की अनुमानित जनसंख्या पर विकास खण्डवार अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या के सापेक्ष प्रतिशत

क0	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल में %
1.	सा0कदीम	136581	31980	21
2.	मुजफफराबाद	244471	55248	23
3.	पुवारंका	219911	70109	32
4.	बलियाखडी	222726	81277	37
5.	सरसावा	197235	53114	27
6.	नकुड	181476	43286	24
7.	गंगोह	214342	29970	14
8.	रामपुर	144031	45627	32
9.	नागल	195508	60424	31
10.	नानौता	139344	41815	30
11.	देवबंद	181211	53687	30
12	वनग्राम	4165	527	13
	योग	2098101	567074	27

स्रोत :- सांख्यिकी पत्रिका जनपद सहारनपुर वर्ष 1998 के आधार पर

नोटः वर्ष 2001 की जनगणना की विकास खण्डवार एंव जातिवार सारणी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसलिये अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

सारणी (1.3) से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत विकास खण्ड, बलियाखडी में 37 प्रतिशत तथा तथा सबसे कम विकास खण्ड गंगोह में 14 प्रतिशत है साथ ही वनग्राम में 13 प्रतिशत है।

1.7 नगर क्षेत्र की जनसंख्याः-

तालिका (1.4) से स्पष्ट है कि नगर क्षत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत टी0 ए0 चिलकाना में 31 प्रतिशत तथा सबसे कम न0 पा0 देवबंद में 5 प्रतिशत है।

सारणी 1.4

नगर क्षत्रवार जनसंख्या (प्रक्षपित 2001)

क0	नगरक्षत्र	कुल जनसंख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या (अनुमानित)	अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल में %
1.	न0पा0देवबंद	80774	3679	5
2.	न0पा0गंगोह	50262	4009	8
3.	न0पा0नकुड	18522	2395	13
4.	न0पा0बेहट	17774	2261	13
5.	न0पा0सरसावा	15108	2579	17
6.	टी0ए0चिलकाना	15438	4656	31
7.	टी0ए0नानौता	15851	1054	7
8.	टी0ए0अम्बेहटा	12562	11525	13
9.	टी0ए0रामपुर	25844	7688	30
10.	टी0ए0तीतरों	9815	1843	19
11.	टी0ए0सहारनपुर	488433	44648	10
	योग	750374	46491	7

स्रोत :- सांख्यिकी पत्रिका जनपद सहारनपुर वर्ष 1998 के आधार पर

1.8 विकास खण्ड़वार एंव नगर क्षेत्रवार जनसंख्याः-

विकास खण्ड़वार एंव नगरक्षत्र वार प्रक्षपित जनसंख्या सारणी (1.5) में दर्शाया गया है।

सारणी 1.5

विकास खण्डवार व नगर क्षेत्रवार 1991 की जनगणना के आधार पर व 2001 के लिये अनुमानित जनसंख्या की तालिका

क्र0सं0	विकास क्षेत्र	जनगणना 1991						जनगणना 2001					
		कुल जनसंख्या			अनु0जाति की जनसंख्या			कुल जनसंख्या			अनु0जाति की जनसंख्या		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1	सढ़ौली कद	68214	57754	125968	14278	11722	26000	83221	70460	153681	17562	14418	31980
2	मुजफ्फराबाद	107537	92849	200386	24442	20475	44917	131195	113276	244471	30064	25184	55248
3	पुवारका	97228	83027	180255	30797	26202	56999	118618	101293	219911	37881	32228	70109
4	बलियाखेड़ी	98723	83856	182579	35918	30161	66079	120422	102304	222726	44179	37098	81277
5	सरसावा	87480	74188	161668	23463	19719	43182	106726	90509	197235	28859	24255	53114
6	नकुड़	80787	67964	148751	19212	15980	35192	98560	82916	181476	23631	19655	43286
7	गंगोह	95621	80069	175690	13260	11106	24366	116658	97684	214342	16310	13660	29970
8	रामपुर	64460	53598	118058	20324	16771	37095	78641	65390	144031	24999	20628	45627
9	नागल	87619	72634	160253	26842	22283	49125	106895	88613	195508	33016	27408	60424
10	नानौता	61447	52770	114217	18410	15586	33996	74965	64379	139344	22644	19171	41815
11	देवबन्द	80691	67843	148534	23727	19921	43648	98443	82768	181211	29184	24503	53687
	वन विभाग	1801	1217	3018	241	188	429	2680	1485	4165	296	231	527
	योग	931608	787769	1719377	250914	210114	461028	1137024	961077	2098101	308625	258439	567064
	नगरीय क्षेत्र												
1	न0पा0 देवबन्द	36828	29380	66208	1609	1382	2991	44930	35844	80774	1979	1700	3679
2	न0पा0 गंगोह	22204	18994	41198	1753	1506	3259	27089	23173	50262	2156	1853	4009
3	न0पा0 नकुड़	11290	9894	21184	2409	2069	4478	13774	12070	25844	2963	2545	7688
4	न0पा0 बेहट	8186	6996	15182	1047	900	1947	9987	8535	18522	1288	1107	2395
5	न0पा0 सरसा	7674	6895	14569	989	849	1838	9362	8412	17774	1216	1045	2261
6	टा0ए0 चिलक	6748	5899	12647	1037	890	1927	8233	7196	15429	1275	1095	4656
7	टा0ए0 नानौ	6983	6010	12993	462	395	857	8519	7332	15851	568	486	1054
8	टा0ए0 अम्बे	5489	4808	10297	667	573	1240	6697	5865	12562	820	705	1525
9	टा0ए0 रामपु	6767	5617	12384	1177	1011	2188	8256	6852	15108	1448	1243	2579
10	टा0ए0 तीतरो	4267	3776	8045	806	692	1498	5206	4609	9815	991	852	1843
11	टा0ए0 सहार	199210	175735	374945	19529	16770	36299	259036	229397	488433	24021	20627	44648
	योग	315646	274006	589652	31485	27037	58522	401089	349285	750374	38725	33758	46491
	कुल नगरीय क्षे योग	315646	274006	589652	31485	27037	58522	401089	349285	750374	38725	33258	71983
	कुल ग्राम क्षे योग	931608	787769	1719377	250914	210114	461028	1137024	961077	2098101	308625	258439	567064
	जनपद का यो	1247254	1061775	2309029	282399	237151	519550	1538113	1310362	2848475	347350	291697	639047

स्रोत : जनगणना पुस्तिका 1991 के आंकड़ों के आधार पर

अध्याय - 2

शैक्षिक परिदृष्य

2.1 प्रस्तावना:-

आर्थिक दृष्टि से विकसित होने के बावजूद महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम होने के कारण वर्ष 1993 में 'उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना' द्वारा चयनित किया गया था। परियोजना वर्ष 1993 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2000 में पूर्ण हो चुकी है। उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत 260 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 120 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, पुर्ननिर्माण के अर्न्तगत 124 प्राथमिक विद्यालय, 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 851 एक अतिरिक्त, 50 दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 782 शोचालय, 466 पेयजल सुविधा हेतु इन्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प तथा दशमवित्त आयोग के अर्न्तगत 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया। इन संसाधनों से जनपद में प्राथमिक शिक्षा के भौतिक संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत 100 ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का सुदृढिकरण किया गया। अनौपचारिक शिक्षा के लिये 3 विकास क्षेत्रों में शिक्षा घर संचालित किये गये। परियोजना के अर्न्तगत बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से दो विकास क्षेत्रों में मार्गदर्शी कार्यक्रम के रूप में कार्यानुभव योजना तैसार की गयी। राज्य की साक्षरता दर जनपद की साक्षरता दर के सापेक्ष ही है । जनपद में महिला साक्षरता विशेषकर ग्रामीण महिला साक्षरता वहुत ही कम है। कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण महिला साक्षरता दर शोचनीय है। यहॉ पर कुल आबादी का 37 प्रतिशत अल्प संख्यक वर्ग से आच्छादित है जिसमें आज भी पर्दाप्रथा प्रचलित है और इस वर्ग में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार भी अपेक्षाकृत कम है। जनपद की साक्षरता दर अगले पृष्ठ पर दर्शायी गयी है।

जनपद की साक्षरता दर

क0स0	साक्षरता	राज्य की साक्षरता दर (1991)	जनपद की साक्षरता दर (1991)	जन0 2001 के अनुसार
1	कुल साक्षरता	41.60	42.10	57.36
2	ग्रामीण साक्षरता	36.66	36.00	
3	नगरीय साक्षरता	61.03	59.50	
4	कुल पुरूष साक्षरता	55.73	53.80	70.23
5	कुल महिला साक्षरता	25.31	28.10	42.98
6	ग्रामीण पुरूष साक्षरता	52.05	49.30	
7	ग्रामीण महिला साक्षरता	19.02	19.90	
8	नगरीय पुरूष साक्षरता	69.68	66.80	
9	नगरीय महिला साक्षरता	50.38	50.90	

स्रोतः- जनपद की 1991 की जनगणना के आधार पर।

जनपद की 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 57.36 है एंव पुरूष साक्षरता दर 70.23 एंव महिला साक्षरता दर 42.28 हो गयी है। विगत दशक में जनपद की साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

2.1.1 जनपद की विकास क्षेत्र एंव नगर क्षेत्रवार साक्षरता दरः-

जनपद की ग्रामीण क्षेत्र में विकास क्षेत्र नानौता की कुल साक्षरता दर 43.90 प्रतिशत सर्वाधिक है जिसमें पुरूष साक्षरता 58.80 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 26.40 प्रतिशत है। जबकि जनपद में न्यूनतम साक्षरता दर का विकास क्षेत्र साढाली कदीम है।जिसकी कुल साक्षरता दर 22.1 है। जिसमें पुरूष साक्षरता दर 30.80 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 11.50 प्रतिशत है। जनपद की विकास खण्डवार एंव नगर क्षेत्रवार साक्षरता वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्नवत हैः-

सारणी 2.1

विकास खण्डवार एंव नगर क्षेत्रवार साक्षरता

क0स0	विकास क्षेत्र	पुरूष	महिला	योग
1	साढाली कर्दीम-	30.8	11 5	22.1
2	मुजफफराबाद	50.6	20.4	36.8
3	पुंवारका	48.3	17.9	34.4
4	बलियाखडी	52.4	19.3	37.3
5	सरसावा	45.2	19.1	33.4
6	नकुड	53.9	22.4	39.7
7	गंगोह	44.8	16.2	31.8
8	रामपुर	57.0	22.8	41.6
9	नागल	51.1	20.6	37.4
10	नानौता	58.8	26.4	43.9
11	देवबंद	51.5	24.0	39.1
12	नगरक्षत्र सहारनपुर	66.8	50.9	59.5
	योग	49.3	19.90	36.8

स्रोत : जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका 1998

नोटः- जनगणना 2001 की विकास खण्डवार एंव नगरक्षेत्र वार कुल साक्षरता दर एंव पुरूष/महिला साक्षरता दर उपलब्य नही है। इसलिये वर्ष 1991 के आकडें प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

विकास खण्डों की साक्षरता दर विशेषकर महिला साक्षरता दर में अत्यधिक विषमता देखी जा सकती साढाली कर्दीम पिछड़ा क्षत्र हैं। इसकी जिलें में न्यनतम महिला साक्षरता दर है। इसी प्रकार गंगोह में महिला साक्षरता दर 16.2 है। इसका मुख्य कारण अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षत्र का होना है।

2.2. शैक्षिक संस्थायें:-

जनपद में विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालकों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी, अर्द्धसरकारी, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाऐं संचालित है। इन शिक्षण सस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, विशेष आवश्यक्ताओं वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। 2001 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 1505 व्यक्ति पर एक प्राथमिक विद्यालय तथा 1831 की जनसंख्या पर 1 प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के 5056 व्यक्तियों पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा नगर क्षेत्र में 2671 व्यक्ति पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। जनपद की शिक्षण संस्थाओं का सक्षिप्त विवरण सारणी (2.2) में प्रर्दशित है-

2.3 परीषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाऐं:-

जनपद में 1221 परीषदीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एंव किराये के भवन होने के कारण 65 विद्यालय भवनहीन है। द्विपाली व किराये के भवनों में चलने वाली प्राथमिक विद्यालयों को मलिन बस्तियों में पुर्नस्थापित किया जायेगा । विद्यालय भवन निर्माण के लिये भूमि की व्यवस्था हेतु जिला नगरीय विकास अभिकरण (DUDA) तथा सहारनपुर विकास अभिकरण (SDA) से सम्पर्क कर भूमि की व्यवस्था की जायेगी। जनपद के कुल परीषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 16 एक कक्षीय, 281 दो कक्षीय, 520 तीन कक्षीय , 196 चार कक्षीय, 116 पॉच कक्षीय तथा 32 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पॉच कक्षा कक्षों से अधिक कक्षो की सुविधा उपलब्ध है। शौचालय एंव हैण्डपम्पों की सुविधा क्रमशः 92 एंव 96 प्रतिशत विद्यालयों में 'उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना' द्वारा करायी गयी है। कक्षावार विद्यालयों का विवरण सारणी 2.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 2-2

जिले की शैक्षिक संस्थाऐं

क्र0सं0	शैक्षिक संस्थाओं के प्रकार	परीषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्राथमिक विद्यालय	1119	102	1221	275	308	583	1394	410	1804
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्रा0 अनुभाग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	230	11	241	110	118	228	340	129	469
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उ0प्रा0 अनुभाग	4	5	9	75	73	148	79	78	157
5	केन्द्रीय विद्यालय	0	1	1	0	0	0	0	1	1
6	नवोदय विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हाई स्कूल	3	3	6	36	34	70	39	37	76
8	इन्टरमीडिएट	1	2	3	35	34	69	36	36	72
9	डिग्री कालेज	0	1	1	2	0	2	2	1	3
10	स्नातोकोत्तर महाविद्यालय	0	0	0	0	5	5	0	5	5
11	विश्व विद्यालय	0	0	0	0	1	1	0	1	1
12	तकनीकी संस्थान 1. आई0टी0आई0	0	2	2	1	2	3	3	2	5
	2. पोलीटेक्निक	1	0	1	0	1	1	1	1	2
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाऐं	0	0	0	0	13	13	0	13	13
14	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	946	95	1041	0	0	0	946	95	1041
15	मकतब/मदरसे	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	संस्कृत पाठशालायें	1	1	2	0	0	0	1	1	2
17	मूक बधिर विद्यालय	0	2	2	0	0	0	0	2	2
18	बाल श्रमिक	10	30	40	0	0	0	10	30	40
19	खण्ड संसाधन केन्द्र	3	8	11	0	0	0	3	8	11
20	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	113	0	113	0	0	0	113	0	113
21	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1	0	1	0	0	0	1	0	1

2.4 परीषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाऐं:-

11 से 14 वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये जनपद में 241 विद्यालय ग्रामीण एंव नगर क्षेत्र में संचालित हैं। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एंव किराये के भवन होने के कारण 2 विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन नही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में दों तथा नगर क्षेत्र में 1 विद्यालय जर्जर अवस्था में हैं। जिनका पुर्ननिर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्षीय विद्यालय कोई नही है। 3 दो कक्षीय विद्यालय , 35 तीन कक्षीय विद्यालय , 126 चार कक्षीय, 55 पॉच कक्षीय तथा 16 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पॉच कक्षा कक्षों से अधिक कक्षो की सुविधा उपलब्ध है। शौचालय एंव हैण्डपम्पों की सुविधा क्रमशः 97 एंव 95 प्रतिशत विद्यालयों में 'उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना' एंव दशम वित्त आयोग द्वारा करायी गयी है। विस्तृत विवरण सारणी (2.4) में दर्शाया गया है।

2.5 विधालयों में उपलब्ध पेयजल एंव शौचालय की उपलब्धता:-

सारणी 2.3 में प्राथमिक विद्यालयों तथा सारणी 2.4 में उच्च प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध पेयजल एंव शौचालयों का विवरण दिया गया है।

2.6 बेसिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार:-

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षा में गुणात्मक सुधार को दृष्टिगत रखते हुये शैक्षिक प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण व सहयोग हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर **खण्ड संसाधन केन्द्र**, न्याय पंचायत स्तर पर **न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र** तथा जिला स्तर पर **जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान** संचालित हैं। शिक्षा सम्बन्धी समस्याऐं एंव उनके निराकरण के लिये विद्यालय---एन0पी0आर0सी0---बी0आर0सी0---डायट में समन्वयन स्थापित किया गया है ।इसके

अर्न्तगत प्रत्येक स्तर पर निरीक्षण, पर्यवेक्षण, कार्यशालाऐं, गोष्ठी, बैठकें व अभिनव प्रयासों का आदान-प्रदान करने के लिये पूर्ण रूप से संस्थागत क्षमता सन्वर्धन व भौतिक रूप से सुदृढ़ किया गया है ।

जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान(डायट)	-	1
खण्ड संसाधन केन्द्र(बी0आर0सी0)	-	11
न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0)	-	113

2.7 शिक्षको की उपलब्धता:-

परीषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 6-11 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के उददे्श्य से प्रत्येक विद्यालय पर एक प्रधानाध्यापक व तीन सहायक अध्यापक अनुमन्य हैं। परन्तु जनपद में 1221 विद्यालयों के सापेक्ष शिक्षको के 4429 पद सृजित है । इस प्रकार जनपद में 455 अध्यापको की कमी है । जनपद में 30 सितम्बर 2000 के अनुसार परीषदीय विद्यालयों का नामांकप 2,24,431 था जिसके सापेक्ष 3,166 अध्यापक कार्यरत थे इस आधार पर जनपद में अध्यापक छात्र का अनुपात 1:71 है। इस अनुपात में सुधार लाने हेतु प्राथमिकता पर नर्वान, एकल तथा पी0टी0आर0 के आधार पर जनपद में 242 शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की गयी। परन्तु इस व्यवस्था के उपरान्त भी मानक अनुरूप अतिरिक्त शिक्षा मित्रों के पदों की स्वीकृति अति आवश्यक है। उपरोक्त विवरण को सारणी 2.5 में प्रर्दशित किया गया है।

सारणी - 2.3

परीषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाऐं 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार

		कुल विद्यालय		भवन की स्थिति		कक्षा कक्षों की स्थिति						शौचालय		हैण्डपम्प		मरम्मत		चाहरदीवारी	
क्र0स0	विकास क्षेत्र	संख्या	भवनयुक्त	भवनहीन	जर्जर	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांच कक्षीय	पांच से अधिक कक्षीय	युक्त	विहीन	युक्त	विहीन	लघु	वृहत	युक्त	विहीन
1	साठौली कदीम	79	79	0	6	0	36	17	11	8	5	77		61	16	7	-	46	31
2	मुजफ्फराबाद	131	130	1	3	0	45	48	25	8	5	131		131		-	-	10	121
3	पुवारका	111	111	0	0	0	47	31	17	13	3	111		110	1	-	-	34	77
4	बलियाखेडी	97	97	0	0	1	51	30	8	5	2	86	11	96	1	7	2	60	37
5	सरसावा	106	106	0	1	1	21	45	24	14	1	99	7	100	6	10	2	26	80
6	नकुड	102	102	0	2	0	10	57	19	15	1	102		99	3	-	2	51	51
7	गंगोह	121	121	0	1	0	1	120	0	0	0	118	3	116	5	-		3	118
8	रामपुर मनिहारान	85	85	0	2	1	27	28	20	7	2	83	2	85		4	3	42	43
9	नागल	100	100	0		10	32	43	12	2	1	98	2	100	4	5	-	22	78
10	नानौता	81	80	1	6	3	2	38	22	12	4	80	1	77	2	4	11	31	50
11	देवबंद	87	87	0	4	0	2	38	22	20	5	77	10	85		-		38	49
	योग	1100	1100	2	25	16	274	495	180	104	29	1062	36	1060	38	37	20	363	735
	नगरक्षेत्र																		
1	देवबंद	14	7	7			2	6	1	4	1	5	9	10	3			13	1
2	गंगोह	6	2	4			2		1	1		2	4	2	4			2	4
3	रामपुर मनिहारान	4	4					1	1	2		4		4		1			4
4	नकुड	3	3		1			3				3		3				3	
5	बेहट	2	2					1			1	2		2				2	
6	चिलकाना	3	2	1					1	1		2		2				2	
7	नानौता	2	2								1	2		2				1	1
8	अम्बेहटा	2	2					2				2		2				2	
9	सरसावा	2	1	1						1		1		1				1	
10	तीतरो	2	1	1					1			1		1					2
11	सहारनपुर	80	29	51	3		3	12	11	3		22	43	24	42	7	5	16	51
	योग	120	55	65	4	0	7	25	16	12	3	46	56	53	49	8	5	42	63

* स्रोत:-विभागीय आंकडो के अनुसार

सारणी - 2.4

परीषदीय उच्च प्राथमिक विघालयों में सुविधाऐं 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार

		कुल विघालय	भवन की स्थिति		कक्षा कक्षों की स्थिति							शौचालय		हैण्डपम्प		मरम्मत		चाहरदीवारी	
क्र०सं०	विकास क्षेत्र	संख्या	भवनयुक्त	भवनहीन	जर्जर	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय	चार कक्षीय	पांच कक्षीय	पांच से अधिक कक्षीय	युक्त	विहीन	युक्त	विहीन	लघु	वृहत	युक्त	विहीन
	..ठौली कदीम	13	13	0	0	0	0	9	3	1	0	13	0	7	6	0	1	5	8
1	..जफफराबाद	27	27	0	0	0	2	12	11	2	0	27	0	22	5	0	0	4	23
.	..धारका	21	21	0	0	0	2	11	6	2	0	21	0	18	3	0	0	6	15
3	..तियाखेडी	17	17	0	0	0	1	11	5	0	0	14	3	17	0	1	0	7	10
4	..रसावा	21	21	0	0	0	1	13	5	2	0	16	5	16	5	0	1	5	16
5	..डुड	24	24	0	0	0	0	18	4	1	1	24	0	23	1	0	0	13	11
6	..ाह	24	24	0	0	0	0	17	2	4	1	24	0	24	0	0	0	12	12
7	..नपुर मनिहारन	18	18	0	0	0	3	13	1	0	1	17	1	14	4	0	0	8	10
8	..ाल	22	22	0	0	0	1	10	7	2	2	22	0	22	0	1	0	6	16
9	..ौता	16	15	0	1	0	0	0	14	1	1	15	1	16	0	0	1	6	10
10	..वंद	20	19	0	1	0	2	13	4	1	0	20	0	20	0	1	0	11	9
11	..ग	223	221	0	2	0	12	127	62	16	6	213	10	199	24	3	3	83	140
								नगरक्षेत्र											
	..वंद	3	3	0	0		0	2	0	1	0	3	0	3	0	0	0	3	0
1	..ाह	1	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	..पुर मनिहारन	1	1	0	0		0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
3	..ुड	2	2	0	0		0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
4	..ट	1	1	0	0		0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
5	..कांना	1	0	1	0		1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
6	..ौता	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	..हटा	1	1	0	0		0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
8	..सावा	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	..तरो	1	1	0	0		0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
10	..रनपुर	8	8	0	1		0	3	4	1	0	8	0	8	0	2	1	5	3
11	..	19	17	2	1	0	1	8	5	3	1	17	1	17	1	2	1	13	5

स्रोत:-वि..ीय आंकडों के अनुसार।

सारणी 2.5

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति

	सृजित		कार्यरत		रिक्त		स्वीकृत शिक्षामित्रों
विद्यालय	प्र0अ	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0	प्र0	स0अ0	की संख्या
प0 प्रा0वि0 1.ग्रामीण	1102	2721	1053	1817	49	904	23
2.नगरीय	02	504	96	200	6	304	6

परीषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 11-14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के उददे्श्य से प्रत्येक विद्यालय पर एक प्रधानाध्यापक व चार सहायक अध्यापक अनुमन्य हैं। पांच अध्यापको में से ही विज्ञान/गणित एंव त्रिभाषा (संस्कृत, उर्दू एंव अंग्रेजी) अध्यापक संख्या सम्मिलित है। परन्तु जनपद में 241 विद्यालयों के सापेक्ष शिक्षको के 1016 पद सृजित है । इस प्रकार जनपद में 189 अध्यापको की कमी है ।उपरोक्त विवरण को सारणी 2.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.6

उच्च प्राथमिक विद्यालयों मेंअध्यापकों की स्थिति

	सृजित		कार्यरत		रिक्त	
विद्यालय	प्र0अ	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0	प्र0	स0अ0
परीषदीय उ0प्रा0वि0 1. ग्रामीण	161	778	73	729	88	49
2. नगरीय	11	66	7	61	4	5

2.7 प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धताः-

राज्य सरकार के मानक के अनुसार जनसंख्या 300 तथा 1.5 कि0मी0 की दूरी पर उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। मानक के अनुसार जनपद सहारनपुर में असेवित ग्रामों तथा बस्तियों की संख्या का विवरण सारणी 2.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.7

परीषदीय प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

ग्राम/बस्ती	1.0 कि0मी0 से कम की दूरी पर	1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर	1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	816	1	8
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	474	3	15

2.8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धताः-

राज्य सरकार के मानक के अनुसार जनसंख्या 800 तथा 3.0 कि0मी0 की दूरी पर उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विकास खण्डवार मानक के अनुसार असेवित ग्रामों तथा बस्तियों की संख्या का विवरण सारणी 2.8 में दर्शाया गया है।

सारणी-2.8
परीषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

ग्राम/बस्ती	3.0 कि0मी0 से कम की दूरी पर	3 कि0मी0 से अधिक दूरी पर	उ0प्रा0 तथा प्रा0 वि0 अनुपात 1: 2 करने हेतु आवश्यक उ0प्रा0वि0
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	756	83	233
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	125	12	-

1: 2 के आधार पर

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता

1.	कुल परीषदीय प्राथमिक विद्यालय	1221
2.	कुल प्रस्तावित परीषदीय प्राथमिक विद्यालय	23
3	याग (क्रम संख्या 1 एंव 2)	1244
4.	(कुल परी0प्रा0वि0 एंव कुल प्र0प्रा0वि0)/2	622
5.	कुल परीषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	241
6.	आवश्यकता (क्रम संख्या 4 ---5)	381
7.	11 वें वित्त आयोग में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या	16
8.	वांछित उच्च प्राथमिक विद्यालय (क्र0स0 '6' -- क्र0स0 '7')	365

नोटः- विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में लक्ष्य निर्धारित हैं।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स

जनपद–सहारनपुर

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य कर रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व बी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1998-99	1999-2000	2000-01
कक्षा 1	87529	90011	82821
कक्षा 2	63647	64158	66215
कक्षा 3	47040	53570	53374
कक्षा 4	36459	40542	45080
कक्षा 5	30456	32677	35881
योग	265131	280958	283371
जी0ई0आर0			
कुल	85.27	92.71	94.16
बालिका	80.68	88.61	91.61
एन0ई0आर0			
कुल	78.64	87.57	87.37
बालिका	74.61	83.92	85.16

जनपद के नामांकन में औसतन 3.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालकों के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	961	1221	27.1
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	3543	4429	25.01

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 3.86 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 3.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल	बालिका
1998	32.34	19.64	16.40	8.64	61.2	58.3
1999	25.09	15.78	12.65	8.08	50.1	48.1
2000	15.55	8.78	8.97	4.30	34.7	29.4

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार उल्लेखनीय कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 61.2 प्रतिशत से घटकर 34.7 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालिकाओं की ड्राप आउट दर में तीव्रता से कमी आयी है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	3.59	8.05
1999	1.03	6.92
2000	3.69	6.27

रिपीटीशन दर मात्र 3.69 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.27 वर्ष ही लग रहे है अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 — **1 : 58**

एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 — **12.87**

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) — **1 : 46**

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:58 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:46 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–सहारनपुर

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	11711	8775	8592	29078	-
1999-2000	15932	12559	9573	38064	30.90
2000-2001	19115	16635	11217	46967	23.38

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	20598	11711	-
1999-2000	22288	15932	77.1%
2000-2001	27143	17088	76.6%

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण लगभग 24% बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	121	241	99.17%
उच्च प्राथमिक अध्यापक	635	1016	60%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात.

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्या उच्च प्रा विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	1119	230	101	331	3.38 : 1
नगर क्षेत्र	102	11	47	58	1.76 : 1
योग	**1221**	**241**	**148**	**389**	**3.14 : 1**

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:3.4 है।

सहारनपुर

अध्याय - 3

नियोजन प्रक्रिया

3.1 सर्व शिक्षा अभियानः-

सर्व शिक्षा अभियान सर्व व्यापी प्रारभिक शिक्षा का पहला समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा पोषित होगा । सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001-2002 से 2010-2011 तक की दीर्घकालीन योजना है। जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार की साझेदारी है। एक सुनिश्चित समयबद्ध तरीके से शिक्षा के प्रति समाज को जागरूक करने एंव विधालय के प्रति स्व की भावना का विकास करने तथा योजना का विकेन्द्रीकरण इस अभियान का लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा का एकीकृत कार्यक्रम है, जिसमें शिक्षा की प्रगति के लिये किये गये अब तक के सभी प्रयासों को एक जुट करते हुये बस्ती स्तर की शिक्षा योजना तैयार करके उन्हे विकास खण्ड स्तर पर एकीकृत किया जायेगा तथा विकास खण्डों की योजनाओं को एकीकृत करके जिला स्तर की योजना तैयार की गयी है। संस्थागत क्षमता का विकास कर गुणात्मक सुधार किया जायेगा। शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाया जायेगा। योजना बनाने में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु बस्ती को योजना निर्माण की ईकाई माना गया है। अभी तक जो भी योजना बनायी जाती रही है वे सभी जिले स्तर पर ही बनायी जाती रही है। वर्तमान में नवीन प्रवेश पर तो बल दिया जाता है परन्तु शालात्यागी बच्चों की ओर कोई ध्यान नही दिया जाता । क्षेत्र विशेष के लिये प्रासांगिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा । इस परियोजना में शिक्षाविद, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठन एंव भारत सरकार के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके परियोजना को पारदर्शी बनाया गया है।

3.2 परियोजना का स्वरूपः-

सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप की विस्तृत जानकारी एंव दीर्घकालीन प्लान की तैयारी हेतु निम्न तिथियों तथा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालायें आयोजित की गयी । जिसमें जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा डायट के कर्मियों की कोर टीम ने प्रशिक्षण प्राप्त किया गया लिखित है:

3.2.1 सीमेट,इलाहाबाद : दिनांक 30, जनवरी से 1 फरवरी 2001:-

सर्व शिक्षा अभियान की कार्यशाला में निदेशक प्राथमिक शिक्षा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय,भारत सरकार ने अभियान के सन्दर्भ में भारत सरकार के दिशा निर्देशों की विसतृत चर्चा की गयी। निदेशक, सभी के लिये परियोजना परिषद, उ0प्र0 ने प्लान की तैयारी हेतु आवश्यक आकडों के संकलन एंव नियोजन के सन्दर्भ में विस्तार से बताया। कार्ययोजना के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने अपने-अपने विषयों की जानकारी प्रतिभागियों को दी।

12-14 फ़रवरी तथा 26-28 फरवरी, 2001 :-

राष्ट्रीय जन सहयोग एंव बाल विकास संस्थान, लखनऊ में दिनांक में प्रोस्पेक्टिव प्लान की तैयारी हेतु कार्यशाला दिनांक 12-14 फरवरी तथा 26-28 फरवरी, 2001 तक आयोजित की गयी जिनमें राज्य परियोजना निदेशक, अपर राज्य परियोजना निदेशक एंव अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा जनपदों के प्रोस्पेक्टिव प्लान को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

3.2.2 जिला स्तर एंव नीचे के स्तरों पर कार्यशालयें एंव एफ0जी0डी0 :-

जिलाधिकारी, सहारनपुर की अध्यक्षता में जनपद के शिक्षा विभाग एंव परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में दीर्घकालीन योजना तैयार करने हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया तथा विकास खण्ड,न्याय पंचायत एंव ग्राम/बस्ती स्तर पर विभिन्न तिथियों में सर्व शिक्षा अभियान के सन्दर्भ में फोकस ग्रुप डिस्कशन के आयोजन हेतु विभिन्न अधिकारियों के बीच कार्य का आंवटन किया गया और योजना तैयार करने की मैथोडोलोजी तय की गयी।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यक्ताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचना एकत्रित की गई

- ग्राम मे 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये

1. परिवार सर्वेक्षण
2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
3. सूचनाओं का विश्लेषण
4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक– युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या
2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या
4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गाव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकडे एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारदार/ बस्तीवार आंकडों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आकलित की गयी। इन बच्चो में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता –पिता की सहायता करते है अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी हैं, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केंन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ो/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजैक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

3.4 स्कूल चलों अभियानः-

शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों में नवीन प्रवेश तथा विद्यालय बीच में छोडने वाले 6-14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के उददेश्य से जौलाई 2000 में स्कूल चलों अभियान चरणवद्ध रूप में चलाया गया।

प्रथम चरण के प्रथम सप्ताह (1 से 9 जोलाई 2000 तक) में वातावरण सृजन हेतु ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर एंव जनपद स्तर प्रभात फेरी, रैली, गोष्टियों का आयोजन किया गया। दिनांक 7 जौलाई 2000 को जनपद स्तर पर छात्रों की रैली निकाली गयी। रैली से पूर्व जिले के प्रभारी मंत्री (माननीय दुग्ध विकास मंत्री, उ0प्र0 सरकार) के द्वारा सम्बोधित किया गया। रैली में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय एंव माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के द्वारा प्रतिभग किया गया।

द्वितीय चरण (10 से 15 जौलाई 2000) में विद्यालय न जाने वाले व शिक्षा अपूर्ण छोडने वाले छात्रों को चिन्हीत कर सूची बनायी गयी।

तृतीय चरण(16 से 31 जौलाई 2000) में चिन्हीत लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत नामांकन हेतु सार्थक प्रयास किये गये। ततपश्चात दिनांक 16 से 18 अगस्त 2000 में विशेष चरण की अवधि में शत-प्रतिशत नामांकन हेतु शेष बच्चों को प्रवेश दिलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने में ग्राम

शिक्षा समितियों का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार जनसहभागिता का जो वातावरण सृजित हुआ उसका उपयोग सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन में किया गया है।

अवशेष बच्चों के नामांकन हेतु विशेष प्रयास –

इस प्रकार 6–11 वय वर्ग में अभी कुल 25461 बच्चे तथा 11–14 वय वर्ग के 21840 बच्चे स्कूल न जाने वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। जिनके लिये सम्भवतः वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। उपरोक्त विवरण सारणी में स्पष्ट किया गया है।

	बालगणना में कुल चिन्हांकित बच्चों की संख्या		अभियान के अन्तर्गत प पढ़ने वाले चिन्हांकित बच्चे	
	6–11 वयवर्ग	11–14 वयवर्ग	6–11 वयवर्ग	11–14 वयवर्ग
बालक	227845	102805	7021	10321
बालिका	196506	81089	18870	11519
योग	**424351**	**183894**	25891	**21840**

3.4 फोकस ग्रुप डिस्कशन –

सर्व शिक्षा अभियान का प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बस्ती, ग्राम न्याय पंचायत, विकास एवं जिला स्तर पर विभिन्न जन प्रतिनिधियों, विभिन्न वर्गों की महिलाओं तथा साधन विहीन व्यक्ति तथा ऐसे समुदायों के प्रतिनिधियों अथवा क्षेत्रों में एफ.जी.डी. सम्पन्न करायें गये। जो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़े हैं और जिनके कारण शिक्षा के सार्वजनीकरण में बाधायें आ रही हैं। इन एफ.जी.डी. में एन.जी. ओ. को भी सम्मिलित किया गया। विभिन्न एफ.जी.डी का विवरण अग्रलिखित है।

3.5 सोशल एसेसमेंट स्टडी –

स्कूल से बाहर बच्चों तथा ऐसे वर्गों की समस्यायें जानने के उद्देश्य से जो अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। जनपद अलीगढ़ में सोशल एसेसमेंट स्टडी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा की गयी। अलीगढ़ तथा सहारनपुर के सामाजिक परिवेश में बहुत अधिक भिन्नता नही है सन्दर्भित अध्ययन के अधिकांश निष्कर्ष इस जिले के लिए भी लागू होंगें। उक्त अध्ययन द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट समस्याओं और उनके समाधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

1. विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा–कक्षों का न होना, अध्यापकों की अनुपस्थिति तथा शिक्षण सामग्री के अभाव के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और बच्चों के ठहराव में बाधा आती है।
2. विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायतों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
3. सर्वशिक्षा अभियान में शिक्षा के लिए किये जा रहे सभी प्रयासों को समेकित करके प्रभावी कदम उठाये जाये।

उपरोक्त सभी सुझावों को सर्वशिक्षा अभियान में अपनायी गयी रणनीति तथा कार्यक्रम तैयार करते समय समावेश कर लिया गया है।

नियोजन प्रक्रिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्र0	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एंव संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1	ग्राम स्तर	3-2-01	पूर्वमा0वि0टिकरौल,नानौता	अधिकारी-3	1. विद्यालय बस्ति से दूर स्वच्छ वातावरण मे हो।
				गणमान्य व्यक्ति- 4	2. अध्यापक कर्तव्यनिष्ठ,प्रतिभावान हो।
				ग्राम प्रधान - 1	3. बच्चे वेश मे विद्यालय आये।
				अभिभावक(महिला) - 3	4. उ0प्रा0वि0 मे महिला शिक्षिका की व्यवस्था हो।
				अध्यापक - 2	5. प्रागण मे फूलो के पौधे, वृक्षारोपण हो।
2	ग्राम स्तर	5-2-01	पूर्वमा0वि0 चौरा, नानौता	अधिकारी-2	1. बच्चो के लिये व्यायाम शिक्षा एव खेल सामग्री की व्यवस्था हो।
				गणमान्य व्यक्ति- 4	2. निःशुल्क वर्दी की बच्चो के लिये व्यवस्था हो।
				ग्राम प्रधान - 1	3. चाहरदीवारी की व्यवस्था हो।
				अभिभावक-5(3-पु0,2-म)	
				अध्यापक - 3	
3	ग्राम स्तर	6-2-01	पंचायतघर,दगकडी,पुवांरका	अधिकारी-1	1. अध्यापक द्वारा अन्य सरकारी कार्य करने से शिक्षण
				गणमान्य व्यक्ति- 1	कार्य ठीक नही होता।
				जनप्रतिनिधि - 3	2. आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बच्चो से कार्य
				अभिभावक -6	कराना पडता है।
				ग्राम प्रधान - 1	3. माता-पिता मे बालिकाओ के लिये असुरक्षा की भावना।
4	नगरक्षेत्र	7-2-01	न0पा0 परिषद,देवबंद	अधिकारी-2	1. शिक्षा की गुणवत्ता मे कमी।
				गणमान्य व्यक्ति- 2	2. विद्यालय भवनो मे बिजली की व्यवस्था हो।
				जनप्रतिनिधि - 3	3. अनुपस्थित छात्रो को उपस्थित कराने हेतु प्रयास किये जाये।
				अभिभावक-14(अल्पसं0-5)	4. महिलाओ मे पर्दा प्रथा है, अपनी बात ठीक से नही करती।
				अध्यक्ष न0पा0परि0 - 1	
5	नगरक्षेत्र	9-2-01	पूर्वमा0वि0 अलीपुरा, सरसावा	अधिकारी-3	1. समय विभाग चक्र बनाया जाये।
			प्रा0वि0 चडरसाली, सरसावा	गणमान्य व्यक्ति- 8	2. अध्यापक विद्यालय मे ठहरे।
			प्रा0वि0 कुतुबपुर	जनप्रतिनिधि - 2	3. भवन की मरम्मत की जाये।
				अभिभावक -9	4. छात्रवृति के आधार पर प्रवेश दिया जाये।
				सदस्य ग्राम0शि0समिति-16	5. अभिभावक से सम्पर्क लगातार किया जाये।
					6. प्रत्येक कक्षा के लिये कक्ष तथा अध्यापक की व्यवस्था हो।

क्र० सं०	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	दिनांक	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
6	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा०वि० मुढी, देवबद	ग्राम प्रधान - 2	1. छात्रों को प्रतिदिन गृह कार्य दिया जावे, जिसे
			प्रा०वि०साहजनपुर्द,देवबद	प्रधानाध्यापक - 2	प्रतिदिन चैक करें।
				अभिभावक -6	2. पोषाहार समय से वितरित हो।
7	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा० वि० रामपुर	ग्राम प्रधान - 1	1. अध्यापकों का छात्रों के प्रति व्यवहार अच्छा हो।
				सदस्य ग्राम पंचायत-3	2. शिक्षण स्तर में सुधार की आवश्यकता है।
				अभिभावक -2(महिला)	3. बालक, बालिकाओं में भेद-भाव रखा जाता है।
				अध्यापक-3	4. बालिकाओं को पढ़ने से रोका जाता है।
				अधिकारी- 1	
8	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा०वि० शालापुरी, पुवारका	ग्राम प्रधान - 7	1. बच्चे समय से स्कूल आवें।
			प्रा०वि० मदनपुरा, पुवारका	गणमान्य व्यक्ति- 19	2. विज्ञान की सामग्री हो।
			प्रा०वि० लखोली, पुवारका	अभिभावक -28	3. बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जावे।
			पूर्व मा० वि०पाली, पुवारका	अध्यापक-8	4. बच्चों की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।
			प्रा०वि० बटटनवाला पुवारका	अधिकारी- 2	5. पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जावे।
			प्रा०वि० घडकोली, पुवारका	ग्राम शि०स०सदस्य- 19	6. छात्र संख्या के आधार पर कक्षा कक्षों की व्यवस्था हो।
			प्रा०वि० जमालपुर, पुवारका	जनप्रतिनिधि - 3	7. विद्यालय परिसर के आस-पास खाद आदि न हो
			प्रा०वि० मशापुरशाहपुर, पुवारका		प्रदूषित हवा आदि उत्पन्न न हो।
					8. अभिभावक को शिक्षित होना चाहिये।
					9. अभिभावक सहयोग करें।
					10. बच्चों को नियमित उपस्थिति के लिये प्रतिदिन कुछ खाने को
					मिले, न कि पोषाहार।
					11. बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, जिससे बच्चे आदर्श नागरिक
					बन सकें।
					12. शिक्षा को रोजगार से जोड़ना चाहिये।
					13. भट्टे आदि पर कार्य करने के लिये चलते फिरते स्कूल खोले जायें।

क्र० सं०	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
9	ग्राम स्तर	9-2-01	पंचायत घर, खुडाना, नानौता	ग्राम प्रधान - 1	1. नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाये।
				अध्यापक-3	2. विषय अध्यापक की व्यवस्था हो।
				अधिकारी- 1	3. पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं मिलती,ऐसी पढ़ाई
				पं०सदस्य - 2	से क्या लाभ।
10	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा०वि० बीराखेड़ी, गंगोह	गणमान्य व्यक्ति- 3	1. नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाये।
				अध्यापक-3	2. विषय अध्यापक की व्यवस्था हो।
				अधिकारी- 1	3. बालक, बालिकाओं में भेद-भाव रखा जाता है।
				पं०सदस्य - 5	4. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रूढ़िवादिता है।
9	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा०वि० बुढनपुर, गंगोह।	गणमान्य व्यक्ति - 2	1. विद्यालय में बतायी गयी बातें बच्चे घर जाकर अपने
				अध्यापक-1	माँ-बाप को बतायें।
				अधिकारी- 1	2. विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि बच्चा घर रोकने
				अभिभावक -5	पर भी न रूके।
				पं०सदस्य - 5	3. महिलाओं का सामाजिक स्तर निम्न है।
10	ग्राम स्तर	9-2-01	पंचायत घर, खुडाना, नानौता	ग्राम प्रधान - 1	1. नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाये।
				अध्यापक-3	2. विषय अध्यापक की व्यवस्था हो।
				अधिकारी- 1	3. अन्य सामान्य विचार।
				पं०सदस्य - 2	
	ग्राम स्तर	9-2-01	पंचायत घर, खुडाना, नानौता	ग्राम प्रधान - 1	1. नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाये।
				अध्यापक-3	2. विषय अध्यापक की व्यवस्था हो।
				अधिकारी- 1	3. अन्य सामान्य विचार।
				पं०सदस्य - 2	
11	ग्राम स्तर	9-2-01	प्रा०वि० खारीबास, नकुड	ग्राम शि०स०सदस्य- 10	1. अध्यापक को विषय का ज्ञान हो व सही जानकारी दे।
			प्रा०वि० जैनपुर, नकुड़।	अध्यापक-1	2. अध्यापक पढ़ाई में समय लगायें न कि बातें करने में।
				अधिकारी- 2	
				जनप्रतिनिधि - 6	
				गणमान्य व्यक्ति -8	
12	ग्राम स्तर	10-2-1	प्रा०वि० जगरौली, रामपुर।	ग्राम प्रधान - 1	1. अन्य सामान्य विचार।

क्र0 सं0	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का प्रवर्गण एवं संख्या विवरण	चिन्हित/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
				अध्यापक-3 अधिकारी- 1	
				अभिभावक - 4	
13	ग्राम स्तर	10-2-01	प्रा0वि0 मनीहला, ब0खेड़ी	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	1. शिक्षण कार्य सहायक सामग्री से कराया जावे।
			प्रा0वि0 सुन्देहीखेडरहडा, ब0खेड़ी		
			प्रा0वि0 सबदलपुर, ब0खेड़ी		
14	ग्राम स्तर	10-2-1	प्रा0वि0सुन्दरहेडी, पुवारका	ग्राम प्रधान - 3	1. प्राचीन पद्धतियों का विरोध [illegible]
			प्रा0वि0लखनौती कला, पुवारका	अध्यापक-3	2. बच्चे निःसंकोच अपने भाव व्यक्त कर सकें।
			प्रा0वि0 बहेड़ीगुर्जर, "	अधिकारी- 2	3. बच्चों का सामान्य ज्ञान विज्ञान, वाद विवाद प्रतियोगिता कराये।
				जनप्रतिनिधि -2	4. आदेश वाक्य लिख दें।
				गणमान्य व्यक्ति - 2	
15	ग्राम स्तर	10-2-1	प्रा0वि0भाटपुर	ग्राम शि0स0स0-5	1. उर्दू अध्यापक की व्यवस्था हो।
				अभिभावक - 6	2. दूरी ज्यादा होने के कारण बालिका विद्यालयों में कम आती है।
				अधिकारी- 1	3. शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है।
				जनप्रतिनिधि -2	
16	ग्राम स्तर	10-2-1	प्रा0वि0[illegible], नकुड	ग्राम शि0स0स0-5	1. लड़कियों को घर का काम करना पड़ता है।
			प्रा0वि0सुन्दरहेडी, पुवारका	ग्राम प्रधान - 3	2. बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को कम विद्यालय भेजते हैं।
			प्रा0वि0लखनौती कला, पुवारका	अभिभावक - 32	3. महिला अध्यापक न होने के कारण बालिकायें विद्यालय में कम आती है।
			प्रा0वि0 बहेड़ीगुर्जर, "	अधिकारी- 1	
				जनप्रतिनिधि -2	
17	ग्राम स्तर	10-2-1	पूर्व मा0वि0 पिरणपुर, देवबंद	ग्राम शि0स0स0-4	1. सामान्य विचार
				ग्राम प्रधान - 1	
				अध्यापक-2	
18	ग्राम स्तर	10-2-1	प्रा0पा0वि0[illegible]डाबास, देवबंद	ग्राम शि0स0स0-2	प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रगान, मुख्य समाचार आदि
				ग्राम प्रधान - 1	
				अभिभावक - 2	

क्र0 सं0	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
19	जिला स्तर	10-2-1	कलेक्ट्रेट सभागार	जिलाधिकारी महोदय	1. अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु मकतब/
				मुख्य विकास अधिकारी महोदय	मदरसों का सुदृढ़ीकरण करना, निःशुल्क पाठ्य
				डी0डी0आर0	पुस्तक उपलब्ध कराना एवं इनके शिक्षकों का प्रशि0
				डायट प्राचार्य	2. विद्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम शि0स0 के अलावा
				डी0आई0ओ0एस0	पर अन्य कोई सरकारी ऐजेन्सी न नियुक्त की जाये
				आर0ई0एस0(अधि0 अभि0)	जिससे गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
				जल निगम(अधि0 अभि0)	3. ठहराव हेतु बच्चों को प्रतिदिन कुछ इन्सेन्टिव दिया
				जिला क्रीडाधिकारी	जाये।
				बी0एस0ए0	4. शिक्षा को रोचक बनाने के उद्देश्य के लिये जिला
				जे0शि0अधि0	क्रिडाधिकारी के सहयोग से खेलों को पाठ्यक्रम में
				अध्यापक प्रतिनिधि	सम्मिलित कर समय विभाग चक्र बनाया जाये।
20	12-2-01	न.क्षे. स0पुर	उच्च प्राथमिक विद्यालय,गांधीपार्क	अधिकारी - 2	1. लकड़ी की नक्काशी के काम में लगे बच्चों की
			सहारनपुर	अध्यापक - 4	पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है।
				अभिभावक -5	2. होजरी उद्योग में लगे बच्चों के माता-पिता से मिलकर
				महिला अभिभावक - 2	उन्हें पढ़ाने के लिये प्रयास किया जाये।
				गणमान्य व्यक्ति - 4	
21.	ग्राम स्तर	12-2-1	प्रा0वि0 काशीपुर, स0 नकीम	महिला प्रधान - 1	1. बरसात में नदी में पानी आने पर स्कूल में जाने
				महिला पंचायत सदस्य- 4	में कठनाई होती है।
				अध्यापक -6	2. बालिकाओं में असुरक्षा की भावना है।
				अभिभावक -5	3. कक्षा 8 के बाद लड़कियों को पढ़ने के लिये कोई स्कूल नहीं
					है। जिससे बहुत सी लड़कियां पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है।
22	जिला स्तर	17-2-1	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान,	प्राचार्य -1	1. बालिकाओं को घरेलु कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है।
			पटनी, सहारनपुर।	वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता-4	2. विकलांग बच्चों के प्रति अध्यापकों के प्रति संवेदन
				[illegible]- 1	शील न होना व शिक्षा हेतु व्यवस्था किया [illegible]
				स0बे0शि0अधि0- 18	
				बी0आर0सी0 समन्वयक- 20	

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उसके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपातिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता हैं।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

Co-ordination with various deptt.

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.1 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट-आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेंथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11488

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – सहारनपुर

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	224918	199457	424375	193429	171533	364963	86
2001-02	229641	203646	433287	215863	191427	407290	94
2002-03	234464	207922	442386	239153	212081	451234	102
2003-04	239387	212289	451676	256145	227149	483293	107
2004-05	244415	216747	461161	271300	240589	511889	111
2005-06	249547	221298	470846	284484	252280	536764	114
2006-07	254788	225946	480733	295554	262097	557651	116
2007-08	260138	230690	490829	306963	272215	579178	118
2008-09	265601	235535	501136	316066	280287	596352	119
2009-10	271179	240481	511660	325415	288577	613992	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – सहारनपुर

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	93590	82995	176585	75808	67226	143034	81
2001-02	95555	84738	180293	82178	72875	155052	86
2002-03	97562	86517	184079	88781	78731	167512	91
2003-04	99611	88334	187945	94630	83918	178548	95
2004-05	101703	90189	191892	100686	89287	189973	99
2005-06	103838	92083	195922	106954	94846	201799	103
2006-07	106019	94017	200036	112380	99658	212038	106
2007-08	108245	95991	204237	116905	103671	220576	108
2008-09	110519	98007	208526	120465	106828	227293	109
2009-10	112839	100065	212905	124123	110072	234195	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	35
2001-02	31
2002-03	26
2003-04	21
2004-05	15
2005-06	9
2006-07	4
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना कियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय - 5

समस्याऐं एंव रणनीति

सर्व शिक्षा अभियान सर्व व्यापी शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 से 2009-2010 तक की दीर्घ कालीन योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तंगत निर्धारित लक्ष्यों मे से निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किये जायेगें-

1. स्कूल से बाहर सभी बच्चों (6-14 वय वर्ग) को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना।
2. बच्चों के विद्यालय एंव वेकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में प्रवेश के बाद स्कूली शिक्षा को पूर्ण कराने हेतु ठहराव सुनिश्चित करना।
3. शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु अध्यापक प्रशिक्षण, चैक विन्दूओं के आधार पर विद्यालयों का निरीक्षण पर्यवेक्षण कराया जाना।

जनपद में विभिन्न स्तरों पर कराये गये फोकस ग्रुप डिस्कसन में प्राप्त विचारों के विश्लेषणोपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यावहारिक एंव सन्तुलित रणनीति बनायी गयी है।

समस्यायें	रणनीति
(अ) पंहुचः-	
5.1.1 कुछ क्षेत्रों में आर्थिक एंव सामाजिक पिछडेपन के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत नीची है। बालिकाओं के प्रति भेदभाव है एंव उनकी शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता।	5.1.1 सामाजिक चेतना उत्पन्न करना ।जिससे बच्चों एंव उनके अभिभावकों की सोच में परिवर्तन हो सके। इस कार्य में महिला मंगल दल, महिला समाख्या, बाल विकास परियोजना के कार्यकर्त्री/कार्यकर्ता, ए0एन0एम0, कलाजत्था, जनसम्पर्क, ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय सहभागिता एंव जागरूक नागरिकों के सहयोग से समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया जायेगा। ताकि बालिकाओं का नामांकन बढाया जा सके और ड्राप-आउट कम किया जा सके।
5.1.2 शिक्षा की उपादेशता के विषय में जनता में भ्रान्ति है।	5.1.2 उच्च प्राथमिक विधालय में व्यवसायिक शिक्षा के कार्यूमों को जोडा जायेगा जिससे विधार्थियों को स्वावलम्बन एंव करके सीखने की प्रवृति का विकास हो सके और आर्थिक पिछडापन दूर हो सके। विशेषकर ग्रामीण अंचल की बालिकाओं के लिये सिलाई, कढाई, फल संरक्षण, बुनाई, स्थानीय क्राफट एंव नगरीय क्षेत्र एंव इससे निकट के ग्रामीण क्षेत्रा में मेंहदी, फाईन आर्ट, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढाई, बुनाई, चटाई निर्माण, जूट कपडे के बैग आदि सिखाने का प्राविधान किया जायेगा। जन निलियम की पूर्व योजना में यदि कुछ मशीने प्राप्त हुई तो उनका प्रयोग किया जायेगा।
5.1.3 असेवित एंव मलिन	5.1.3 1.5 कि0मी0 तथा 300 की आबादी वाले ग्रामों/बस्तियों में प्राथमिक

बस्तियों में विद्यालय सुविधा का न होना।	विद्यालयों की स्थापना की जायेगी तथा 6 से 8 वय वर्ग के 30 बच्चों में 1 कि0मी0 विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगें तथा 9 से 14 वय वर्ग तक के बच्चों के लिये ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में द्विपाली योजना एंव किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालय जहां छात्र संख्या कम है उन्हे असेदित मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित कर पुर्नस्थापित किया जायेगा। विद्यालय की पुर्नस्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये (DUDA) एंव सहारनपुर विकास प्राधिकरण (SDA) का सहयोग लिया जायेगा।
5.1.4 भौगोलिक कठनाई जैसे नदी, नाले, जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध ।	5.1.4 भौगोलिक कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना एंव वैकल्पिक /नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले जायेंगें तथा कालान्तर में मुख्य धारा से जोडा जायेगा।
5.1.5 विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का आभाव जैसे- फर्नीचर, बिजली नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा-कक्षों की अनुपलब्धता, शौचालय, पेयजल	5.1.5 छात्रा संख्या के आधार पर विधालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा। जिन विधालयों : स्वच्छ पेयजल एंव शौचालयों, चाहरदीवारी की व्यवस्था नही है। वंहा पर इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विधालय/प्राथमिक विधालयों में बच्चों के बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध है।

एंव जानकारी की कमी।	
(ब) ठहराव	
5.2.1 शिक्षा के प्रति अभिभवक, बच्चों में जागरूकता का आभाव। अभिभावक की सोच कि बच्चा शिक्षित होकर रोजगार से जुडे।	5.2.1 ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से यह जागृति पैदा की जायेगी कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है न कि एकमात्र रोजगार उपलब्ध कराना।
5.2.2 बच्चों के व्यक्तित्व रूची में कर्मी।	5.2.2 बच्चों को विधालय पाठ्यक्रम बोझिल न लगे इस हेतु रूचिपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जायेगा।
5.2.3 शिक्षक की व्यावहार कुशलता एंव व्यक्तित्व में ह्रास।	5.2.3 शिक्षक का छात्रा के प्रति मृदु व्यवहार हो, मानवीय मूल्यों एंव संवेदनाओं में समन्वयन हो। शिक्षक की छवि छात्रा के मस्तिष्क में सकारात्मक, गुणवत्तापरक एंव विशिष्ट प्रभावोत्पादक के रूप मे प्रतिबिम्ब हो, इस हेतु शिक्षक को प्रेरित किया जायेगा। शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यावहार कुशल होना होगा। इसे प्रशिक्षण में समेवेशित किया जायेगा।
5.2.4 विधालय में छात्रा	5.2.4 ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था सुचारू की

संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी।	जायेगी । 40:1 के अनुपात पर अध्यापको एव शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। उच्च प्राथमिक विधालयों मे विषयाध्यापको की नियुक्ति प्रस्तावित है।
5.2.5 विद्यालय का वातावरण अनाकर्षक होना ।	5.2.5 बच्चों को समूहों मे बैठाकर शिक्षण कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान से 6' x 6" की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकता अनुसार क्रय की जायेगी । सहायक शिक्षण सामग्री (टी0एल0एम0) बच्चों की सहायता से तैयार की जायेगी।
5.2.6 गरीबी के कारण छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकों का न होना	5.2.6 कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्राओं तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है।
(स) गुणवत्ता	
5.3.1 अध्यापक का विद्यालयों में कम ठहराव ।	5.3.1 अध्यापक सूचनाओं के संकलन में अधिक समय नष्ट न करे इसके लिये विभागिय सूचनाऐं विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेगी।
5.3.2 अध्यापक की शिक्षण कार्य में अरूचि।	5.3.2 अध्यापक की विषय वस्तु आधारित प्रतियोगिताऐं आयोजित की जायेगी। इससे प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होगा और वह स्वाध्याय की ओर उन्मुख होगा।

5.3.3 छात्रों की गणवेशों को उपेक्षित करना।	5.3.3 गणवेश के अभाव मे विधालय परिवेश का अनुकूलन सम्भव नही है साथ ही सामाजक एक रूपता एवं विशिष्ट छवि का अभाव बना रहता है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत/नर्सरी विधालय के छात्रों का [illegible] व्यक्तिव अधिक मुखर लगने से अभिभावक अनायास ही परिषदीय विद्यालयों से उदासीन हो जाते है अतः स्वच्छ गणवेश छात्रा के वाहय व्यक्तिव को और अधिक मुखरित करेगी। इस हेतु छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्रों के अभिभावकों को गणवेश तैयार करने के लिए प्रेरित किया जायेगा।
5.3.4 अध्यापक, अभिभावकों एंव छात्रों मे सामजस्य न होना।	5.3.4 अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक के साथ सम्पर्क बना रहे इस हेतु त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन आयोजित कराया जायेगा जिसमें अधिकतर महिलाओं/विशेष कर अपवंचित/उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करायी जायेगी। इस सम्मेलन में कोटिपूरक शिक्षा पर बल दिया जायेगा ।
5.3.5 सतत मुल्याकन का आभाव।	5.3.5 कोटिपूरक शिक्षा के लिए सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासकि, त्रैमासिक अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा ।
5.3.6 शैक्षिक निरीक्षण/ पर्यवेक्षण की कमी।	5.3.6 एन० पी० आर० सी०, बी० आर० सी० के समन्वयक, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट अभिकर्मी एवं अन्य [illegible] विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रभावी शिक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण किया जायेगा।

	तदानुसार विद्यालयों को श्रेणीवद्ध किया जायेगा ।
5.3.7 सक्रिय समाज सहभागिता का आभाव।	5.3.7 अभिभावकों/ग्रामवासियों मे यह सोच विकसित हो सके कि यह विद्यालय हमारा है, विद्यालय मे अच्छी पढ़ाई से ही हमारे वच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा और इसी से आने वाले समय मे गांव की प्रगति हो सकेगी तथा जागरूक नागरिक वनेंगे। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्कूलों का सतत पर्यवेक्षण एव अनुश्रवण करेंगी। माईक्रोप्लानिंग एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु गांव के जानकार लोगों की मदद ली जायेगी।
5.3.8 विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग वच्चों की शिक्षण की व्यवस्था।	5.3.8 विकलांग वच्चों का सर्वेक्षण कराकर वस्तीवार सूचना ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए0डी0पी0आई0 को वच्चों के उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जायेगा। विशेष आवश्यकताओं वाले वच्चों के प्रति अध्यापक को संवेदनशील वनाने का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण में इस प्रकार के वच्चों के प्रति व्यवहार, शिक्षण आदि के सम्वन्ध में चर्चा की जायेगी।
5.3.9 वाल श्रमिक तथा उनके अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का आभाव	5.3.9 जनपद के वुड्कार्विंग, [illegible], घंटी एवं अन्य व्यवसाय में लगे 6-14 वय वर्ग के वच्चों तथा उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व की जानकारी देकर शिक्षा के प्रति जागरूक वनाया जायेगा जिससे वच्चा व्यवसाय में न जाकर विद्यालय में प्रवेश ले तथा शिक्षा पूर्ण करे। श्रम विभाग के सर्वेक्षण कार्य द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त कर उनके प्रोत्साहन हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा अपेक्षित सहयोग श्रम विभाग को उपलब्ध कराकर वच्चों को मुख्यधारा में उनकी योग्यता द्वारा जोडा जायेगा।

अध्याय - 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से वर्ष 2000 तक 262 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 120 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराकर संस्थागत विकास किया गया।

6.1 असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना :-

जनपद में करायी गयी माइक्रोप्लानिंग के आधार 23 असेवित बस्तियां व ग्राम ऐसे हैं जहां पर नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता वहाँ की जनता द्वारा महसूस की जा रही है। इन असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ये असेवित बस्तियाँ जनपद के निम्न विकास खण्डों में हैं। शेष विकास खण्डों में कोई असेवित क्षेत्र नहीं है।

सारणी 6.1

विकास खण्डवार असेवित बस्तियाँ

क्र0सं0	विकास क्षेत्र का नाम	असेवित ग्राम/ बस्तियोंकी संख्या
1.	गंगोह	3
2.	रामपुर मनिहारन	1
3.	साढौली कर्दीम	6
4.	नागल	1
5.	नकुड़	4
6.	सरसावा	5
7.	नानौता	1
8.	बलियाखेड़ी	2
	कुल	23

स्रोत: विभागीय आकड़ों के आधार पर।

उक्त असेवित ग्राम/ बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण प्रथम दो वर्षों में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में 12 विद्यालय तथा द्वितीय वर्ष में 11 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा।

6.3 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापना :-

मानक के अनुसार ऐसे असेवित ग्राम/बस्तियॉ जहां कुल आबादी 800 तथा दूरी 3.00 कि0मी0 पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेगें । जनपद में कराये गये माइक्रोप्लानिंग के सर्वे के आधार पर 196 असेवित ग्राम/बस्तियां ऐसी हैं जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 196 असेवित बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार कक्षा 8 तक की शिक्षा सर्वसुलभ कराने के उद्देश्य से 02 प्राथमिक विद्यालयों मे 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है। जो कि अधिक सुदृढ़ ढांचे वाले प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण मे होगा । सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 365 आगणित की गयी है। विकास खण्डवार असेवित ग्राम/बस्तियों की संख्या में 6.2 सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी-6.2

विकास खण्डवार असेवित बस्तियाँ

क्र0सं0	विकास क्षेत्र का नाम	असेवित ग्राम/ बस्तियोंकी संख्या	2:1 के आधार पर
			उच्च प्राथमिक वि0
1.	गंगोह	19	प0प्रा0वि0------ 1221
2.	रामपुर मनिहारन	13	प्रस्तावित प्रा0वि0-23
3.	साढौली कदीम	17	योग--------------1244
4.	नागल	31	योग/2-------- 622
5.	नकुड़	11	प030प्रा0वि0------341
6.	सरसावा	44	वाछित उ0प्रा0वि0-----
7.	नानौता	6	(622-341) =381
8.	बलियाखेड़ी	36	(11 वें वित्त आयोग में
9.	पुवारका	8	स्वीकृत विद्यालय 16)
10.	मुजफ्फराबाद	2	अतः शेष वाछित
11.	देवबंद	9	उ0प्रा0वि0-381-16=365
	कुल	196	

स्रोत: विभागीय आकडों के आधार पर।

365 विद्यालयों का निर्माण प्रथम 6 वर्षों में कराया जायेगा। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु स्थलों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।

स्थल चयन के साथ ही भूमि की व्यवस्था उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालय में से एक प्राथमिक विद्यालय के प्रागण में ही कराया जायेगा जिसमें भूमि उपलब्ध होगी। जहाँ बच्चे सुविधापूर्वक

विद्यालय पहुँच सकें। विद्यालय निर्माण हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण करायेगी । जिसका तकनीकि पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा) द्वारा किया जायेगा।

6.4 शिक्षक की व्यवस्था :-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है जो उत्तरोत्तर छात्र संस्था के अनुपात मे बढ़ाई जायेगी। प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा 04 सहायक अध्यापकों सहित कुल 5 अध्यापको की व्यवस्था की प्रस्तावित है। चार अध्यापकों में से एक विज्ञान एवं गणित तथा बालिका शिक्षा को प्रभावित करने हेतु एक महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी। जिसका विवरण सारणी 6.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 6.3
वांछित अध्यापक संख्या

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	नवीन वि0 हेतु	उच्च प्राथमिक विद्यालय
	ड्राप-आउट तथा नामांकन के कारण	कुल अध्यापक	वर्तमान सृजित पद - 1016
	अतिरिक्त अध्यापकों की संख्या		कुल नवीन उ0प्रा0वि0- 280
2001	-----	----	------
2002	120 12X2=24	144	30X5=150
2003	1564 11X2=22	1586	65X5=325
2004	695	695	65X5=325
2005	698	698	65X5=325
2006	703	703	65X5=325
2007	707	707	70X5=375
2008	201	201	----------
2009	206	206	----------
2010	210	210	----------
	योग	5150	1825

स्रोत - जनपद की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर

नोट---नवीन प्राथमिक विद्यालय हेतु वांछित अध्यापक 5150 का 50 प्रतिशत 2575 शिक्षा मित्र रखे जायेगें।

6.5 विद्यालय साज-सज्जा :-

प्राथमिक स्तरः-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना की भांति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्न सामग्री को क्रय किया जायेगा - मेज, कुर्सी, बाल्टी, घन्टा, लोटा, गिलास, टाट-पट्टी,, अलमारी, संदूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल ईक्यूपमेन्ट(ढोलक, मजिरा, हारमोनियम, बासुरी आदि), क्रीडा सामग्री(फुटबाल, वालीबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी), क्लास रूम टिचिंग मैटेरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लाब, शब्दकोश, ज्ञानकोश, खिलाने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तरः-

प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभोग उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना की भांति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में साज-सज्जा एंव शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है। इस धनराशि से निम्न सामग्री को क्रय किया जायेगा - मेज, कुर्सी, बाल्टी, घन्टा, लोटा, गिलास, टाट-पट्टी,, कूड़ादान, म्यूजिकल ईक्यूपमेन्ट(ढोलक, मजिरा, हारमोनियम, बासुरी आदि), क्रीडा सामग्री(फुटबाल, वालीबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी), क्लास रूम टिचिंग मैटेरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र,टू-इन-वन, शैक्षिक चार्ट, ग्लाब, शब्दकोश, ज्ञानकोश, खिलाने,

वोद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) तथा अध्यापक ईक्यूपिमेन्ट की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काष्टोपकरण, शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

6.6 पेयजल, शौचालय एवं चार दीवारी :-

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क -II हैण्ड पम्प अधिष्ठापित कराया जायेगा । प्रत्येक विद्यालय मे बालक व बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा, बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चाहर दीवारी का निर्माण कराया जायेगा ।इन सुविधाओं की लागत नवीन विद्यालयों की यूनिट कास्ट में शामिल किया गया है।

6.7 निर्माण कार्यदायी संस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विद्यालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक सहभागिता एंव विद्यालयों के प्रति स्व की भवना को जागृत करने के उददेश्य से विद्यालयों भवनों के निर्माण के उददेश्य से ग्राम शिक्षा समिति को दायित्व सोंपा जायेगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उर्च्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय - 7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकालपिक एवं नवाचार शिक्षा (E.G.S./AIE) योजना

7.1 पिछला अनुभवः-

सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विकासखण्ड सदरसाकदीम, नागल एवं मुजफ्फराबाद ब्लाक में 39 वैकल्पिक शिक्षा घर 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिए खोले गये थे जिसमें अनौपचारिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के अनुसार रूपये 200/- मानदेय अनुदेशक को दिया गया। डायट ने प्रशिक्षण कराया गया और अनुदेशक को पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। इस कार्य का परिणाम संतोषजनक रहा।

7.2 माइक्रोप्लानिंगः-

सीमैट (SIEMAT) द्वारा कराये गये आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर जनपद में 6 से 14 वर्ष वर्ग में कुल छात्र नामांकन 87 प्रतिशत है जिसके सापेक्ष 38 प्रतिशत ड्राप आउट (Drop -Out) है। इस प्रकार विद्यालयों मे छात्रों का टहराव मात्र 62 प्रतिशत ही है। विशेषकर अनुसूचित जाति में 51 प्रतिशत ड्राप आउट है तथा 49 प्रतिशत मात्र ही विद्यालय में टहराव है।

शालात्यागी (Drop -Out) बच्चों की पृष्टभूमि में विहंगम दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि अधिकांश बच्चें इनमें काम काजी है जो कृषि कार्य, वुडकार्विंग एवं हौजरी के उद्योग में मुख्य रूप से लगे हुए है। ग्रामीण अंचल में अधिकांश बच्चें कृषि कार्य मे लगे हुए है। सर्वाधिक शालात्यागी

बच्चे नगर क्षेत्र के वुडकार्विंग एवं हौजरी के कार्य में लगे हुए है तत्पश्चात् सढ़ौली कदीम के भाभड़ क्षेत्र में रस्सियों की बंटाई, मजदूरी आदि कार्य में लगे है। बाल श्रमिकों के लिए जिला श्रम विभाग की ओर से 40 केन्द्र नगर सहारनपुर में खोले गये है।

7.3 शिक्षा गारंटी योजना (EGS) :-

7.3.1 इस योजना के अन्तर्गत 6-8 वयवर्ग में पंजीकृत कराया जायेगा। ऐसे ग्राम/ बस्ती/ मजरें/ टोले/ मुहल्ले जो विद्यालय से 1 किमी. की परिधि के बाहर है तथा 6-8 वय वर्ग के 30 बच्चे उपलब्ध हों। वहाँ पर इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रों में कक्षा 01 से कक्षा 02 तक की पढ़ाई होगी। इन केन्द्रों की आधार भूत सूचना सारणी (7.1) में दर्शायी गयी है।

इन केन्द्रों का संचालन "सर्वशिक्षा अभियान" के अन्दर चिन्हित "स्टेट सोसाइटी" उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद निशांतगंज लखनऊ द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों पर 01 अनुदेशक प्रति केंद्र प्रस्तावित है।

7.3.2 वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (AIE) कार्यक्रम :-

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चें विशेषकर काम काजी तथा बालश्रमिक एवं नवाचार शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिन ग्राम/ बस्ती/ मजरे/ टोले/ मुहल्ले में 15 बालक/बालिका शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित होंगे वहीं पर ए0 आई0 ई0 केन्द्रो की स्थापना की जायेगी। ये केन्द्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर

सारणी - 7.1

जनपद - सहारनपुर

6 से 8 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (शिक्षा गारंटी योजना) EGS

		अनुसूचित जाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक			अन्य			योग		
क्रम0	विकास खण्ड का नाम	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	नकुड़	202	302	504	212	214	436	226	295	521	61	55	116	701	866	1567
2	गंगोह	104	216	320	357	504	861	2356	1511	3861	56	72	128	2873	2303	5176
3	ननौता	120	208	328	210	226	436	92	102	194	40	55	95	462	591	1053
4	देवबंद	106	144	250	180	220	300	196	166	262	35	44	79	517	574	1091
5	रामपुर	120	108	228	170	180	350	96	102	198	25	41	66	411	431	842
6	नागल	196	206	402	280	300	580	101	104	205	61	92	153	638	702	1340
7	बेहट	142	282	424	104	187	291	107	277	384	44	95	139	397	841	1238
8	पुवारका	190	210	400	226	230	456	106	120	226	28	35	63	550	595	1145
9	सरसावा	180	209	389	235	238	473	130	211	341	24	38	62	569	696	1265
10	मदोनी कलाँ	148	136	284	158	143	301	129	270	399	39	30	69	474	579	1053
11	मुजफ्फराबाद	190	206	396	106	110	216	130	150	280	46	39	85	472	505	977
12	सहारनपुर नगर	185	120	305	156	126	282	158	388	546	358	223	581	857	857	1714
13	देवबंद नगर	120	107	227	96	105	201	93	96	189	80	95	175	389	403	792
14	गंगोह नगर	135	95	230	96	128	224	122	138	260	37	40	77	390	401	791
	योग	2138	2549	4687	2586	2911	5407	4042	3930	7872	934	954	1888	9700	10344	20044

चलाये जायेगे। प्राथमिक स्तर के केन्द्र में 01 अनुदेशक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 02 अनुदेशकों की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन केन्द्रों की आधार भूत सूचना सारणी (7.2) में दर्शायी गयी है।

7.4 माइक्रो प्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता -

7.4.1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ।

7.4.2 ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत कम हो।

7.4.3 ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक हो।

7.4.4 ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक, घुमन्तू एवं खतरनाक/गैर खतरनाक उद्योगों में सलंग्न बच्चों की संख्या अधिक हो।

7.5 शिक्षा गारंटी केंद्र (ई.जी.एस.), वैकल्पिक एवं नवाचार केंद्रो का प्रस्ताव :-

उपरोक्त असेवित बस्तियों एवं शालात्यागी छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक एवम नवाचार शिक्षा केंद्र चरण बद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित है ।जिसका विवरण सारणी 7.4 में दिया गया है:-

सारणी - 7.2

जनपद - सहारनपुर

9 से 14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या (वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र। EGS

क0स0	विकास खण्ड का नाम	अनुसूचित जाति			पिछडी जाति			अल्प संख्यक			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	नकुड़	173	207	380	138	217	355	267	266	533	35	40	75	613	730	1343
2	गंगोह	81	279	360	125	264	389	744	356	1280	99	44	143	1049	943	1992
3	ननौता	96	54	150	63	82	145	53	61	114	20	26	46	232	223	455
4	देवबंद	90	66	156	34	30	54	138	112	250	16	20	36	278	228	506
5	रामपुर	90	80	170	96	80	176	40	60	100	15	18	33	241	238	479
6	नागल	102	126	228	106	138	244	192	204	396	18	21	39	418	489	907
7	बलियाखेड़ी	106	151	257	50	80	130	100	106	206	12	21	33	268	358	626
8	पुवारका	287	256	543	97	110	207	390	455	845	27	28	55	801	849	1650
9	सरसावा	96	102	198	69	75	144	61	363	424	21	29	50	247	[illegible]	816
10	सढ़ौली कदीम	433	417	850	308	290	598	429	482	911	102	132	234	1272	[illegible]	2593
11	मुजफ्फराबाद	78	63	141	77	110	187	251	178	429	15	8	23	421	359	780
12	सहारनपुर नगर	186	210	396	105	219	324	202	322	534	218	625	843	711	1376	2087
13	देवबंद नगर	60	80	140	27	38	65	98	153	251	27	49	76	212	320	532
14	गंगोह नगर	20	80	100	43	50	93	106	110	216	15	36	51	184	276	460
	योग	1898	2171	4069	1338	1783	3111	3071	3228	6489	640	1097	1737	6947	8279	15226

सारणी 7.3

प्रस्तावित ई0 जी0 एस0 तथा ए0 आई0 ई0 केन्द्रों का विवरण

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता प्रतिशत	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्रा0वि0	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	9-14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चे	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	6-8 वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चे	शिक्षा गारंटी (ई0जी0एस0)	अन्य विवरण
1	नकुड़	39.7	107	27	20	1338	60	1869	62	उच्च प्राथमिक विद्यालय मानक के
2	गंगोह	13.8	125	24	25	1172	100	5176	193	2 प्राथमिक विद्यालय प्रति 1 है।
3	ननौता	43.9	83	16	15	455	18	1053	37	इसी को आधार मानकर मानक
4	देवबंद	39.1	87	20	15	506	20	1091	37	नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की
5	रामपुर	41.6	89	19	19	497	20	962	32	स्थापना के पश्चात शेष उच्चप्राथमिक
6	नागल	37.4	100	22	23	907	40	1978	66	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे।
7	बलियाखेड़ी	34.3	97	17	18	632	25	1238	42	
8	पुवारका	34.4	111	21	22	1641	70	1138	38	
9	सरसावा	33.4	111	22	25	818	30	1265	43	
10	सढौली कदीम	22.1	79	14	20	2593	84	1053	36	
11	मुजफ्फराबाद	36.8	131	[illegible]	25	780	30	977	33	
12	सहारनपुर नगर	66.4	80	8	14	2087	90	1714	58	
13	देवबंद नगर	41.9	6	2	-	532	20	792	27	
14	गंगोह नगर	53.5	14	7	-	460	18	791	27	
	योग		1221	246	241	14400	625	20074	731	

सारणी 7.4

प्रस्तावित शिक्षा गारंटी केंद्र एंव वैकल्पिक शिक्षा केन्दों का चरणवद्ध कार्यक्रम

चरण	ई.जी.एस.(शिक्षा गारंटी केंद)	ए.आई.ई.(वैकल्पिकशिक्षा केन्द)
प्रथम	131	125
द्वितीय	250	250
तृर्तीय	350	250
कुल	721	625

स्रोतः विभागीय आकडों के आधार पर।

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र भी चरण वद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित है

प्रथम चरण	50 केंद्र
द्वितीय चरण	80 केंद्र
तृर्तीय चरण	125 केंद्र
कुल	255 केन्द्र

स्थलों का चयन विभागीय सूचनाओं के आधार पर ऐसे ग्रामों/ बस्तियों/ मजरों/ टोलों का चिन्हांकन किया गया है जंहा पर प्राथमिक विद्यालय नही है। यें ग्राम/ बस्तियां जो प्राथमिक विद्यालय से 1.0 कि0मी0 से अधिक दूर हैं वहां पर ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोले जायेगें तथा जिनकी दूरी 1.0 कि0मी0 से कम है तथा 9 से 14 वय वर्ग के कम से कम 15 बच्चें उपलब्ध हैं। वहाँ पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेगें। सारणी संख्या 7.5 में प्रथम चरण का स्थल चयन दर्शाया गया है।

सारणी - 7.5

ए0 आई0 ई0 हेतु विशिष्टता के आधार पर स्थल चयन सूची

क0स0	विकास खण्ड का नाम	बल श्रमिक/ कामकाजी/अन्य अकारणो से शालात्यागी बच्चे 9-14 वर्ष		
		15 से 25 की सख्या या 0-300 तक की आबादी	25 से 50 की सख्या या 300-400 तक की आबादी	50 से अधिक सख्या या 500 से अधिक की आबादी
1.	नानौता	---------	बोहतखेड़ी	---------
2.	..	जाडखेडी	---------	---------
3.		---------	---------	ओलरी
4.		---------	कुतुबपुर	---------
5.		---------	---------	शेखपुरा
6.		---------	---------	बुन्दूगढ
7.		---------	मित्रगढ़	---------
8.		आंतपुर	---------	---------
9.		डिक्की	---------	---------
10.		सिसौनाभान	---------	---------
11.		---------	[illegible]	---------
12.		---------	---------	लुकागढ़ी
13.	साढौली कदीम	---------	भोजपुर	---------
14.		---------	---------	आतादपुर
15.		शहजादपुर	---------	---------
16.		---------	---------	धोनरा
17.		---------	---------	नकटी
18.		---------	बहरामपुर	---------
19.		भारपुर टसका	---------	---------

20.		---------	---------	सिटकना
21.		---------	---------	मझौली
22.		अलीपुरा दनककौर	---------	---------
23.		---------	---------	भागपुर सआदतनंद
24.		कवायदपुर	---------	---------
25.		मल्हामजरा	---------	---------
26.		---------	---------	नदगाना
27.		---------	जन्देडा	---------
28.		---------	---------	चाटकी
29.		सुन्हेटी	---------	---------
30.		बेरखेडा	---------	---------
31.		केवलगढ	---------	---------
32.		---------	---------	गम्बेहडा
33.		---------	शेरउल्लापुर	---------
34.		---------	---------	महमूदपुर
35.		---------	---------	असगरपुर
36.		---------	---------	खुशहालपुर
37.		---------	फरकपुर	---------
38.		---------	चक आवावाकरपुर	---------
39.		---------	---------	अलीपुरा
40.		---------	---------	चांदपुरा
41.		---------	---------	अवावाकरपुर
42.		चानचक	---------	---------
43.		---------	बडकला	---------
44.		इन्द्रपुर तालडा	---------	---------
45.		हैदरपुर हिन्दूवाला	---------	---------
46.		मेहम्मदपुर भामरा	---------	---------
47.		मुर्तजापुर सदर	---------	---------
48.		पुरवास मुस्तकम	---------	---------
49.		---------	कासमपुर वास	---------
50.		---------	हुसैनपुर	---------
51.		माटका	---------	---------
52.		चकमाटका	---------	---------
53.		---------	---------	मढती
54.		---------	---------	खेरा
55.		---------	---------	मगनपुरा
56.	सरसावा	---------	---------	पटेढ
57.		---------	---------	सोंधवास
58.		---------	---------	वकरगा
59.		---------	बिरपालपुर	---------
60.		सुचेलदिता	---------	---------
61.		परसागढ	---------	---------
62.		---------	---------	जयगनपुर
63.		चेरावल	---------	---------
64.		नौगजुर्द	---------	---------

65.		नगला	---------	---------
66.		सलारा	---------	---------
67.		---------	टबरा अहतमाल	---------
68.		जलालपुर	---------	---------
69.		मुर्नी माजरा	---------	---------
70.		नानू माजरा	---------	---------
71.		---------	हुसैनपुर	---------
72.		छावडी	---------	---------
73.		माजरी खुर्द	---------	---------
74.		ऐदलपुरा	---------	---------
75.		तीतपाला	---------	---------
76.		---------	नकरूलापुर	---------
77.		---------	बलखेतपुर	---------
78.		---------	---------	पहलवानपुर
79.		त्रिलोकपुर	---------	---------
80.		---------	किशनपुरा	---------
81.		---------	---------	गोविन्दपुर
82.		---------	---------	कातला
83.		---------	सरागपुर	---------
84.		शाहपुर दाउद	---------	---------
85.		लालवाला	---------	---------
86.		---------	गुमटी	---------
87.		मलकपुर	---------	---------
88.		मझार	---------	---------
89.		मलकपुर	---------	---------
90.	नागल	---------	ऊनपुर	---------
91.		भरतपुर	---------	---------
92.		कासमपुर	---------	---------
93.	रामपुर	---------	नन्दारपुरा	---------
94.		अमरपुर	---------	---------
95.		डकरावर खुर्द	---------	---------
96.		किशनखेडी	---------	---------
97.		शेखपुर	---------	---------
98.		अललाउर्दानपुर	---------	---------
99.		आलवाला	---------	---------
100.		नारायणपुर	---------	---------
101.		रसूलपुर	---------	---------
102.		---------	जबावाकरपुर	---------
103.		खेडवा	---------	---------
104.		नगला माफी	---------	---------
105.		बहरानपुरा	---------	---------
106.		टाटखेडी	---------	---------
107.		धावनी	---------	---------
108.		चन्द्रपालखेडी	---------	---------
109.		शेखपुरा	---------	---------

110.		---------	---------	हरपाली
111.	पुवारका	---------	लाडवा	---------
112.		जटट्पुरा	---------	---------
113.		---------	मक्कावास	---------
114.		---------	दान्हरपुर मुस्तकम	---------
115.		---------	---------	छज्जपुरा
116.		टोकरपुर	---------	---------
117.		---------	सिम्भालका जुनारदार	---------
118.		---------	---------	दग मिलकाना
119.		चकसराय	---------	---------
120.		गोकलपुरा	---------	---------
121.		आजीमपुरा	---------	---------
122.		आलमपुरा	---------	---------
123.		शाहपुर कदीम	---------	---------
124.		---------	नन्हेडा बक्खाल	---------
125.	गंगोह	---------	मुगदखेडी	---------
126.		---------	बढ़ाखेडी	---------
127.		---------	---------	अलीपुरा
128.		---------	---------	बहादरनगर
129.		---------	भगवानपुरा	---------
130.		हरनामगढ	---------	---------
131.		पनाहपुर	---------	---------
132.		गुरूनानकपुर	---------	---------
133.		वमनपुरा	---------	---------
134.		उम्मेदगढ	---------	---------
135.		---------	आर्यनगर	---------
136.		---------	मजरी	---------
137.		शेरगढ	---------	---------
138.		---------	बनूखेडी	---------
139.		---------	---------	सानौली
140.		---------	---------	कोटडा
141.		---------	धोर्धापुरा	---------
142.		---------	किशनखेडा	---------
143.		---------	बिसनाट	---------
144.		मेघन मजरा	---------	---------
145.		---------	बहलोलपुर	---------
146.		---------	खानपुर	---------
147.		---------	---------	सालीयर
148.		---------	स्पर्डी	---------
149.		---------	बेरखेडी	---------
150.		---------	हरीपुरा	---------
151.		शीतलपुर	---------	---------
152.		---------	नागल मुस्तकम	---------
153.		---------	दुर्गी	---------
154.		---------	नागल मुस्तकम	---------

155.		झापर खेड़ी	---------	---------
156.		---------	जन्धेडा	---------
157.		पीर माजरा	---------	---------
158.		---------	सतसरा	---------
159.		---------	हुसैनपुर	---------
160.		कोली माजरा	---------	---------
161.		भानपुर कदीम	---------	---------
162.		शाहपुर गेड	---------	---------
163.		---------	बासदेवा	---------
164.		---------	चहुपुरा	---------
165.		---------	कुण्डा वर्सा	---------
166.		---------	---------	बजीरपुर
167.		---------	बहारपुर	---------
168.		---------	---------	कालाहटी
169.		---------	---------	अकबरपुर
170.		---------	---------	रोशनपुर
171.	नकुड़	---------	---------	काजीवास
172.		---------	---------	नसरूल्लागढ

स्रोतः विभागीय आकडों के आधार पर।

7.6 बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द :-

जिन ग्रामों/ बस्तियों/ मजरों/ टोलों/ मुहल्लों में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है। ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। इसमें सामुदायिक सहभागिता, कलाजत्था, महिला मंगल दल माँ-बेटी मेला, किशोरी संघ, आदि के सहयोगों से चेतन जागृति एवं बालिका शिक्षा में रूचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनता के आधार पर ब्लाक सढौली कदीम एवं गंगोह में बालिका शिक्षा केंद्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित है ।

7.7 अल्पसंख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द :-

जनपद का अधिकांश 6 से 14 वर्ग का निरक्षर बच्चा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित है जो केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है। इस कार्यक्रम में मकतबें मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा

केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इन मकतबों/ मदरसों मे उसी धर्म का व्यक्ति यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण है तो उसे अनुदेशक के रूप में चिहिन्त किया जाये और वहां पर निःशुल्क बेसिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा । इनका चयन मक्तब कमेटी/ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से किया जायेगा । अल्पसंख्यक आबादी वाले विकास खण्ड गंगोह, सढौली कदीम, मुजफ्फराबाद, नगरक्षेत्र सहारनपुर एवं अम्बेहटा पीर में प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित है ।

7.8 शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों का संचालन समय :-

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवं रात्रि में नहीं रखा जायेगा। ये केन्द्र प्रतिदिन 04 घंटे संचालित किया जायेगे।

7.9 अनुदेशक चयन :-

अनुदेशक यथासम्भव उसी स्थान एवं समुदाय का होगा जहां पर शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना है। उसी ग्राम का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर बिल्कुल निकट के गॉव का व्यक्ति आवेदन कर सकता है।

अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। इस हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन प्राप्त करके हाईस्कूल परीक्षा के अंको को प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्टता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् अनुदेशक को आमन्त्रण पत्र आदेश ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ग्राम शिक्षा समिति की 2/3

बहुमत से प्रस्ताव करके अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगरक्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मे अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगरक्षेत्र, सम्बन्धित वार्ड एवं नगर क्षेत्र के वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/ शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आवश्यकतानुसार मकतब/मदरसों में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने के इच्छुक होने की स्थिति में मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी अन्यथा सम्बंधित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों मे अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जनसमुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके चयन के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बनायी जायेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को भी यदि आवश्यक हुआ तो सम्मलित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होगी। जहां पर स्नातक अभ्यार्थी उपलब्ध न हो वहां पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यार्थी का चयन किया जा सकता है।

अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संविदा प्रपत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर एनेक्चर के साथ संलग्न किया जायेगा।

सभासद/प्रधानाध्यापक के संयुक्त खाते मे स्थानान्तरित की जायेगी तत्पश्चात् चेक द्वारा अनुदेशक को भुगतान किया जायेगा।

7.12 पर्यवेक्षण :-

शिक्षा गारंटी एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु अकादमिक सहयोग एवं नियमित पर्यवेक्षण का कार्य सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ एस.डी.आई./ ब्लाक प्रोग्राम आफीसर/ ब्लाक रिसोर्स पर्सन/ ब्लाक रिसोर्स सेक्टर/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा/ नगरक्षेत्र मे यह कार्य शिक्षा अधीक्षक/ नगर प्रोग्राम आफीसर/ नगर रिसोर्स पर्सन/ सहायक शिक्षा अधीक्षक/ जनपद नगरीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा । न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी/ बी.आर.सी. प्रभारी द्वारा अनुदेशकों की वार्षिक बैठकें की ली जायेंगी । जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ब्लाक आफीसर/ रिसोर्स पर्सन/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी समय-समय पर इन बैठकों में अनुश्रवण करेंगे। निकटस्थ प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वे लगातार इन केन्द्रो का पर्यवेक्षण करते रहेंगे। न केवल ग्राम शिक्षा समिति अपितु विकास खण्ड स्तरीय समिति के पदाधिकारियों को अपनी आख्याओं से अवगत कराते रहेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति भी नियमित रूप से इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेगी और समय-समय पर अपने सुझाव अनुदेशक /अनुदेशिका को देगी। डायट में डी.आर.यू. प्रभारी एवं उनके अधीनस्थ सभी अभिकर्मी भी इन केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करेंगे। पर्यवेक्षण का कार्य उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली के द्वारा किया जायेगा ताकि सार्वभौमिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सकें ।

7.13 निःशुल्क शिक्षण सामग्रीः-

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते मे सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र अनुदेशकों को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षा केन्द्रों पर नामंकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस धनराशि का समायोजन शिक्षण सामग्री मद (रू0 845/- प्राथमिक तथा 1200/- उच्च प्राथमिक) मे किया जायेगा। शिक्षण सामग्री मद का 5 प्रतिशत राज्य/जनपदीय प्रबन्धन हेतु क्रय किया जावेगा।

शिक्षा गारंटी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औपचारिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें ही सम्प्रति उपयोग में लाई जायेगी।

7.14 छात्र-छात्राओं का मूल्यांकनः-

अनुदेशक द्वारा वैकल्पिक एवं शिक्षा गारंटी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत् एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का तिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़नें वाला प्रत्येक बच्चा शीध्र औपचारिक विद्यालय की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य हों, किसी भी समय प्रवेश पा जाये। अनुदेशक का यह दायित्तव होगा कि उनके केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चे शीध्र अति शीध्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा की उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहें। इसी

परिपेक्ष्य मे अनुदेशक का मूल्यांकन भी ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

अनुदेशको द्वारा बच्चो के अध्ययनरत अवधि में उनके व्यावहारिक स्तर मे आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रों में अध्यनरत बच्चें जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित पाठ्य क्रम पूर्ण कर लेंगे, उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

7.15 प्रबन्धन लागत :

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत राज्य एवं जिला/विकास खण्ड स्तर पर पर प्रशासनिक/प्रबंधन पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबंधन की अधिकतम लागत निम्नवत् रखी जायेगी।

80-100 केन्द्रों के मध्य	:	2.50 लाख रू0 प्रति वर्ष
50-80 केन्द्रों के मध्य	:	2.00 लाख रू0 प्रति वर्ष
25-50 केन्द्रों के मध्य	:	1.5 लाख रू0 प्रति वर्ष
25 केन्द्रों से कम	:	रू0100.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रति वर्ष

7.16 ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र आधारित कोर्स :

ब्रिज कार्स / ग्रीष्मकालीन/क्षेत्रा आधारित शिविर :- सड़क/प्लेटफार्म, मलीन बस्तियों, दुकानों, धुमान्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चों जिनके अभिभावक जेल में है

अथवा बाल श्रमिकों/खतरे के उद्योगों में लगे बच्चे जिनका वय वर्ग 9-14 है, के ब्रिज कोर्स/ ग्रीष्मकालीन/ क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेंगे। ब्लाक.. सढौली कदीम एवं मुज़फ़्फ़राबाद के मध्य एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त यमुना के खादर क्षेत्र में भी एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है ।

इन ब्रिज कोर्स/ ग्रीष्म कालीन/ क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों में 9 से 14 वर्ष तक के न्यूनतम. 50 बच्चें सम्मिलित किये जायेंगे तथा ये शिविर आवासीय होंगे। इन शिविरों में बच्चों के रहने, खाने-पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिजकोर्स/शिविरों के लिए एक (01) केयर टेकर, दो (02) पैरा टीचर, एक (01) कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी और इस पर चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि-हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी । केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज-सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी । अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था [illegible] ग्राम शिक्षा समिति/ जन समुदाय का सहयोग/कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ पर निःशुल्क आवास

व्यवस्था उपलब्ध हो सके यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास ख०/जनपद मुख्यालय मे स्थापित हो ।

ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण/नगर क्षेत्र के मुख्यालयों मे किया जायेगा। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाये तो उस क्षेत्र/स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी।

ब्रिज कोर्स/शिविरों की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायेगी। इस हेतु 3,000/-रू0 प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी और इसी मानक धनराशि से सम्पूर्ण व्यवस्था की जायेगी।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। "अण्डर ऐज" व "ओवर ऐज" बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 15222 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जनू, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वय सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि

जनपद सहारनपुर में सभी के लिए शिक्षा परियोजना में वर्ष 1993-2000 तक भौतिक एवं अकादमिक सुविधाएँ सुधारने में प्रभावी कार्यवाही हुयी है । बी0ई0पी0 पुर्न निर्माण के अन्तर्गत 124 प्राथमिक विद्यालय, 11 उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया गया है। ठहराव में वृद्धि हेतु 851 एक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 50 दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 782 शौचालय, 466 पेयजल सुविधाएँ तथा दशम वित्त आयोग द्वारा 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया । इन संसाधनों से जनपद में प्राथमिक शिक्षा के भौतिक संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी। अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो छूटे हुये अथवा अवशेष जो भौतिक संसाधन है उन्हें पूर्ण करने का प्रस्ताव है । अतः अतिरिक्त आवश्यकता में 46 शौचालय, 62 पेयजल सुविधा तथा 31 पुर्ननिर्माण (प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय) के कार्य प्रस्तावित है। अतिरिक्त नामांकन तथा ड्राप आउट में कमी आने से अतिरिक्त कक्षा कक्ष का आवश्यकता तथा अध्यापकों की अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुये 2304 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता ऑकी गयी है। इसके साथ ही 2553 अध्यापकों एवं 2551 शिक्षा मित्रों की वर्ष 2001 से वर्ष 2009-2010 तक आवश्यकता ऑकी गयी है । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय में 932 अध्यापकों की आवश्यकता ऑकी की गयी है।जिसे सारणी संख्या 8.1.2 में दर्शायी गयी है।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप-आउट शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित है:-

8.1 अतिरिक्त कक्षा कक्षो का निर्माणः-

वर्तमान में परीपर्दीय प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की उपलब्धता निम्न प्रकार हैः-

सारणी 8.1

कक्षों की संख्या के अनुसार विद्यालय

वक्ष	प्रथमिक विद्यालय		उच्च प्राथमिक विद्यालय	
	संख्या	मानक के अनुसार वाछिंत कक्ष	संख्या	मानक के अनुसार वाछिंत कक्ष
एक कक्षीय	16	16 X 4 = 64	---	—
दो कक्षीय	281	281X3 = 843	13	13 X 2 = 26
तीन कक्षीय	520	520X2 =1040	135	135 X 1=135
चर कक्षीय	196	196X1 = 196	66	----
पांच कक्षीय	116	.....	19	-----
पांच से अधिक	32	.....	7	-----
योग	1161	2143	240	161

सर्व शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा हेतु एक कक्ष निर्धारित किया गया है। इस मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2304 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी जिनका चरणबद्ध रूप से निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसे सारणी 8.2 में दर्शाया गया है।

8.2 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2002–2003 तक प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत एवं वर्ष 2007 तक ड्राप आउट मुक्त करने के लिये 40:1 के छात्र अध्यापक अनुपात पर अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी। वर्ष 2001–2002 से वर्ष 2009–2010 हेतु वर्षवार अतिरिक्त अध्यापकों की मांग सारणी 8.2 में दर्शायी गयी है।

सारणी 8.2

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की गणना

वर्ष	परिषदीय विद्यालयों का नामांकन	प्रभावी परिषदीय नामांकन	1:40 पर शिक्षकों की आवश्यकता	40:1 के आ0 सुजित 4429 + 242 = 4671		
				वा0अ0	अध्यापक	शिक्षा मित्र
2000-2001	224431	146374	-	-	-	-
2001-2002	265569	180586	4515	-	-	-
2002-2003	298314	214786	5370	699	350	349
2003-2004	305265	241212	6030	660	330	330
2004-2005	312378	274893	6872	842	421	421
2005-2006	319656	294084	7352	480	240	240
2006-2007	327104	314020	7851	499	250	249
2007-2008	334726	334726	8368	517	259	258
2008-2009	342525	342525	8563	195	98	97
2009-2010	350506	350506	8763	200	100	100
योग				4092	2048	2044

शासनादेश संख्या 2604/15–5–99–282/98/ दिनांक 26 मई 1999 एवं शासनादेश संख्या 129(1)/15–5–2000–282/98 दिनांक 1 जुलाई 2000 के आधार पर उपरोक्त वाछित अध्यानकों की

संख्या में से 50 प्रतिशत अध्यापक तथा 50 प्रतिशत शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा मित्रों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टर है। बी0एड् प्रशिक्षित अभ्यार्थी को वर्रायता दी जायेगी। अभ्यार्थी उसी ग्राम सभा का निवासी होगा। ग्राम सभा में उपयुक्त अभ्यार्थी न मिलने पर उसी न्याव पंचायत का निवासी होगा। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रचार-प्रसार के पश्चात् आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेगे। लब्धांक निकालने के पश्चात् अधिकतम लब्धांक प्राप्त अभ्यार्थी को शिक्षा मित्रा के रूप में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा। जिला समिति के अनुमोदन के पश्चात् चयनित अभ्यार्थी का जिला और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त 2250/- रू0 प्रति माह की दर से देय मानदेय पर 30 मई तक शिक्षा मित्र कार्य करेगे। समस्त प्रक्रिया शासनदेशों के अनुरूप की जायेगी।

8.3 शौचालय :-

कुल 1221 परीषदीय प्राथमिक तथा 241 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से क्रमशः 36 प्राथमिक एंव 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय शौचालय विहीन हैं। जिसका विवरण अध्याय 2 में उपलब्ध (प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं) सारणी में दिया गया है। कुल 46 शौचालयों का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत किया जायेगा।

8.4 पुर्ननिर्माण प्राथमिक विद्यालयः-

परीषदीय विद्यालयों में से कुल 29 विद्यालयों का पुर्ननिर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत चरणवद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण अध्याय 2 में उपलब्ध (प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं) सारणी में दिया गया है।

8.5 पेयजल प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयः-

38 प्राथमिक एंव 24 उच्च प्राथमिक विद्यालय पेयजल सुविधा विहीन हैं। कुल 62 परीषदीय विद्यालयों में वर्ष 2001-2002 में इन्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जायेगें।

8.6 पुर्ननिर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालय

जनपद में 2 ही उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनका पुर्ननिर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2002–03 में दोनो विद्यालयों का पुर्ननिर्माण कराया जायेगा।

नगर क्षेत्र में विद्यालय पुर्नस्थापना

जनपद के तीन नगर क्षेत्रों में द्विपाली योजना एवं किराये के भवनों में विद्यालय संचालित होने के कारण 65 विद्यालय भवनहीन हैं। द्विपाली एवं किराये के भवनों में चलने वाले विद्यालयों को मलीन बस्तियों में पुर्नस्थापित किया जायेगा। भूमि की व्यवस्था हेतु नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) तथा सहारनपुर विकास प्राधिकरण से सम्पर्क कर भूमि की व्यवस्था की जायेगी। निर्माणदायी संस्था नगर/वार्ड शिक्षा संस्था होगी।

8.7 विद्यालय मरम्मत एवं रखरखाव

परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें मरम्मत आवश्यक होगी। उनका आंकलन अवर अभियन्ता (आई0ए0एस0) से कराया जायेगा। वर्ष 2001–2002 से वर्ष 2006–2007 तक चरणबद्ध रूप से विद्यालयों की मरम्मत तथा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद में ५८ प्राथमिक विद्यालय 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य है, जिनकी मरम्मत हेतु रु 20000 की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। २८ प्राथमिक विद्यालय ५ उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहद मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत हेतु रु 70000 की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय को होगा।

8.8 चहारदीवारी का निर्माण

जनपद में 735 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चहारदीवारी विहीन है। बालिकाओं के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरीयता के आधार पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। कुल 875 विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से कराया जायेगा।

चहारदीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रु 40000/– से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चहारदीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

(बिन्दु 8.6 से 8.9 का समस्त विवरण अध्याय 2 में उपलब्ध प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं सारणी में दिया गया है।)

8.9 अनुदान :-

8.9.1 विद्यालय अनुदान :-

वी.ई.पी. परियोजना में विद्यालय को आकर्षक एवं विकासोन्मुख संस्था के रूप में स्थापित करने हेतु 2000 रू. प्रति प्राथमिक विद्यालय तथा 4000 रू. प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय को वर्ष 1997 से दिया जा रहा था । जिसके फलस्वरूप रख-रखाव, सौन्दर्यीकरण, बच्चों की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ने में अच्छे परिणाम दिखे । विद्यालय विकास के लिए किये जाने वाले सतत कार्यों की सूची बनाई गयी और तदनुसार धनराशि का उपभोग किया गया । धनराशि का उपयोग स्कूल योजना की संरचना कर ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदनोपरान्त उसी के सहयोग से क्रियान्वित किया गया । यह धनराशि गॉव मे हमारा अपना विद्यालय की परिकल्पना के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त हो और समुदाय आधारित शिक्षा की समग्र परिकल्पना पूर्ण हो सके। इस हेतु प्रतिविद्यालय 2 हजार प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय में 4 हजार रूपयें सर्व शिक्षा अभियान में भी रखे जायेंगे । विद्यालय अनुदान से निम्न कार्य उदाहरणार्थ है-

- स्कूल परिसर का सौन्दर्यीकरण
- स्कूल भवन की आवश्यक/विशेष मरम्मत एवं रख रखाव
- स्कूल उपयोगार्थ आवश्यक सामग्री/उपकरण-अलमारी, मेंज, कुर्सी आदि का क्रय
- स्कूल भवनों, दीवारों पर स्थानीय तथा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित कथाओं, कलाकृतियों, प्राकृतिक चित्रो आदि को चित्रांकित किया जाना

8.9.2 अध्यापक अनुदान :-

सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को सत्र के प्रारम्भ में 500 रूपये प्रत्येक अध्यापक की दर से एक मुक्त धनराशि उपलबध करायी गयी थी जिसमें अध्यापकों ने सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण क्षात्रों के सहयोग से किया । इस प्रकार शिक्षण कक्षाएँ आकर्षक और आनंदायी बनी जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले । सर्व शिक्षा अभियान में भी कक्षाओं को

आकर्षक बनाने हेतु प्रति अध्यापक 500 रूप्या सत्र के प्रारम्भ में देने की व्यवस्था की गयी है जिसके द्वारा अध्यापक सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण करेंगे । उदाहरण स्वरूप कुछ सामग्री निम्न लिखित है

नोडिंग हार्स	:	लीवर सिस्टम समझाने के लिए
पतंग	:	एलास्टी सिटी समझाने के लिए
कागज की सीटी	:	ध्वनि कंपन
मास्क (मुखौटे)	:	कहानी, कविता, भाषा ज्ञान
सॉप सीढ़ी	:	अर्थपूर्ण शब्दों के निर्माण हेतु।

8.10 कम्प्यूटर शिक्षाः-

वर्तमान वैज्ञानिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यार्थीयों को कम्प्यूटर शिक्षा दी जानी आवश्यक है। इससे शिक्षा के प्रति रूचि तथा रोजगार परक शिक्षा देने में सहायता होगी। निरीक्षक वर्ग/ अध्यापकों को भी कम्प्यूटर शिक्षा के लिये प्रशिक्षित किया जायेगा। कम्प्यूटर शिक्षा के लिये ऐसे वि ालयों का चयन किया जायेगा। जो सुरक्षित एंव विद्युतिकृत हों। कम्प्यूटर में प्रशिक्षत अध्यापकों द्वारा ही विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षित किया जायगा।

8.11 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :

वर्ष 1999 - 2000 तक सहारनपुर जनपद में परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक स्वयं बच्चों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकें क्रय करते थे । राज्य सरकार एवं बी.ई.पी. परियोजना के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करने की कोई व्यवस्था नही थी । वर्ष 2000-2001 में [illegible] के लिए शिक्षा परियोजना के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गयी । जिससे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के

परिषदीय विद्यालयों में नामांकित एस.सी., एस.टी. एवं समस्त बालिकाओं को उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा नव विकसित पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गयी।

उक्त नवीन व्यवस्था के उल्लेखनीय और सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। वर्ष 1999–2000 में जहाँ अनु0 जाति, ज0 जा0 एवं बालिकाओं का नामांकन विद्यालय मं 28 प्रतिशत था वहीं 2000–2001 में बढ़कर 33 प्रतिशत हुआ। इन सार्थक परिणामों को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान में भी इसकों बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुनः निः शुल्क पाठय पुस्तकें दिये जाने का प्रस्ताव है जो प्रतिवर्ष सत्र के प्रारम्भ में दी जायेंगी। 2001–2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु अनुमानित संख्या सारणी 8.3 द्वारा प्रदर्शित है।

सारणी 8.3

कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिये वर्ष 2001–2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु बच्चों की संख्या

क्रम संख्या	वर्ष	परिषदीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	परिषदीय विद्यालयों में कुल बालिकाओं की संख्या (अनुसूचित जाति सहित)	कुल योग
1.	2001	49503	120756	170259
2.	2002	56616	138109	194725
3.	2003	64752	157955	222707
4.	2004	66177	161430	227607
5.	2005	67633	164982	232615
6.	2006	69120	168611	237731
7.	2007	70641	172321	242962
8.	2008	72195	176112	248307
9.	2009	73783	179986	253769
10.	2010	75407	183946	259353

प्रतिवर्ष निर्धारित मानक के अनुसार सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति की बालकों के निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित है । प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना निर्धन छात्रों के लिए की जायेगी । जिसमें विद्यालय की कुल छात्र संख्या का 30 प्रतिशत या अधिकतम 100 सेट जो भी कम हो रखा जाना भी प्रस्तावित है ।

सारणी 8.5

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

11-14 वयवर्ग के लिए वर्ष 2001-2010 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु बच्चों की संख्या

क.सं.	वर्ष	अनुसूचित जाति बालकों की संख्या	कुल बालिकाओं की संख्या (अनुसूचित जाति सहित)	कुल योग
1.	2001	9439	21535	30974
2.	2002	10317	23538	33855
3.	2003	11276	25727	37003
4.	2004	12325	28120	40445
5.	2005	13471	30735	44206
6.	2006	14724	33593	48317
7.	2007	16094	36718	52812
8.	2008	16448	37525	53973
9.	2009	16810	38351	55161
10.	2010	17179	39195	56374

प्रतिवर्ष निर्धारित मानक के अनुसार सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति की बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित हैं । प्रत्येक विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना निर्धन छात्रों के लिए की जायेगी ; जिसमें विद्यालय की कुल छात्र संख्या का 30 प्रतिशत रखा जाना भी प्रस्तावित है ।

8.12 शिक्षक संदर्शिका :-

उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में वर्ष 2000-2001 में कक्षा 1 से 5 तक नव विकसित पाठ्य पुस्तकों को कक्षा कक्ष आन्तरिक शिक्षण में सुधार लाने के लिए प्रत्येक स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक संदर्शिकाएँ विकसित की गई है। जिसका वितरण प्रत्येक स्कूल में एक सेट दिया जा रहा है । कक्षा-6 से कक्षा-8 तक की नवीन पाठ्य पुस्तकें विकसित की जा रही हैं। वर्ष 2000 से 2003 में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षक संदर्शिकाएँ विकसित कर प्रति उच्च प्राथमिक विद्यालय को एक सेट शिक्षक संदर्शिकाओं का उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2005 में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पाठ्य पुस्तकों के नवीनीकरण के पश्चात शिक्षक संदर्शिकाओं को प्रति विद्यालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखी गयी है । शिक्षक संदर्शिकाओं के वितरण की व्यवस्था निम्न सारणी के अनुसार प्रस्तावित है ।

सारणी

शिक्षक संदर्शिका वितरण (परिषदीय प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय)

वर्ष	कक्षा	संदर्शिकाओं की कुल संख्या	कुल परिषदीय विद्यालय जिन्हे शिक्षक संदर्शिका उपलब्ध करायी जानी है (2010 तक)
2001-2002	1 से 5 तक	1400 शिक्षक संदर्शिका	1244 प्रा0वि0 हेतु प्रति वि0 एक सैट
2002-2003	6 से 8 तक	शिक्षक संदर्शिका परियोजना परिषद द्वारा तैयार की जानी है।	474 उ0प्रा0वि0 हेतु प्रति विद्यालय एक-सैट
2005-2006	1 से 5 तक	1400 शिक्षक संदर्शिका	1244 प्रा0वि0 हेतु प्रति विद्यालय एक सैट

8.13 बालिका शिक्षा :-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 35.8 प्रतिशत पाई गयी जबकि उ.प्र. में पुरूषों की साक्षरता 55.73 और महिलाओं की साक्षरता केवल 44.27 प्रतिशत रही है । जनपद सहारनपुर में महिला साक्षरता की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । यहाँ महिला साक्षरता दर 28.10 प्रतिशत है । जनपद में बालिका शिक्षा के प्रति सभी वर्गों में उदासीनता रही है ।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं के शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया और तदानुसार बालिका शिक्षा विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए । जनपद सहारनपुर में बालिकाओं की शिक्षा बालिकाओं की शिक्षा वर्ष 1991 की जनगणना के आधारपर निम्नवत है जिसे सारणी द्वारा दर्शाया गया है :-

जनपद की विकास खण्डवार एंव नगर क्षेत्रवार साक्षरता वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निम्नवत है:-

क0स0	विकास क्षेत्र	पुरूष	महिला	योग
1	साढोली कदीम	30.8	11 5	22.1
2	मुजफफराबाद	50.6	20.4	36.8
3	पुंवारका	48.3	17.9	34.4
4	बलियाखडी	52.4	19.3	37.3
5	सरसावा	45.2	19.1	33.4
6	नकुड	53.9	22.4	39.7
7	गंगोह	44.8	16.2	31.8
8	रामपुर	57.0	22.8	41.6
9	नागल	51.1	20.6	37.4
10	नानौता	58.8	26.4	43.9
11	देवबंद	51.5	24.0	39.1
12	नगरक्षेत्र सहारनपुर	66.8	50.9	59.5
	योग	49.3	19.90	36.8

स्रोत : जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका 1998

इस विवरण में यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है कि साक्षरता तथा नामांकन दोनो दृष्टि से महिला वर्ग पुरूषों की तुलना में पीछे है । किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है । कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शतप्रतिशत करने के साथ-साथ सभी वर्ग की शतप्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना है । नामांकन हेतु चलाए गए विभिन्न अभियानों और गॉव स्तर पर बैठक में आए विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्याएँ उभर कर आयी हैं जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशेष आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है ।

इसको दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं। इनमें 3-6 वयवर्ग में बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केंद्र खोले गए जिससे परिणाम स्वरूप इन विद्यालयों में बालिका शिक्षा में नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई । क्योंकि बालिकाएँ अक्सर इस वयवर्ग के अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती थी । कक्षा-5 पास करने के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के लिए कार्य अनुभव के अन्तर्गत प्रयास प्रोजेक्ट के रूप में कार्य अनुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई । परिणाम स्वरूप विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति में वृद्धि हुयी एवं ड्रापआउट दर में कमी हुयी।

8.13.1 बालिका शिक्षा हेतु अब तक किये गये कार्य :

जनपद सहारनपुर में बी.ई.पी. के अंतर्गत वर्ष 1993-94 में बालिका नामांकन 32 प्रतिशत था । जो 2000-2001 में बढ़कर 47.5 प्रतिशत हो गया । इसी प्रकार अपर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 93-94 में नामांकन 27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000-2001 में 45 प्रतिशत हो गया । इसी प्रकार शलात्यागी दर जो वर्ष 1993-1994 में प्रतिशत जो 1999-2000 में 29.4 प्रतिशत हो गयी परन्तु

फिर भी स्पष्ट है कि बालिका शिक्षा में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुत कार्य होना है ।

जनपद के दो विकास खण्डों मे बालिका शिक्षा को प्रोत्सहित करने के उद्देशय से द्विपाली विद्यालय चलाये गये । इसमें अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली क्योकिं महिला अध्यापिकाओं की कमी एवं दूरदराज से आने वाली बालिकाओ की सुरक्षा का अभाव प्रमुख कारण रहा।

मां बेटी मेलो का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया गया । नामांकन वृद्वि हेतु शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया । ई0 सी0 सी0 केन्द्रो का संचालन कराया गया । जिसके द्वारा बालिका अपने भाई बहनो को ई0 सी0 सी0 केन्द्रो मे छोडकर विद्यालय पढने आती थी । इस प्रकार बालिकाओं की पहुच एवं ठहराव में वृद्वि हुई । आंगनवाड़ी केन्द्रो के साथ ई0 सी0 सी0 केन्द्रो को जोड़ा गया ।

ग्रीष्म कालीन 10 दिवसीय शिवरों का आयोजन किया गया जिसमें वातावरण निर्माण, स्वास्थय, शिक्षा, सिलाई-कढाई के प्रति बच्चों मे रूचि उत्पन्न करने के साथ-साथ छूट गयी पढ़ाई का अभ्यास कर पुनः योग्यतानुसार कक्षाओं में नामांकित कराया गया । ये शिविर प्रत्येक विकास खण्ड के उन ग्राम सभाओं में संचालित किये गये जिसमें 30 से 40 शालात्यागी बालिकाएँ उपलब्ध थी । 10 दिन के शिविर के पश्चात अभिभावक इतने प्रभावित हुये कि उन्होने विद्यालय में छात्राओं को अपेक्षाकृत अधिक नामांकन कराया ।

ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जिसमें बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया । उच्चप्राथमिक विद्यालयों में मार्गदर्शी कार्यक्रम के रूप में "कार्यानुभव" कार्यक्रम चलाया गया। कच्चा माल उपलब्ध कराकर स्वेटर, बैग्ले, गुड़िया, बच्चों के कपड़े, बैग, तकिये के कवर, चादरों की कढ़ाई आदि बालिकाओं द्वारा तैयार की गई तैयार सामग्री को प्रदर्शनी लगाकर बिक्री हेतु रखा गया। बिक्री

से प्राप्त धनराशि से पुनः कच्चामाल खरीदा गया और पुनः यही प्रक्रिया दुहराई गयी। इस प्रकार बालिकाओं में करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास हुआ और भविष्य में स्वालम्बी बनाने के सार्थक प्रयास किये गये। वर्ष 1996 में श्रीमति वुलफैनसन (पत्नी अध्यक्ष विश्व बैंक) के जनपद भ्रमण पर विकास संसाधन केन्द्र पुवारका में बालिकाओं द्वारा तैयार किये गये प्रदृश्यों की प्रदर्शनी आयोजित की गयी। बालिकाओं द्वारा निर्मित सामग्री की श्रीमति वुलफैनसन द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा एक स्वेटर क्रय किया गया।

ग्रुप डिसकसन में बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो सुझाव प्राप्त हुए है उनमे बालिकाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा जैसे - सिलाई, कढ़ाई, बनुाई, मेहंदी, प्रतियोगिता, ब्यूटी पार्लर कोर्स, साफ्ट टाय, बैग बनाना आदि के शिक्षण एवं करके सीखनें की व्यवस्था की जावे। शहरी क्षेत्र में फल संरक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव भी आया तथा यह भी तथ्य उभर कर आया कि शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फल संरक्षण कार्यक्रम बालिकाओं के लिए चलाये जावे। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान विषय के पढ़ाने हेतु क्रियात्मक एवं सैद्धान्तिक रूप से शिक्षण की व्यवस्था की जाय।

महिला समाख्याः-

महिला समाख्या सहारनपुर में पिछले एक दशक से महिला शसक्तिकरण के लिये प्रयासरत है। अनेक प्रि[illegible]ों व गति[illegible] तय करते [illegible] सफर में आगे बढ़ती जा रही है। सन 1997 में जनपद सहारनपुर में महिला समाख्या क्रियान्वयन की कार्यवाही हुई जिसमें सबसे पहले नागल ब्लाक में कार्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात रामपुर मनिहारन एंव बलियाखेड़ी ब्लाक में कार्य का शुभारम्भ किया गया । वर्तमान में महिला समाख्या जनपद के 230 गांवों में कार्यरत है। महिला समाख्या प्रक्रिया आधारित कार्यक्रम है। जिसमें लक्ष्य व उपलब्धियों से अधिक प्रक्रिया [illegible] है। महिला समाख्या का सहयोग बालिका शिक्षा,

स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध कराने, शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराने, किशोरी संघ की स्थापना, पर्यावरण सम्बन्धि जानकारी उपलब्ध कराने एंव जीवनोपयोगी क्रियाकलापों को कराने में लिया जायेगा। ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन शिविर हेतु विशेष सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

8.13.2 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित रणनीतियां :-

बालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ विद्यालयों में अपनी बालिकाओं को भेजने से कतराते हैं अतः क्रमशः 1.5 कि.मी. की परिधि कम से कम प्रत्येक 300 की आबादी पर नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना उ.प्र. सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अंतर्गत की गयी है । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालय पर 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है । प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव हेतु शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था की जायेगी । सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये प्राथमिकता पर विद्यालय की चाहर दीवारी की जायेगी ।

प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा अभिभावकों को भरोसा दिलाने की दृष्टि से कम से कम 1 महिला शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । जिसको धीरे धीरे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा ।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से तथा विशेषकर अल्प संख्यक अभिभावकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में विशेषकर देवबंद, गंगोह एवं सहारनपुर में चिन्हित उच्च प्राथमिक विद्यालय में द्विपाली योजना

चलाने का प्रस्ताव रखा गया है । इसके अंतर्गत 1 पाली में केवल बालिकाओं को शिक्षा दी जायेगी । इस पाली में अधिकाधिक महिला शिक्षकाओं की व्यवस्था की जायेगी ।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की मॉग इसी अध्याय के बिंदू 8.1 में प्रस्तावित है । यह भी प्रस्तावित है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण होने से पूर्व प्रस्तावित स्थान पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय में द्विपाली योजना प्रारम्भ कर उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सत्र 2002-2003 में कर दी जायेगी । इस व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान प्राथमिक विद्यालय के भौतिक संसाधनों का लाभ लेते हुये दोपहर के समय उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षाएँ संचालित की जायेगी । इस व्यवस्था का लाभ बालिकाओं की शिक्षा पर अवश्य पड़ेगा क्योकि अब कक्षा-6 से कक्षा-8 तक की व्यवस्था आबादी क्षेत्र के निकट ही हो जायेगी ।

जिन विकास खण्डों में तथा संकुलों में बालिका शिक्षा की व्यवस्था बनी हुयी है (ई.एम.आई.एस. एवं सूक्ष्म नियोजना के आँकड़ों के अनुसार) विकास खण्ड सठौली कदीम, पुतारका, गंगोह, बलिया खेड़ी तथा सरसावा साथ ही 30 संकुलों में बालिका शिक्षा की वृद्धि के लिए मॉडल क्लस्टर विकसित करने की रणनीति अपनायी जायेगी । इन सब स्कूलों में महिला प्रेरक समूह तथा माता शिक्षा संघ (एम.टी.ए.) का गठन कर बालिका शिक्षा में वृद्धि लाने की सम्पूर्ण रणनीति अपनायी जायेगी । इस व्यवस्था के अंतर्गत समुदाय एवं अभिभावकों को प्रेरित करना तथा विद्यालय में अध्यापकों व शिक्षण विधियों में बालिकाओं के प्रति शिक्षा में सजगता उत्पन्न करना उल्लेखनीय है । इन संकुलों में महिला प्रेरक समूह तथा सूक्ष्म नियोजन के आधार पर बालिका वार अनुश्रवण एवं आँकड़ों का विश्लेषण करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बालिका स्कूली अथवा वैकल्पिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करती रहेगी ।

बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु कक्षा-1 से कक्षा-8 तक निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था भी की गयी है जिसका विवरण इसी अध्याय में पृथक से लिया गया है ।

जनपद में बालिका शिक्षा की रणनीतियों के विशेष कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु एक पूर्णकालिक जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) की व्यवस्था जिला परियोजना कार्यालय में की जायेगी । इस विशेषाधिकारी का दायित्व होगा कि बालिका शिक्षा सम्बन्धी सभी कार्यों तथा प्रस्तावित रणनीतियों का कियान्वयन करायें तथा जनपद में प्रारम्भिक शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों मे बालिका शिक्षा से सम्बन्धित बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता का वातावरण सृजित करें । समन्वयक (बालिका शिक्षा) को वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था सामुदायिक सहभागिताओं तथा शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों से भी जुड़ना आवश्यक होगा जिससे कि बालिका शिक्षा की आवश्यकताओं का समावेश उन कार्यक्रमों में भी पूर्ण रूप से कर सके ।

सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड समिति सदस्यों को बालिका शिक्षा हेतु विशेष रूप से अभिकेंद्रित कराया जायेगा । इस कार्य में विशेषकर महिला सदस्यों/महिला प्रधानों/महिला वार्ड सदस्यों को लिंग संवेदनशीलता के प्रति अभिकेंद्रित किया जायेगा । जनपद सहारनपुर में महिला समाख्या से लगातार सम्पर्क रखा जायेगा । और उनके अनुभवों के मार्ग दर्शन का लाभ लेते हुये सामुदायिक सहभागिता एवं अध्यापक प्रशिक्षणों में सहयोग प्राप्त किया जायेगा ।

वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों में जिसका पूर्ण विवरण अध्याय-7 में दिया गया है का सीधा लाभ बालिका शिक्षा पर पड़ने की सम्भावनायें हैं चूंकि घरेलू जिम्मेदारियों में जकड़ी हुयी बालिकाओं को लचीली शैक्षिक प्रणालियों से जुड़ने में आसानी होती है और लचीली समय सारणी से शिक्षा का लाभ प्राप्त

कर सकती है । समय-समय पर होने वाले विशेष कार्यक्रमों में बालिका शिक्षा को प्रचार-प्रसार से प्रभावी बनाया जायेगा ।

बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 210 शिशु शिक्षा केंद्र खोलने का प्रस्ताव है । ये केंद्र आई.सी.डी.एस. के समन्वयन में संचालित किये जायेंगे ये केंद्र विशेषकर उन विकास खंडों एवं संकुलों में खोले जायेंगे जहाँ बालिका शिक्षा का प्रतिशत कम है इन केंद्रों के अंतर्गत आई.सी.डी.एस. द्वारा संचालित आँगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय के करीब लाया जायेगा और केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा के कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जायेगा । आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को स्कूल पूर्व शिक्षा में विशेष अभिमुखिकरण-प्रशिक्षण तथा केंद्र को अतिरिक्त पूर्व विद्यालय शिक्षण अधिगम सामग्री (ई.एल.एम.) की व्यवस्था की जायेगी । आँगनवाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक विद्यालय के समय को बढ़ाया जायेगा । इसके लिए कार्यकर्त्ता एवं सहायिका को अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा ।

8.13.3 जनजागरण अभियानः-

जनपद सहारनपुर में 77588 बालिकाएं हैं जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन नहीं है । इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जनजागरण अभियान चालाए जायेंगे। विशेषकर सठौली कदीम, गंगोह एवं पुवारका विकास खण्ड ऐसे हैं जहाँ पर बालिकाएँ घरों में काम करती है या अल्प संख्यक हैं अपेक्षाकृत पिछड़ी हुयी हैं । इनके माह जुलाई से सितम्बर तक प्रतिमाह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा । इसके अन्तर्गत फेरियाँ जुलाई तथा पोस्टर नाटो का लेखन जन सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जाएगा ।

8.13.4 बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्द्धन :

- जिले की समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे ।
- महिला प्रेरक समूहों एम.टी.ए. का गठन एवं प्रशिक्षण प्रस्तावित है ।
- जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों/अध्यापिकाओं प्राईमरी/अपर प्राईमरी का बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रस्तावित है ।

8.13.5 मदर टीचर एसोसिएसन :

प्रत्येक ग्राम में मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की जायेगी जिसमें प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा के प्रति जागरूक अधिकतम 10 महिलायें इसकी सदस्या होंगी। ब्लाक/न्याय पंचायत/ स्कूल स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित है। इस कार्यशाला में बालिकाओं में शिक्षित होने के लाभ तथा हानियों से अवगत कराया जायेगा।

8.13.6 पी0टी0ए0 (पेरेंट टीचर एसोसिएसन) अभिभावक अध्यापक संघ :–

अभिभावकों को शिक्षा विशेषकर बालिकाओं के प्रति सजग करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक अध्यापक संघ की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक माह पी0टी0ए0 की बैठक ग्राम शिक्षा समिति के साथ की जायेगी। जिसमें बाकि शिक्षा तथा विद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उसका निराकरण किया जायेगा। प्रति कक्षा के 2 बालिकाओं के अभिभावक जिसमें से एक गत परिक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एवं 1 कम अंक उर्त्तीण करने वाले बालिका के अभिभावक सदस्य होंगे।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ– ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निम्रण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल–ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन**

  - बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंग। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

  - बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा।

    – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

    – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

    – माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

    बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेगे।

- **सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन**

  शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुये नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- **कोहार्ट स्टडी**

  अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- **ग्रीष्म कालीन शिविर**

  ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाल त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- **"बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान**

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम हैं "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण**

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

8.16.8 माडल क्लास्टर डेवलपमेंट :

साढौली कदीम, गंगोह, पुवारका, बलियाखेडी एवं सरसावा विकास क्षेत्र की ऐसी न्याय पंचायत का चयन किया जायेगा। जिसमें बालिकाएं अधिक निरक्षर हों। चयनित न्याय पंचायत को माडल क्लास्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। इन क्लसटर के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे ताकि इन न्याय पंचायतों की समस्त ग्राम सभाओं में 6–11 वयवर्ग की बालिका शतप्रतिशत नामांकन ठहराव सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति स्वामित्व उनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्यायपंचायतों में बालिकाओं में आत्म विश्वास एवं आत्म छवि को विकसित करने उनके नेतृत्व के गुण विकसित करने हेतु विभिन्न

कार्यक्रम प्रस्तावित है । इन कार्यक्रमों के अर्न्तगत ग्रीष्मकालीन शिविरों, किशोरी संघो के गठन, लाईफ स्किल ट्रेनिंग आदि आयोजित होंगें । धीरे-धीरे माडल क्लास्टर की संख्या में वृद्धि की जायेगी ।

8.13.9 विशेष नामांकन अभियान :

चयनित क्लस्टर में पी.आर.आर.ए. (पार्टीसिपेटरी रूरल एप्रैजल) के आधार पर सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर साढौली कदीम, गंगोह, पुवारका एवं मुजफरावाद में नामांकन अभियान चलाया जायेगा। सभी लक्ष्यगत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, वे नियमित रूप से विद्यालय आवें और उनकी शैक्षिक समप्राप्ति में वृद्धि हो इसके लिये चिन्हित बच्चो के घर घर तक पहुँचना आवश्यक है इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला समूह का सहयोग लिया जायेगा । इसी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँगे ।

8.13.10 सामुदायिक जनजागृति :

लिंग भेद समाप्ति एवं बालिका शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व बोध सुनिश्चित कराने हेतु सामुदायिक जनजागृति के लिए विकास खण्ड सढौली कदीम, गंगोह, पुवारका एवं मुजफरावाद विकास खण्ड में विशेष तौर पर तथा अन्य जनपद में सामान्य तौर पर निम्नलिखित कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर आयोजित किये जायेंगे ।

- ❖ नुक्कड़ नाटक/ग्राम/न्यायपंचायत स्तर पर
- ❖ प्रभात फेरी ग्राम स्तर पर
- ❖ माँ बेटी मेला आयोजन
- ❖ ग्राम/न्याय पंचायत स्तर पर
- ❖ प्रतियोगिताएँ - खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम

8.13.11 पदयात्रा :

ग्राम एवं न्याय पंचायत स्तर पर पद यात्राओं का आयोजन किया जायेगा। इसमें प्रमुख महिला सामाजिक कार्यकत्रियों को सम्मिलित किया जायेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं में सामाजिक चेतना का विकास करना है।

8.13.12 कला जत्था :

जनपद सहारनपुर में 'सांग' एवं अन्य ऑचलिक लोक कलाओं/लोक गीतों का आयोजन किया जायेगा। स्वैच्छिक संगठनों एवं कला जत्थों के सहयोग से पोपेट सो का आयोजन किया जायेगा और इसके द्वारा महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा ।

8.13.13 मीना कैम्पेन :

इसके माध्यम से प्रत्येक गॉव स्तर पर गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, फिल्म प्रदर्शन, बैनर, चार्ट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से माता पिता अभिभावकों को प्रेरित किया जायेगा ।

8.13.14 मॉ बेटी मेला आयोजन :

ग्राम स्तर पर मॉ बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा ।

उद्देश्य :

माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 2 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेषित करना है ।

8.13.15 ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला प्रशिक्षण :

प्रत्येक स्तर पर सुभाष की परिभाषिता सुनिश्चित हो सके इसके लिए एम.टी.ए., आर.टी.ए., वी.ई.सी., महिला प्रेरक समूह ब्लाक तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयक केंद्रो के लिए सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे । माडल न्याय पंचायत केंद्र, सामुदायिक गतिविधियों के केंद्र तथा शिक्षा केंद्र के रूप में विभाजित किये जायेंगे ।

8.13.16 ग्राम शिक्षा समितियों, एम.टी.ए., महिला प्रेरक समूहो का गठन तथा प्रशिक्षण-:

बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं उनके नामांकन विद्यालय में ठहराव तथा सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि हेतु वी.ई.सी., एम.टी.ए., डब्ल्यू.एम.जी. को संवेदनशीलत बनाना । विद्यालयों में एवं विद्यालय से बाहर की गति विधियों में उनका योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । इस हेतु सूची जि.प्रा.शि. कार्य के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण मंजूषा विकसित की जायेगी ।

8.13.16 सेवारत अध्यापक बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण :

समस्त अध्यापकों एवं बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. कोर्डिनेटरों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं को गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

8.13.17 ग्रीष्म कालीन शिविर :-

ड्रापआउट बालिकाओं को पुनः विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्यक्रमः-

ड्रापआउट बालिकाओं को पुनः विद्यालय की मुख्य धारा में लाने हेतु 30 दिन का ग्रीष्म कालीन शिविर चलाया जाएगा और उनको रक्षा विशेष में पुनः समेकित कराया जायेगा । यह शिविर प्राथमिक एवं उ.प्रा.शि. दोनों के लिए चलाए जाएंगे बालिकाओं की ड्रापआउट दर को ध्यान में रखकर किया जायेगा । जनपद में बालिका नामांकन 203045 है और बालिकाओं के नामांकन विद्यालय में रहने

और गुणवत्ता सम्प्राप्ति हेतु प्रत्येक विकास खण्ड को माडल क्लास्टर अथवा अन्य क्षेत्रों को चयनित ग्राम सभाओं में दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाने का प्रस्ताव है इन शिवरों में शाला त्यागी बालिकाओं उनके अभिभावकों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रधान तथा समूह के प्रतिनिधियों के सहयोग से बालिकाओं को विद्यालय लाने के लिए प्रेरित किया जायेगा । शिविरों के लिए मुख्य पैकेज का प्रयोग किया जायेगा ।

8.13.18 विशेष कोचिंग हेतु :

जिन लड़कियों का उपलब्धी स्तर कम है उनको इन शिवरों के माध्यम से अतिरिक्त कोचिंगों की व्यवस्था की जायेगी । बालिकाएं विशेषकर कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं की पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों सें विद्यालय में नियमित उपस्थिती न रह पाने के कारण बहुधा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाती है तथा अन्त में अधिकांशतः धीरे-धीरे हीन-भावना एवं कक्षा में अन्य साथियों के साथ न चल पाने के कारण विद्यालय छोड़ देती है । ऐसी बालिकाओं को चिन्हित कर ब्लाक स्तर पर 40-50 बालिकाओं के लिए ग्रीष्मावकाश में 15 दिनों का शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है । ऐसे शिविरों में पूर्व में चिन्हित कठिन स्थलों यथा विज्ञान, गणित अंग्रेजी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिक्षक के साथ साथ योगा, मार्शल आर्ट, लाईफ स्किल तथा कम्प्यूनिटी राज्य के अनुभवों का भी लाभ मिल सकेगा ।

सढौली कदीम, गंगोह एवं पुवारका जनपद के ऐसे क्षेत्र है जहाँ महिला साक्षरता दर क्रमशः 11. 5, 16.2, 17.9 है । इन क्षेत्रों में माताओं, शिक्षकों एवं विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं का फोकस ग्रुप डिस्कसन किया गया जिससे महिलाओं के शैक्षिक पिछड़े पन के कारण ज्ञात हो सके जो मुख्यतः निम्नवत है :-

1. आर्थिक रूप से पिछड़ापन

2. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र

3. सढौली कदीम वीहड़ क्षेत्र होने के कारण बालिकाओं में सामाजिक सुरक्षा का भय बना रहता है । प्राकृतिक रूप से वर्षा ऋतु में बाढ़ तथा ग्रीष्म काल में भयंकर सूखा, आग लगने, पीने के पानी की समस्या आदि से जूझने के कारण बालिकाओं की शिक्षा के साथ-साथ बालकों की शिक्षा की समस्या भी बनी रहती है । जबकि गंगोह नगर क्षेत्र एवं सुविधा सम्पन्न होते हुये भी मुस्लिम क्षेत्र होने के कारण बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी एव पर्दा प्रथा की समस्या से ग्रस्त है यहाँ के परिवारों में बालिकाएँ विद्यालय जाने के स्थान पर काष्ट कला के कार्य में मदद करती हैं इस प्रकार के विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति के तहत सढौली कदीम में प्रथम एवं द्वितीय चरण में 20-20 ग्रीष्म कालीन शिवरों का आयोजन कर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जायेगा ।

8.13.19 ब्रिज कोर्स :

चयनित क्लास्टर में आवश्यकतानुसार बालिकाओं, के लिए ब्रिज कोर्स आवसीय शिविर भी आयोजित किये जायेंगे । ऐसे शिविर सढौली कदीम तथा गंगोह में प्रस्तावित है । इन शिविरों में 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को कंडेस कोर्स के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा-5 तथा कक्षा-8 की परीक्षा परीक्षा दिलाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा ।

8.13.20 उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम कार्यानुभव :

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जावेगा । इसके अन्तर्गत जनपद के परम्परागत ट्रेड तथा गैर परम्परागत ट्रेड में चयन कर आधुनिक तकनीकी से संजोकर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है । खिलौने बनाना, कला चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप

अपने माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियाँ मिट्टी के खिलौने कागज के सामान बनाने की कला सीखायी जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि पशु–पालन प्रस्तर कला धातुकला आदि से सम्बिन्धित सामान्य ज्ञान अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा। इस वर्ष विकास खण्ड स्तर पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्यानुभवन योजना प्रस्तावति है। अगले वर्षो में दूसरा विस्तार किया जायेगा। आदर्श रूप में नगर क्षेत्र के दो विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा को सामान्य ज्ञान देने हेतु प्रस्ताव है।

8.13.21 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण

आकर्षक एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्ताकें के वितरिण का बच्चों के विशेषकर बालिकाओं क शतप्रतिशत नामांकन एवं उनके विद्यालय में ठहराव हेतु विशेष महत्व है। समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

8.13.22 शिशु शिक्षा केन्द्रो की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण

जनपद सहारनपुर में 3–6 वयवर्ग के बच्चों के लिए बालवाणी, आंगनवाणी, ई0सी0सी0ई, आई0सी0डी0एस0 केन्द्र चल रहें है। इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक, मानसिक इन्द्रियों के विकास के लिए शिक्षा दी जाती है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है :–

1. छोटे भाई बहनों की देख–रेख में लगी बालिकाओं एवं बालकों को मुक्त कर विद्यालयों तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।

2. 3–6 आयुवर्ग के प्रथम पीढ़ी बच्चों को स्कूल पूर्व विषयक गतिविधियाँ उपलब्ध कराना। उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गतत जनपद में 100 शिशु शिक्षा केन्द्र पूर्व में ही संचालित रहें है। प्रथम वष्र में इन केन्द्रों का पुनः सुदृढिकरण किया जायेगा। 110 शिशु शिक्षा केन्द्र चरणबद्ध रूप से खोले जाने प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 210 शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगें। ऐसे ब्लाकों का चयन किया गया है जिसमें महिला साक्षरता सबसे कम है तथा जहाँ आई0सी0डी0एस0 के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे है। ऐसे चयनित विकासखण्ड नकुड़ बलिया खेड़ी, पुवारका एवं मुजफ्फराबाद तथा नगर क्षेत्र में सहारनपुर, गंगोह एव देवबंद नगरपालिका प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त सढौल कदीम विकास खण्ड भी महिला साक्षरता की दृष्टि तथा बालिकाओं के ड्राप आउट दर की दृष्टि से अत्यंन पिछड़ा है परन्तु इस विकास खण्ड में आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम संचालित नही है। सढौली कदीम में भी प्रथम तथा द्वितीय चरण में 25–25 शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जायेगे। केन्द्रों पर कार्य करने हेतु कार्यकत्रियों का चयन ग्राम

शिक्षा समितियों द्वारा आई0सी0डी0एस0 के मानक के अनुसार ही किया जायेगा। परन्तु इन केन्द्रों पर 0–6 के स्थान पर 3–6 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन कियां जायेगा और उन्हे पर्सनल कम्पोनेंट के साथ–साथ उनके विकास हेतु क्रिया–कलाप आयोजित होगें। गंगोह नगर क्षेत्र नगर क्षेत्र में भी आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम नही है यहाँ पर भी उक्तवत व्यवस्था की जायेगी। इन केन्द्रों के व्यय का भार सर्व शिक्षा अभियान द्वारा व्यय किया जायेगा। जिसकी ईकाई लागत निम्नवत होगी।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री का मानदेय (12x650)	7800
केन्द्र पर दी जाने वाली शैक्षिक व अन्य सामग्री (प्रतिकेन्द्र)	5000
आकस्मिक व्यय	1500
प्रशिक्षण	1250
	15550

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नही संचालित है, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, के अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनो की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगें। इन प्रस्ताव को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किये जाएगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

8.13.23 स्वास्थ्य परीक्षण

परिषदीय प्राथमिक में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत गत वर्षो में कराया जाता रहा है। इस कार्यक्रम को आग्र बढ़ातें हुये सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के

बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवर्ष कराया जाना प्रस्तावित है। इसका अभिलेखीकरण, पंजिकाओं/कार्डो में सुरक्षित रखा जायेगा। विकलांग बच्चों को प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा किया जायेगा

8.14 समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा

8.14.1 अवधारणा:

आज भी कुछ बच्चे विकलांगता से पीड़ित है। ये या तो विद्यालय में नामांकन से स्वयं को बचाते हैं या अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रणाली की अतिसंवेदनशीलता के कारण पढ़ाई छोड़ने के लिये विवश हो जाते हैं। जबकि गंभीर मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता वाले कुछ बच्चे विद्यालय के बाहर ही रहते है तथा बहुत सारे अल्प क्षति के कारण हाशिये पर हो जाते है।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनो की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनो का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनो द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनो के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्ताव का डेस्क टॉप अप्रेज़ल/फील्ड अप्रेज़ल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जाता हैं।

जनपद में 6 से 14 वयवर्ग विकलांग बच्चों के लिए कराये गये सर्वेक्षण पर प्राप्त आँकड़े निम्न प्रकार है:

विकलांग बच्चों की		पढ़ने वाले	न पढ़ने वाले	विकलांगतावार संख्या			
बालक	बालिका			दृष्टि दोष	श्रवण दोष	अस्थि विकार	अन्य
6965	3556	4373	6148	747	1048	7956	770

स्रोत: विभागीय आँकड़े के अनुसार

विद्यालयों मे पढ़ने वाले 4373 बच्चों में से दृष्टि दोष, श्रवण दोष वाले बच्चों को चिकित्सकीय सलाह से उपकरण की व्यवस्था सामाजिक संस्था, लायंस क्लब, रोटरी क्लब के माध्यम से करायी जायेगी। अस्थिविकार वाले बच्चों के लिए व्यायाम, उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु सार्थक प्रयास किया जायेगा।

8.14.2 प्रक्रिया :

अल्प एंव संयत विकलांगता वाले बच्चों को प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों के साथ समेकित शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये गहन प्रयास की आवश्यकता है। इसलिये प्राथमिक विद्यालय प्रणाली में अल्प एंव संयम शारीरिक शिक्षा और अधिगम विकलांगता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समेकित शिक्षा की दिशा में एक व्यापक कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा। इस अभिष्ट कार्य कों करने के लिये संगठनात्मक तैयारी के आंकलन के साथ कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में कम से कम विकलांग बच्चों के साथ एक अभिभावक को नामित करने का प्रस्ताव प्रस्तावित है। इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों/परामर्शियों, बाल चिकित्सकों, बाल मनोवैज्ञानिकों, विशिष्ट शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वास्थय विज्ञान एंव विशिष्ट शिक्षा विभागों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

अधिगम विकलांगता की प्रकृति की पहचान के लिये जनपद में उपरोक्त विशेषज्ञों की एक दिवसीय कार्यशाला समस्त विकास खण्डों/नगर क्षेत्रों में आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के सहयोग से न केवल विकलांगता की प्रकृति को पहचानने की अर्न्तदृष्टि प्राप्त होगी अपितु समेकित शिक्षा के लिये जनपद सन्दर्भ दल को पहचानने में भी सहायता मिलेगी।

अधिगम विकलांगता वाले बच्चों के लिये शैक्षिक प्रावधान विषयक तीन दिवसीय कार्यशाला भी विकासखण्ड/ नगर क्षेत्र स्तर पर प्रस्तावित है। जिससे शारीरिक और अधिगम विकलांगता के मुद्दे की शिक्षकों तथा अन्य अभिकर्मियों की सुग्राहिता के लिये एक माड्यूल का विकास किया जायेगा। जिससे विकलांगता की पहचान और सलाह के लिये शिक्षकों को सुसज्जित करने की अपेक्षा की जायेगी। ताकि वें ये जान सके कि ऐसे अक्षम बच्चों के साथ कैसे व्यावहार करें और उपचारात्मक शिक्षण देने के लिये ब्लाक संसाधन केन्द एंव न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के स्टाफ को सुग्राहय

बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु और गहन प्रशिक्षण देगा। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को सम्मलित कर ब्लाक सन्दर्भ दल विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों के सन्दर्भ में ब्लाक के अध्यापकों को नियमित मार्गदर्शन प्रदान करेगा और विकलांगत बच्चों की आवश्यकता के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिये समुदाय हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। शारीरिक अक्षमता के कारण अधिगम समस्याओं के साथ बच्चों के लिये विशेष रूप से अनुकूल शिक्षण अधिगम सामग्रियों को उपलब्ध करायेगा। इस कार्य के एन0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ एंव अन्य विशिष्ट संस्थाओं में एक सप्ताह का विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजन प्रस्तावित है। जनपद में डायट में इस तरह का प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

8.14.3 जनचेतना :

ब्लाक स्तर/न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशाला/ प्रशिक्षण आयोजित कर निम्न सामग्री तैयार की जायेगी।

- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ ब्लाक संसाधन केन्द्रों और जनपद स्तर पर बच्चों को विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान के लिये सर्वेक्षण प्रणाली।
- अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों को मार्गदर्शन के लिये विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं पर इश्तहार।
- विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के समेकित शिक्षा के सन्दर्भ में कक्षा कक्षों और प्रबंधन की देखरेख के संबंध में संगठनात्मक आवश्यकताओं की आंकलन प्रणाली।

8.14.4 निदानात्मक उपागम:

समाज द्वारा अन्य सामाज के लोगों की भांति इन अक्षमता ग्रस्त बच्चों को स्वीकृति दिलाना और उन्हे शिक्षा तथा रोजगार के सामान अवसर प्राप्त कराना प्रस्तावित है।

सामान्य बच्चों तथा अक्षमता ग्रस्त बच्चों के बीच स्वस्थ सामाजिक सम्बन्ध विकसित करना। जिससे इन बच्चों के प्रति भेदभाव मूलक दृष्टिकोण को बदलकर अनुकूल तथा सकारात्मक बनाना इस योजना में प्रस्तावित है। जीवन तथा रहन-सहन को उन्नत करने के लिये इन बच्चों में नागरिक

अधिकारों के उपभोग हेतु आवश्यक सामर्थ्य का विकास सुनिश्चित..किया जाये । उन्हे स्वतन्त्रा एंव आत्मनिर्भर जीवन व्यतित करने हेतु तैयार किया जायेगा ।

एकीकरण की अलगाव की समस्या का समाधान है क्योंकि इससे अक्षमताग्रस्त वच्चों को सामान्य वच्चों की भांति शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। यह व्यवस्था व्यय साध्य ही नही है और इससे वच्चों की अनेको समस्याओं का समाधान होगा।

8.14.5 विकलांगता/ अक्षमता आधारित समेकित शिक्षा के विभिन्न उपगम :-

श्रवण सम्वन्धि अक्षमता:-

इसमें सुनने की क्षमता का सामान ह्रास हो जाता है। इससे ग्रस्त वच्चों को कक्षा में अन्य छात्रों के समय वैठकर सुनने और समझाने में कठिनाई होती है।

अपेक्षित उपाय :-

ऐसे वच्चों के कान की जांच करकर इलाज की व्यवस्था की जायेगी। कक्षा में पढ़ाते समय उनको अगली पंक्ति में वैठना आवश्यक है। पाठ्यक्रम में भी अनुकूलन किया जाना प्रस्तावित है।

दृष्टि सम्वन्धी अक्षमता :-

ऐसे वच्चों की देखने की शक्ति क्षीण होती है। इन्हें कक्षा में अन्य वच्चों के साथ वैठकर सीखने समझनें में कठिनाई होती है।

अपेक्षित उपाय :-

इस अक्षमता से ग्रस्त वच्चों को आवर्धक लेंस वाले चश्में सुलभ कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है। पाठ्यक्रम में यथोचित अनुकूलन किया जायेगा। कक्षा में आगे वैठाने तथा आश्यकतानुसार

समायोजित करने योग्य मेज-कुर्सी की व्यवस्था की जायेगी। प्रारम्भ से अन्त तक नियमित विद्यालयों में शिक्षा दी जायेगी।

अस्थि सम्बन्धी अक्षमता :-

ऐसी अक्षमता वाले बच्चों के शरीर के ऊपरी भाग में कोई दोष आ जाने के कारण लिखनें में कठिनाई होती है। हाथ-पैर मे दोष के कारण चलने फिरने में कठिनाई आती है।

अपेक्षित उपाय :-

इसके लिए आवश्यकतानुसार समायोजित करने योग्य फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। मोटी कलम, मोटी पैन्सिल, कागज, पुस्तक, होल्डर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। साइकिल की व्यवस्था भी की जानी प्रस्तावित है।

मानसिक अक्षमता (शिक्षा योग्य) :-

इस श्रेणी के बच्चों को कक्षा में पढ़ाई गयी अवधारणाओं को समझाने में कठिनाई होती है।

अपेक्षित उपाय :-

बतायी गयी अवधारणा को बार-बार दुहराने या आवृत्ति करने की आवश्यकता होती है। मूर्त परिस्थितियों में सीखने समझाने को अवसर देने से उन्हें अवधारणाओं का बोध हो जाता है। इन बच्चों को नियमित विद्यालयों में पढ़ाया जायेगा।

अधिगम दृष्टि से अक्षमता :-

इस वर्ग के बच्चों की सामान्य कोर्ट की विशेष प्रकार की समस्यायें होती है। इन समस्याओं को प्रारम्भ में जानने की आवश्यकता है।

अपेक्षित उपाय :-

विषय की जानकारी और सीखने में सहायता के अनेक प्रकार के अधिगम उपकरणों की व्यवस्था करायी जायेगी।

सम्मिलित शिक्षा :-

समाज में अपेक्षाकृत आध के सक्षम वच्चें विद्यालय जाने में कठिनाई अनुभव करते है। तथा इन परिस्थितियों में विद्यालय नही जा पाते है। ऐसे वच्चों को विशेष अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। ये बच्चे समेकित शिक्षा के वच्चों से अधिक समस्याग्रस्त होते है। कुछ ऐसे वच्चे होतें जो खड़े नहीं हो सकते कुछ ऐसे है जिन्हें बैठने में भी कठिनाई होती है, कुछ चल नही सकते। इस प्रकार के बच्चों के लिए सम्मिलित शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

सम्मिलित शिक्षा से सम्बन्धित नवाचार कार्यक्रम :-

कलाकृतियों द्वारा सिखाना :

इसमें आलू के ठप्पे, लकड़ी के ठप्पे या स्टेन्सिल काट कर कलाकृतियों तैयार की जायेंगी तथा कला के प्रति रूचि उत्पन्न की जायेगी।

सांचे तैयार कर आकृतियॉ तैयार कराना :

कुछ साधारण कलाकृतियों के सांचे तैयार कराकर मोम, प्लास्टर आफ पेरिस आदि से कलाकृतियॉ तैयार कराकर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जावेगा।

आकार खेल :

विशेष आवश्यकता वाले वच्चों को अलग-अलग आकार की वस्तुऐं देकर उनकी आकृति के अनुसार पहचान कराना प्रस्तावित है।

कुछ विशेष व्यायाम :

स्वास्थय परीक्षणोपरान्त ऐसे व्यायाम डाक्टर की साह से कराये जायेंगे जिससे विशेष प्रकार की विकलांगता में लाभ है। जैसे-जैसे वच्चा हाथ से पकड़ नही सकता तो उसे वस्तु को पकड़ाने के लिए अभ्यास कराया जायेगा।

मानसिक संवोध

इसके द्वारा रंगो की पहचान, आकार की संवोध कम से रखना, शक्ल की पहचान प्रतिरूपों से मेल खाना, निराली या अलग वस्तुओ को पहचानना, प्रत्यास्मरण, गायक हिस्सों की पहचानना, श्रृंखला को पूरा करना जैसे :- 2-3-4-6-7-9 आदि सम्वन्ध पहचानना जैसे - कार्पा-पैन, सुई-धागा, गैंद और बल्ला आदि।

अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था :

समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा हेतु विशेष आवश्यकता वाले वच्चों की पहचान कर इनके लिए विशेष प्रशिक्षण पैकेज तैयार कर उसमें अध्यापकों की 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। यह प्रशिक्षण विकास खण्ड स्तर पर दिया जोयगा। जिसमें विषय विशेषज्ञ/संदर्भ व्यक्ति विशिष्ट संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित होंगे।

सहायता और उपकरण :

इन बच्चों के प्रति दया न करके सहानुभूति, सामान्य बच्चों के समान ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को महत्व दिया जाये। इसके लिए ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर पर रैली और गोष्टियों का आयोजन किया जायेगा। समाज के प्रतिष्ठित एवं समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों, संगटनों से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार उपकरणों की व्यवस्था करायी जायेगी। जैसे-लायन्स क्लब, मैत्री संस्था, रोटरी क्लब, जैन मिलन आदि आयोजनों में इन विशिष्ट प्रकार के बच्चों की सहायता एवं उपकरणों पर सहयोग लिया जायेगा ।

कार्यक्रमों की रणनीती एवं कियान्वयन :

जनपद सहारनपुर में विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था का इस कार्य में सहयोग लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त जनपद में एक समेकित एवं बाल विकास समन्वयक के पद का भी पदस्थापन किया गया है । जो इस समस्त कार्य का अनुश्रवण और मूल्यांकन करेगा । जनपद में होने वाले समस्त प्रशिक्षणों में समेकित शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी और प्रशिक्षण पैकेज में प्रत्येक स्तर पर विकलांग बच्चों की शिक्षा से संदर्भित विषयों को जोड़ा जायेगा । स्वास्थय विभाग से भी ताल-मेल रखते हुये उनसे सहयोग लिया जायेगा जनपद में समय समय पर चल रहे समेकित शिक्षा के कार्यक्रमों का अनुश्रवण करते समय सम्बन्धित कार्य से जुड़ी गैर सरकारी संगटनों मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला समन्वयक समेकित शिक्षा के माध्यम से सम्पूर्ण कार्यक्रमो की समीक्षा की जायेगी ।

9.0 सामुदायिक गतिशीलता :

6-14 वयवर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका है । ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों की अपेक्षा अधिक है ।

इसमें निरक्षर बालकों की संख्या गॉव एवं नगर दोनो में ही अधिक हैं । गॉव में नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये । बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले गये । शिक्षा के विकेंद्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुये एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति तथा नगर में वार्ड वार नगर शिक्षा समिति गठित की गयी । शैक्षिक योजना निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी अनेक अधिकार शिक्षा समितियों को प्रदान किये गये ।

10.1 कार्य योजना पूर्व गतिविधियॉ :-

10.1.1 फोकस ग्रुप डिस्कसन :

ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास क्षेत्र स्तर तथा जिला स्तर पर विभिन्न स्थितियों फोकस ग्रुप डिस्कसन कराये गये । इन ग्रुप डिस्कसन में ग्राम प्रधान गणमान्य व्यक्ति अध्यापक, अभिभावक अधिकारियों, अल्प संख्यक वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया । फोकस ग्रुप डिस्कसन में नामांकन, भवन, विज्ञान शिक्षा, नैतिक शिक्षा, खेलकूद, मकतब को सुदृढ़ करना, गणवेश, बालिका शिक्षा आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गयी ।

10.1.2 सूक्ष्म नियेाजन :

जनपद पूर्व से ही सभी के लिये शिक्षा परियेाजना के अंतर्गत आच्छादित रहा है । वर्ष 1998 में जनपद के प्रत्येक विकास क्षेत्र में सूक्ष्म नियेाजन कराया गया था । सूक्ष्म नियेाजन से पूर्व दो दिवसीय कार्यशाला का आयेाजन विद्यालय स्तर पर किया गया । जिससे ग्राम/बस्ती को निर्माण की ईकाई बनाया जाय तथा लोक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके । सामुदायिक गतिशीलता के लिए गॉव वासियों से चुनौतियों के समाधानों पर चर्चा की गयी । जैसे : प्रत्येक बालिका को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है - बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जाना, शिक्षकों की

कर्मी - स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों से पठन पाठन की व्यवस्था समुदाय द्वारा करना, शिक्षक कार्य के प्रति उदासीन - अध्यापक की मानसिकता में बदलाव लाने हेतु सामाजिक आंदोलनों को ग्राम स्तर पर क्रिया शील करना, बच्चों की शिक्षा में आर्थिक परिस्थिति बाधा है - शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता हेतु संसाधन जुटाना, बच्चों की शिक्षा हेतु आकर्षित करने हेतु आर्थिक सहायता दे कर एवं पुरष्कृत कर प्रोत्साहित करना ।

10.1.3 ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता :

ग्राम में ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता पर चर्चा की गयी । सामुदायिक गतिशीलता को बनाये रखने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है । समुदाय को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षक एवं शिक्षण कार्य में सहयोग प्रदान करना, वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था एंव समस्याओं को ध्यान में रखकर ग्राम शिक्षा योजना तैयार करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति की आवश्यकता है ।

विगत वर्ष ही नयी ग्राम शिक्षा समितियों का गठन हुआ है पंचायत राज व्यवस्था के अन्दर प्राथमिक शिक्षा की सम्पूर्ण गतिविधियों में ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है । अतः ग्राम पंचायतों को शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रत्येक कार्य से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है । जनपद में वर्ष 2001 में 390 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । यह प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशन में न्याय पंचायत स्तर पर दिया जाना प्रस्तावित है । प्रशिक्षण अवधि 2 दिन की होगी तथा प्रशिक्षण स्थल न्यायपंचायत संसाधन केंद्र पर होगा । इसी प्रकार वर्ष 2002-2003 में 391 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया प्रस्तावित है । प्रशिक्षण विभिन्न विषयों पर दिये जायेंगे । वर्ष 2005 व 2006 में नयी ग्राम सभाओं का गठन हो जायेगा तदुपरान्त उक्तानुसार ही दो चरणों में ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ।

10.1.4. विद्यालयों की स्थिति उन्नति करने में सामुदायिक भूमिका :

सूक्ष्म नियोजन उपरान्त विद्यालय में जो समस्याएँ हैं उनका निराकरण करने में समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । जहाँ विद्यालय के लिए भूमि नहीं है अथवा कम भूमि है वहाँ पर ग्राम वासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी । बच्चो को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नही सकता अतः खेल का मैदान आवश्यक है ।

10.1.5विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा :

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है । इसके लिए वृक्षारोपण, पुष्पवाटिका हेतु जानकार लोगो की सहायता ली जायेगी उन्ही से पौध आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय में उनका रोपण कराया जायेगा । उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा ।

10.1.6 साज-सज्जा में सहयोग :

विद्यालय में फर्नीचर, टाट पट्टी, श्याम पट्ट, चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की मदद ली जायेगी तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी । गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगो से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कापी आदि सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा । प्रतिभावन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरष्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी ।

10.1.7विद्यालय सुदृढ़ीकरण में सक्रियाता :

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत चार दिवारी निर्माण, मिट्टी भराव, विद्यालय प्रांगढ़ की भूमि ऊँची नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा ।

10.1.8विद्यालय प्रवेश निर्माण में सहयोग : .

वातावरण एवं आकर्षक परिवेश हेतु बच्चों के नामांकन का विशेष महत्व है । ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों, एवं जानकार लोगों की मदद से विद्यालय से गरीब बच्चों के लिए नामांकन की व्यवस्था करायी जायेगी । जिससे बच्चे अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चों से उनकी पृथक से विशिष्टि पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चे अपने को अपराध भावना से देखे और स्वयं भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सके ।

10.1.9 राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वों पर चेतना जागृति :

राष्ट्रीय पर्वों में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जन सहयोग लिया जायेगा । अपवंचित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चों को इससे जोड़ा जायेगा । प्रतियोगिता आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा ।

10.1.10. अध्यापक सहयोग :

समुदाय के शिक्षित लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए समय दें तथा अध्यापक के कार्य में सहयोग करें ।

10.01.11 विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोगः

ग्राम के सम्मानित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक अभिभावकों को इस बात के लिए गतिशील बनाया जायेगा कि वे अपना विद्यालय को भावना से विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहे। और मासिक रूप से उसका अनुश्रण भी करे तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत संवर्द्धधन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूण्र योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क आूप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा औ संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

सहारनपुर

अध्याय–9

प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयनः–

सहारनपुर जनपद में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिये वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरम्भ की गयी थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 11 बी.आर.सी. तथा 113 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बी.आर.सी. ,एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के संबंध में 5 दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित 1221 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1149 प्रधानाध्यापक तथा 2017 सहायक अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त 583 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय भी संचालित हैं । 241 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 870 प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं । 228 मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय भी शिक्षण कार्य में सहयोग कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त जनपद में अनेक मदरसों में भी बालक व बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । जनपद में 148 उच्चतर माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं जिसमें कक्षा–6 से कक्षा–8 तक के बच्चे अध्ययनरत हैं ।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्थाः–

बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा है – प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार तथा शैक्षिक संप्राप्ति में गुणात्मक विकास करना । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किये है । 1– सार्वभौमिक नामांकन, 2– सार्वभौमिक धारण, 3– गुणात्मक संप्राप्ति । प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । इस कार्य में डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डाएट पर है । इस दिशा में डाएट द्वारा बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के विषय आधारित सेवारत् प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं । प्रशिक्षणों में विषयों के शिक्षण की नवीनतम विधियाँ, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं समुचित प्रयोग, कठिन संबोधों का सरल रूप में शिक्षण, विद्यार्थियों का सतत् व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आकर्षक एवं आदर्श बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया है । प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण

कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा किया जाता है ।

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग और समर्थन को प्रदान करने हेतु डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 पर एक निश्चित तिथि को मासिक कार्यशाला का आयोजन किया जाता है । बी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में डाएट प्रतिनिधि तथा एन0 पी0 आर0 सी0 पर आयोजित कार्यशाला में बी0 आर0 सी0 व डाएट प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं । कार्यशालाओं में पर्यवेक्षण और अनुश्रवण को प्रभावी बनाने की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग–समर्थन देने सम्बन्धी प्रयासों पर विचार–विमर्श किया जाता है । डाएट, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण के समय आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण भी किया जाता है तथा उनकी शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है । पर्यवेक्षण के समय विद्यालय चैक लिस्ट के अनुसार सी व डी ग्रेड प्राप्त विद्यालयों को उच्च ग्रेड में लाने हेतु सुझाव व प्रयास किये जाते हैं । तदोपरान्त इन विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है।

अकादमिक पर्यवेक्षणः–

शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परियोजना जनपदों में शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु अनेक प्रयास किये गये । इसी क्रम में राज्य स्तरीय कार्यशाला डाएट पटनी में मई, 99 में आयोजित की गई । इस कार्यशाला में विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण पर बल दिया गया । जनपद स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण का क्रम निम्नवत् है –

डाएट

↓

बी0आर0सी0

↓

एन0पी0आर0सी0

↓

प्राथमिक विद्यालय

शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण के लिए विकसित पटनी पैकेज के अनुसार बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 व प्राथमिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु चैक प्वाईंट के आधार पर इनको श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई थी ।

प्रत्येक विकासखण्ड के बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 व प्राथमिक विद्यालयों को सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्य हेतु डाएट स्तर पर एक–एक प्रभारी बनाया गया । यह प्रभारी बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 की मासिक कार्यशालाओं में सम्मलित होकर विद्यालयों के अकादमिक पर्यवेक्षण की कार्ययोजना तैयार करते है । जनपद में अकादमिक पर्यवेक्षण के लिए इस प्रणाली के आधार पर विद्यालयों के श्रेणीकरण की स्थिति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

स्कूल पूर्व शिक्षा–

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में **शिशु शिक्षा केन्द्रों** का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 100 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चों खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका को अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किये गये। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने

के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम **शिक्षा समिति** का गठन किया गया है। **ग्राम शिक्षा समिति** का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद सहारनपुर में डायट के नेतृत्व में 758 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों, स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं और बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थेः–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा समितियां तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया जाता है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण, विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूलों के क्रियाकलापों से स्थानीय स्तर के पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूलों में न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग व समर्थन से प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति और दशा में सुधार हो रहा है । ग्रामवासी विद्यालय भवन को राजकीय भवन न मानकर अपने गॉव की सम्पत्ति

मानने लगे हैं । विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्षा का निर्माण व आवश्यक शिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था भी ग्राम शिक्षा समिति के प्रयासों से सम्भव हो रही है । प्रत्येक माह की एक निश्चित तिथि व समय पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की बैठक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित की जाती है जिसमें प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन पर विचार विमर्श किया जाता है ।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

शैक्षिक जगत में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान हैं। बालकों को औपचारिक शिक्षा आरम्भ करने के कारण प्राथमिक स्तरीय शिक्षक का शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है । शिक्षक को शिक्षण सामग्री का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए तथा शिक्षण सामग्री को सरल, बोधगम्य एवं रूचिकर रूप में बच्चों तक पहुँचाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए।

बेसिक शिक्षा परियोजना में संचालित सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण:–

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु दिये गये हैं । समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं ।

इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी, रूचिपूर्ण एवं बाल केन्द्रित हो ।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षक की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत् अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है । बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सेवारत् शिक्षकों के प्रशिक्षणों के 5 चक्र आयोजित किये जा चुके हैं –

प्रथम चक्र में बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को सरस एवं रूचिकर बनाना, बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना। स्थानीय परिवेश के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के ***दूसरे चक्र*** में अध्यापकों को दक्षता आधारित भाषा–शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया । भाषा की प्रमुख दक्षताएँ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किन शिक्षण विधियों द्वारा किया जाये, इसकी सम्यक् जानकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा दी गई।

बच्चों में स्वपठन की आदत का विकास, विषय सामग्री को पढ़कर समझ लेने की क्षमता का विकास, भाषा की दक्षताओं में परिपक्वता, अवकाश के दिनों में खाली समय का सदुपयोग का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के ***तीसरे चक्र*** के माध्यम से अध्यापक को अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान किया गया । प्रशिक्षण में इन्द्र धनुष भाग–1 से 5 द्वारा रंगीन चित्रों के माध्यम से रोचक कहानियां एवं बाल कविताओं को सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया ।

गणित विषय को सरल एवं रुचिकर बनाकर बाल केन्द्रित विधियों द्वारा शिक्षण का ज्ञान प्रदान करने हेतु सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के ***चौथे चक्र*** में गणित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण में गणित के 5 अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्यांकों को समझना, जोड़ने–घटाने, गुणा तथा भाग की मौलिक संक्रियाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय अंको की पहचान, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र तथा समय का मापन, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत तथा ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण को सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से रुचिकर शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रशिक्षण के ***पाँचवे चक्र*** में पर्यावरण अध्ययन प्रशिक्षण के अन्तर्गत सामाजिक विषयों (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र) व वैज्ञानिक विषयों (भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान) के शिक्षण को सरल रूचिकर व बोधगम्य बनाकर विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्यापकों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करनां।
4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

उक्त प्रशिक्षणों में कक्षा–6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के समस्त प्रकरणों को सम्मिलित किया गया । जो प्रकरण शिक्षण की दृष्टि से अध्यापकों को कठिन प्रतीत होते थे, उन पर विशेष बल दिया गया ।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्यतः विकास खंड स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया गया था। जनपद में बी.ई.पी. के अंतर्गत जो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षक प्रदान किये गये उनकी स्थिति इस प्रकार है–

चक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
प्रथम चक	2982	112
द्वितीय चक	2898	157
तृतीय चक	2939	
चतुर्थ चक	2953	
पंचम चक	2849	

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद सहारनपुर में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
    - 0 विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
    - 0 विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
    - 0 वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
    - 0 शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
    - 0 एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
    - 0 ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
    - 0 डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन. पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गई इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

ऐक्शन रिसर्च :

एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में

रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में गतिविधि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग 50 प्रतिशत अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रहीं है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता है। इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लेकिन जनपद में लगभग 36 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है जहाँ 1 या 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण में कठिनाई देखी गयी है।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।

2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययाजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

डायट के संकाय सदस्यों द्वारा विद्यालय भ्रमण के अनुभवों तथा शोध अध्ययनों यथा 'स्टडी ऑफ क्लास रूम प्रोसेसज, 1998–99, सीमेट तथा 'क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी,2000, एस.सी.ई.आर.टी.' के निष्कर्षों से प्राप्त होता है कि सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणों को प्राप्त करने के उपरान्त अध्यापकों में शिक्षण के प्रति अधिकतम क्षमता व दक्षता के अनुसार कार्य करने की भावना का विकास हुआ है। अध्यापकों द्वारा विषयों के कठिन स्थलों को सरल, रोचक एवं बोधगम्य रूप में कक्षा–कक्ष में प्रस्तुत करने की दक्षता का विकास हुआ है । विषयों को स्पष्ट, सरल और रोचक बनाने हेतु शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाने लगा है । अध्यापकों द्वारा कक्षा का ऐसा वातावरण बना दिया जाता है जिसमें बालक स्वयं क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होता है ।

सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणों का उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना तथा उनमें शिक्षण की दक्षताओं और कौशलों का विकास करना । प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापक जब विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं उस समय उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे –

विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात में अध्यापकों की कमी है। विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित विषयों के शिक्षकों की कमी है। विज्ञान एवं गणित किटों की कमी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्यों हेतु समुचित प्रबन्ध का न होना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के प्रशिक्षणों का आयोजन न किया जाना। अधिकांश विद्यालयों में कक्षा–कक्षों की कमी एवं चारदीवारी का अभाव है फलस्वरूप शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। शिक्षकों को बहु–कक्षा शिक्षण का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। एस.एस.ए. के अंतर्गत प्रशिक्षणों में इन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षक की अकादमिक शैक्षिक समस्याएँ:–

दिनांक 05.02.2001 को संस्थान में आयोजित बी0 आर0 सी0 समन्वयकों, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों एवं डाएट प्रवक्ताओं की गोष्ठी में (एफ.जी.डी.) के आधार पर शिक्षक की अकादमिक शैक्षिक समस्याएँ उभर कर आई हैं जैसे:–

गणित व विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य साहित्य वर्ग के अध्यापकों द्वारा किया जाना। बहु–कक्षा शिक्षण का व्यवहारिक प्रशिक्षण न दिया जाना। विषयाधारित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणों का आयोजन न किया जाना। संस्कृत एवं अंग्रेजी शिक्षण के प्रशिक्षणों का आयोजित न किया जाना। कक्षा–कक्ष में दिये जाने वाले गृह कार्य का मूल्यांकन न किया जाना । अध्यापकों को सतत् व्यापक मूल्यांकन का व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन न किया जाना ।

डायट के संकाय सदस्य स्कूल भ्रमण पर जाते हैं। इससे जो अनुभव हुआ वह इस प्रकार है–

विभिन्न स्तर की कक्षाओं में पढ़ायी जाने वाली पाठ्य विषय–वस्तु का सम्यक् ज्ञान न होने से प्रभावशाली अभिव्यक्ति का अभाव देखने को मिला। स्थानीय भाषा के प्रभाव के कारण उच्चारण व वर्तनी में अशुद्धि, उच्चप्राथमिक कक्षाओं में विशेषकर कक्षा 7 व 8 में गणित, विज्ञान, भूगोल जैसे प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक विषयों के लिए शिक्षण समय का अभाव, विभाग द्वारा प्रदत्त अथवा प्रशिक्षण के दौरान निर्मित अनुपूरक सहायक सामग्री के प्रयोग पर ध्यान न देना, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बच्चों का विभिन्न विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति न होना।

शैक्षिक योग्यता :

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षित (बी.टी.सी. अथवा समकक्ष) स्नातक निर्धारित है। परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण (सारिणी–1) के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 25 प्रतिशत अध्यापक हाई स्कूल या उससे कम योग्यता रखने वाले हैं तथा 36 प्रतिशत के लगभग ऐसे अध्यापक हैं जो इण्टर हैं किन्तु इनमें 5 प्रतिशत अप्रशिक्षित हैं। परिषदीय विद्यालयों में इन्टरमीडिएट, स्नातक व परास्नातक प्रशिक्षित अध्यापक अधिक संख्या में शिक्षण कार्य कर रहे हैं ।

प्राथमिक विद्यालयों में इण्टर से कम योग्यता वाले अप्रशिक्षित अध्यापक भी शिक्षण कार्य कर रहे है । शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु इन अध्यापकों को विभिन्न सेवारत् प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा क्योंकि इन अध्यापकों द्वारा शिक्षण की परम्परागत विधियों द्वारा विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया जा रहा है । जबकि सारणी से यह भी संकेत मिलता है कि इण्टर से कम अप्रशिक्षित अध्यापकों के पास पर्याप्त शिक्षण अनुभव है ।

सारिणी – 2

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

		प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1–	शिक्षकों की कुल संख्या	3166	870
2–	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या	66	–
3–	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	357	09
4–	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	138	–
5–	स्नातक (अप्रशिक्षित)	49	–

6–	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	23	–
7–	हाईस्कूल (प्रशिक्षित)	385	124
8–	इण्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	995	419
9–	स्नातक एवं प्रशिक्षित	715	215
10–	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	438	103

स्रोत : बे0 शि0 अ0, सहारनपुर

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव :

1–	5 वर्ष से कम	1105	326
2–	5 से 10 वर्ष तक	890	125
3–	10 से 15 वर्ष तक	361	156
4–	15 से 20 वर्ष तक	244	83
5–	20 से 25 वर्ष तक	241	47
6–	25 से 30 वर्ष तक	169	65
7–	30 वर्ष से अधिक	156	68

स्रोत : बे0 शि0 अ0, सहारनपुर

उपर्युक्त सारिणी से यह स्पष्ट है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या अभी अधिक हैं जो लंबे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इन शिक्षकों का विषयज्ञान तथा शिक्षण विधियों की जानकारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। अधिक अनुभवी शिक्षक नवीन शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते, इस दृष्टि से इनके लिए अभी प्रेरणात्मक प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है।

विकास खण्ड संसाधन केन्द्र की भूमिका :–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, अन्य शैक्षिक तथा पाठ्येत्तर क्रिया कलापों के संचालन में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने हेतु बी0 आर0 सी0 की स्थापना की गई है ।

ये बी0 आर0 सी0 अपने क्षेत्र में स्थित सभी एन0 पी0 आर0 सी0 तथा सभी प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन करते है । इस कार्य में इनकी भूमिका विभिन्न शैक्षिक तथा अकादमिक कार्यक्रमों के साथ–साथ शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का आयोजन करने की है । बी0 आर0

सी0 को प्रभावी, सफल तथा सहयोगी संस्था बनाने के लिए समन्वयक और सह–समन्वयक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ।

बी0 आर0 सी0 के प्रभावी संचालन में केन्द्र समन्वयक तथा सहायक समन्वयक के वर्तमान में मुख्य कार्य, दायित्व निम्नलिखित है:–

क– प्रशिक्षण गोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन तथा स्कूल भ्रमण :–

बी0 आर0 सी0 पर सम्बन्धित क्षेत्र के समस्त प्राथमिक विद्यालयों तथा एन0 पी0 आर0 सी0 के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन, गुणवत्ता सुधार आदि के लिए प्रशिक्षण, गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाता है । इन सभी क्रियाविधियों का परिणाम, प्रभाव देखने के लिए बी0 आर0 सी0 समन्वयक एवं सह–समन्वयक समय–समय पर विद्यालयों का भ्रमण भी करते रहते हैं या कोई समस्या होने पर उनका निराकरण करने के उपाय, अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिये जाते हैं।

ख– स्कूलों, केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण :–

बी0 आर0 सी0 समन्वयक समय–समय पर स्कूलों, केन्द्रों आदि का भ्रमण कर उनको दिये गये प्रशिक्षण, सुझावों आदि का कार्य रूप में प्रभाव देखते हैं । विद्यालय में शिक्षकों को छात्रों को शिक्षण में आने वाली अन्य समस्याओं व उनके सुझावों आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं । एन0 पी0 आर0 सी0 के भ्रमण के समय उनसे क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित सूचनाएँ, उनकी समस्याओं व विकास के लिए सुझाव दिये जाते हैं।

ग– ई0एम0आई0एस0, डाटा चैकिंग, एन0पी0आर0सी0 को मदद तथा ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग:–

प्रतिवर्ष प्रत्येक बी0 आर0 सी0 द्वारा क्षेत्रगत विद्यालयो से, सांख्यिकी प्रपत्र भरवाकर ऑकड़े एकत्र करना होता है । बी0 आर0 सी0 का यह दायित्व है कि इन ऑकड़ों को एकत्र करना तथा उनकी जॉच करने में पूर्ण सतर्कता बरते। इन ऑकड़ो के संचयन में एन0 पी0 आर0 सी0, बी0 आर0 सी0 का मुख्य दायित्व है ।

एन0 पी0 आर0 सी0 की भूमिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए एन0 पी0 आर0 सी0 को भी बी0 आर0 सी0 की सहायता की आवश्यकता होती है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत कई उदाहरण सामने आये हैं जहॉ पर बी0 आर0 सी0 अपनी सशक्त भूमिका निभा रही है, वहॉ अधिकांश एन0 पी0 आर0 सी0 भी अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है । किन्तु जहॉ जहॉ बी0 आर0 सी0 की भूमिका सही नहीं है, वहीं – वहीं एन0 पी0 आर0 सी0 भी ठीक काम नहीं कर रही है ।

बी0 आर0 सी0 का एक दायित्व यह भी है कि वह एन0 पी0 आर0 सी0 व विद्यालयों की ग्रेडिंग करें । ग्रेडिंग से अच्छे परिणाम निकलने की संभावना है और इसमें एक प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति आ जाने पर एन0 पी0 आर0 सी0 तथा विद्यालयों द्वारा स्वयं सुधार के कार्यो में लग जाने की संभावना है किन्तु सभी बी0 आर0 सी0 में ग्रेडिंग पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया या तो वह ग्रेडिंग की प्रक्रियाओं को भली भॉति समझ नहीं पाये या उसके प्रभावी परिणाम उनके सम्मुख नहीं आये । अतः ग्रेडिंग को लागू करने के लिए बी0 आर0 सी0 को प्रशिक्षित करना होगा जिससे वह ग्रेडिंग को सही प्रकार से प्रयोग में ला सकें ।

एन0 पी0 आर0 सी0 की भूमिकाः–

यदि योजना को सफलता तक ले जाने वाली व्यवस्था को एक श्रृखंला मान लिया जाये तो एन0 पी0 आर0 सी0 उसकी सबसे छोटी कड़ी है । जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रगत समस्त विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और श्रृंखला की मजबूती उसकी छोटी से छोटी कड़ी की मजबूती पर निर्भर होती है । अतः यह स्पष्ट है कि एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक मजबूत अर्थात् अपने कार्य में दक्ष, कुशल एवं योग्य होना चाहिए जिससे कि वह क्षेत्रगत समस्त स्कूलों का पथ प्रदर्शन कर सकें और शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए बच्चों, शिक्षकों तथा समुदायों का मार्ग दर्शन प्राप्त करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों का जिम्मेदारी से आयोजन व अनुश्रवण कर सकें ।

जहॉ–जहॉ केन्द्र प्रबन्धन उचित था वहाँ सराहनीय कार्य हुआ है। शैक्षिक सपोर्ट भी मिली है। समुदाय से सहयोग भी प्राप्त हुआ है। मासिक कार्यशालाओं का आयोजन हुआ है जिनमें शिक्षण के समय अध्यापकों के सामने आने वाली समस्याओं का निवारण भी हुआ है।

इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

स्कूलों तथा अनौपचारिक केन्द्रों आदि के भ्रमण के दायित्व को भी लगभग सभी समन्वयकों ने भली भॉति निभाया है जिसकी मासिक आख्या बी. आर. सी. के माध्यम से डाएट पर जमा होती रही है । उन पर विचार विमर्श के अवसर भी दिये गये । नवाचार की सराहना की गयी तो समस्याओं का समाधान भी ढूँढा गया ।

सहायक शिक्षण सामग्री (टी. एल. एम.) निर्माण की कार्यशालाओ का आयोजन भी एन.पी.आर. सी. पर हुआ । अनेक स्थानों पर नवाचार देखने को मिला। शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गयी। इन सब में एन.पी.आर.सी. की भूमिका सराहनीय रही।

पिछले दो/तीन वर्षो में स्कूल ग्रेंडिग का सिलसिला आरम्भ हुआ । कुछ एन.पी.आर.सी. ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा स्कूल ग्रेड को उच्च करने के प्रयास किये किन्तु संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए जिसका एक स्पष्ट कारण यह भी रहा कि इस ओर ए.बी.एस.ए. तथा एस.डी.आई. का कोई विशेष ध्यान नहीं है । अतः अध्यापकों को कोई भय नहीं है कि विद्यालय किस ग्रेड में है ।

उसे उत्कृष्ट करना आवश्यक है या नहीं । समन्वयक के प्रयासों को मनोवेग से नहीं लिया जाता। इसके सुधार हेतु कर्मठ अध्यापकों को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अकादमिक पर्यवेक्षण में डाएट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की भूमिकाः–

अकादमिक सुपरवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत मान्य शैक्षिक मापदण्डों के क्रियान्वयन का व्यवहारिक प्रेक्षण किया जाता है । सुपरवीजन के दौरान पर्यवेक्षकों का दृष्टिकोण निष्पक्ष तथा पक्षपात विहीन होता है।

हमें शैक्षिक सुपरवीजन करने से पहले उन सब शैक्षिक संस्थानों का ढॉचा जोकि इस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होता है, उसका सुपरवीजन करना होगा तभी इसके सार्थक परिणाम निकल सकते हैं ।

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य स्तर पर एस.सी.ई.आर.टी. तथा सीमैट संस्थायें हैं, जो जनपद स्तर के प्रशासनिक एवं अकादमिक अभिकर्मियों को उचित विद्यालय प्रबन्धन तथा शैक्षिक गतिविधियों के स्तरोन्नयन हेतु प्रशिक्षण देती हैं तथा कभी–कभी जनपदों में भ्रमण करके या कार्यशालाओं का आयोजन करके निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था करती है। जनपद स्तर पर डायट में शिक्षा से जुड़े अभिकर्मियों के लिए औपचारिक, अनौपचारिक तथा नवाचार की शिक्षण विधियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण आयोजित होते है। जनपद की शैक्षिक समस्याओं के निदान हेतु क्रियात्मक शोध किये जाते है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर बी.आर.सी. तथा न्याय पंचायत स्तर पर एन.पी.आर.सी. प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। और कृत कार्यो की आख्या क्रमशः जनपद तथा राज्य स्तर तक प्रेषित की जाती है। जनपद स्तर पर डायट, बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की भूमिकायें परस्पर समेकित हैं। डायट के निर्देशन में ही बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. प्रशिक्षणों तथा अन्य कियाकलापों का आयोजन करते हैं। मासिक बैठकों के माध्यम से फीड बैक तथा रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी लागू की गयी है।

डायट द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु जो भी प्रशिक्षण बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. या शिक्षा से जुड़ी अन्य संस्थाओं हेतु आयोजित किये जाते हैं उनके क्रियान्वयन तथा प्रभावकारिता का आंकलन करने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है इसके लिए नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग सशक्त एवं व्यवाहारिक कार्य योजना बना कर सम्बन्धित विभाग एवं प्राथमिक शिक्षा से जुड़े अभिकर्मियों को प्रसारित करता है। पर्यवेक्षण के दौरान विद्यालय का वातावरण, शैक्षिक परिवेश, स्थानीय निर्मित अथवा उपलब्ध सहायक सामग्री के उपयोग का परीक्षण एवं विश्लेषण कर सुधार हेतु प्रबन्धकीय एवं शैक्षणिक दिशा निर्देश प्रदान करता है तथा अपनी आख्या सम्बधित अधिकारियों एवं केन्द्रों पर देता है।

वर्तमान में प्रायः निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के बीच प्रशासनिक व्यवधान आ जाते हैं जिससे निर्दिष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ति नहीं होती है। इसके लिए समन्वय अपेक्षित है।

इन संस्थाओं के पर्यवेक्षण में स्कूल शिक्षकों का सहयोग भी अपेक्षित है । बिना उनके सहयोग से यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में डाएट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समय समय पर बैठके आयोजित होंगी। इन बैठकों में सम्बन्धित स्कूलों के प्रतिनिधि, स्थानीय व्यक्ति भी

सम्मिलित किये जायेंगे। इन बैठकों से प्राप्त निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जायेगा। जिससे सभी व्यक्ति इनका लाभ उठा सकें ।

पर्यवेक्षण के दौरान दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिससे सफल हो सकें। सुपरवीजन के फल स्वरूप अपेक्षित सुधार न होने पर आवश्यक दण्ड और पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी।

अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में मकतब मदरसों, ई.जी.एस. केंद्रों को भी लाये जाने की आवश्यकता है। बी.ई.पी. में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अपेक्षित स्तर का अकादमिक सहयोग नहीं प्रदान किया जा सका तथा अशासकीय विद्यालयों जहाँ कक्षा 6–8 संचालित है को भी आच्छादित नहीं किया जा सका। अतः एस.एस.ए. के अंतर्गत इन्हें अकादमिक सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है।

बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर (अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर):–

बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रारम्भ में प्रथम बेस लाईन सर्वेक्षण के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा–2 एवं 5 में भाषा एवं गणित विषयों में बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का सर्वेक्षण किया गया । कक्षा–2 में भाषा में 68.95 स्कोर प्राप्त हुआ। कक्षा–5 में भाषा एवं गणित विषयों में छात्रों की सम्प्राप्ति स्कोर क्रमशः 51.18 तथा 39.73 प्राप्त हुआ ।

परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये गये जिसमें उन्हें शिक्षण की नवीन विधाओं तथा प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग का भी प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षणोपरांत अध्यापकों ने विद्यालयों में प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया ।

परियोजना समाप्ति से पूर्व पुनः कक्षा–2 एवं कक्षा–5 में पढ़ाने वाले बच्चों का भाषा एवं गणित विषयों की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण (एफ.ए.एस.) किया गया। जिसमें कक्षा 2 के 771 तथा कक्षा 5 के 756 छात्र–छात्राओं का सैम्पल लिया गया जिसमें शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छात्र–छात्राओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित की गयी। इस सर्वेक्षण में कक्षा–2 में भाषा एवं गणित में क्रमशः 89.54 व 88.47 सम्प्राप्ति हुई । कक्षा–5 में भाषा एवं गणित विषयों में क्रमशः 90.85 तथा 90.35 सम्प्राप्ति परिलक्षित हुई ।

सारणी–3

कक्षा	विषय	कुल विद्यार्थी	औसत प्रतिशत	मानक विचलन
2	भाषा	771	89.54	8.49
	गणित	771	88.47	9.90
5	भाषा	756	90.85	5.07
	गणित	756	90.34	5.27

स्रोत : एफ0 ए0 एस0 2000, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

लिंगवार

कक्षा	विषय	कुल विद्यार्थी		औसत प्रतिशत		मानक विचलन	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
2	भाषा	398	373	89.6	89.5	8.3	8.7
	गणित	398	373	88.8	88.1	9.7	10.1
5	भाषा	430	326	91.3	90.5	4.9	5.3
	गणित	430	326	90.2	90.6	5.2	5.4

स्रोत : एफ0 ए0 एस0 2000, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

क्षेत्रवार

कक्षा	विषय	कुल विद्यार्थी		औसत प्रतिशत		मानक विचलन	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
2	भाषा	143	628	89.8	89.5	7.2	8.8
	गणित	143	628	89.3	88.3	9.4	10
5	भाषा	96	660	90.8	90.8	3.9	5.2
	गणित	96	660	90.9	90.3	4.5	5.4

स्रोत : एफ0 ए0 एस0 2000, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

जातिवार

कक्षा	विषय	कुल विद्यार्थी		औसत प्रतिशत		मानक विचलन	
		अनुसूचित	अन्य	अनुसूचित	अन्य	अनुसूचित	अन्य
2	भाषा	339	432	89.1	89.9	7.8	9.0
	गणित	339	432	87.5	90.4	9.7	10.2
5	भाषा	338	418	90.8	90.6	4.9	8.3
	गणित	338	418	90.2	91	5.3	4.8

स्रोत : एफ0 ए0 एस0 2000, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0

इस प्रकार उपरोक्त प्राप्त ऑकड़ो के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ ।

जनपद के अन्तर्गत नकुड़ ब्लाक के 04, सरसावा ब्लाक के चार एवं नगर क्षेत्र के दो प्राथमिक विद्यालयों की **क्लासरूम आब्जरवेशन** स्टडी का कार्य अगस्त 2000 में किया गया जिसमें कक्षा–कक्ष अन्तः क्रिया प्रेषण में कक्षा–2 एवं कक्षा–5 में भाषा व गणित विषयों का मूल्यांकन करना था। शिक्षण अधिगम प्रेक्षण अनुसूची के अन्तर्गत विद्यालय आरम्भ होने से अन्त तक की गतिविधियों को भरना था । शिक्षक गुण विभेदक मापनी में शिक्षक के गुणों की आख्या भरनी थी ।

अध्ययन उपरान्त प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के पश्चात् निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुए **कक्षा–कक्ष अन्तः क्रिया प्रेक्षण में :–**

कक्षा–कक्ष अन्तः क्रिया प्रेक्षण में प्राप्त हुआ कि 25 प्रतिशत कक्षा–कक्षों में परम्परागत विधियों से शिक्षण कार्य किया जा रहा था । अध्यापकों को सेवारत् प्रशिक्षण के 5 चक्रो में जो सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया था उसका प्रयोग शिक्षकों द्वारा कक्षा कार्यो में नहीं किया जा रहा है ।

शिक्षण–अधिगम प्रेक्षणः–

इसके अन्तर्गत पाया गया कि विद्यालयों में 1:75 के अनुपात में शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं जोकि मानक से बहुत अधिक है । 50 प्रतिशत शिक्षकों के पास शिक्षण हेतु स्वयं की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध थी जबकि कक्षा–2 में 93.5 प्रतिशत तथा कक्षा–5 में 98.4 प्रतिशत बच्चों के पास अपनी पाठ्य पुस्तके थी । विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जैसे खेलकूद, वाद–विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यानुभव व व्यायाम आदि का क्रियान्वयन शत प्रतिशत देखने को मिला । अधिकांश शिक्षक समय से विद्यालय आते है । कक्षा–कक्षों में शिक्षण कार्य में रूचि लेते है । बच्चों को गृह कार्य देकर उसकी जॉच करते है तथा समयानुसार बच्चों का मूल्यांकन करते है । शिक्षकों का बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार देखने को मिला तथा अभिभावकों के साथ भी सहयोग एवं समर्थन की भावना परिलक्षित हुई ।

बहुकक्षा शिक्षण की स्थितिः

जनपद में विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की स्थिति के अनुसार उपलब्धता का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि जनपद में अधिकांश विद्यालयों में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति है।

सारिणी–4

स्कूलों की कक्षाओं की स्थिति– प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर

	एक शिक्षक विद्यालय संख्या	दो शिक्षक विद्यालय संख्या	तीन शिक्षक विद्यालय संख्या	चार शिक्षक विद्यालय संख्या	पॉच शिक्षक विद्यालय संख्या	पॉच से अधिक शिक्षक विद्यालय संख्या	योग
प्रा0 स्तर	192	586	264	99	41	39	1221
उच्च प्रा0 स्तर	17	43	74	57	28	22	241

(स्त्रोत–कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी)

सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि प्राथमिक स्तर पर 64 प्रतिशत विद्यालय एकल तथा दो शिक्षक वाले हैं। 30 प्रतिशत तीन व चार तथा शेष 6 प्रतिशत 5 व से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रतिशत एक अध्यापकीय व दो अध्यापकीय, 54 प्रतिशत तीन व चार अध्यापकीय तथा 21 प्रतिशत 5 व 5 से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय हैं। अतः बहुकक्षा शिक्षण की स्थितियों में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए पृथक से सामग्री, समय प्रबंधन, शिक्षण विधि आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

एस.एस.ए. के अंतर्गत गुणवत्ता विकास के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षणः–

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं। जनपद सहारनपुर में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।

5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।

6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणेां का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियामेत आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षकों में गुणवत्ता का विकास तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षकों के ज्ञान, कौशल एवं उनकी दक्षताओं के विकास के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाये । इन प्रशिक्षणों मे अध्यापक के विषय ज्ञान की वृद्धि के उपायों पर विचार विमर्श होगा । इसके साथ अध्यापक छात्रों में एकाग्रता, पठन पाठन, स्मरण की क्षमता, अधिगम दक्षता का विकास कैसे करेगा ? इसका प्रायोगिक अभ्यास करें। अध्यापक छात्रों को अध्ययन हेतु मानसिक रूप से कैसे तैयार करेगा? अध्ययन का समय, अवधि, अध्ययन की समाप्ति पर प्रत्यास्मरण का अभ्यास कैसे कराया जायेगा? इसकी दक्षता अध्यापक में प्रशिक्षण द्वारा विकसित की जायेगी। प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष

आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबन्ध, भाषा, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन, स्वास्थ्य शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, सतत् एवं व्यापक मूल्याकंन, सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग आदि के विषय में नव विकसित विधाओं पर चर्चा होगी । नवनियुक्त अथवा मृतकाश्रित अध्यापकों की संख्या प्रत्येक ब्लाक में भिन्न हो सकती है । इसलिए सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डाएट में संपादित होगा । नियुक्ति के पश्चात सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण का आयोजन यथाशीघ्र किये जायेगें । प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों हेतु भी यह प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

भाषा की दक्षताओं का विकास, नवीन पुस्तकों के पाठन कौशलों पर अभ्यास। इन प्रशिक्षणों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर होगे तो कम समयावधि में प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न हो सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रशिक्षण खण्ड संसाधन केन्द्र पर सम्पादित किये जायेगे। इन प्रशिक्षणों के लिए सन्दर्भ दाता का प्रशिक्षण डाएट में सम्पन्न होगा। डाएट के सतत् पर्यवेक्षण से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया जा सकता है । प्रशिक्षण के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कितने दिवस निर्धारित किये जाये, यह भी पूर्व ही सुनिश्चित कर लिया जायेगा। प्राथमिक विद्यालयों में "शिक्षा–मित्र" योजना के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण में नवीनीकरण का प्रयास किया जा रहा है । विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा–मित्रों तथा अध्यापकों हेतु साथ–साथ प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे क्योकि पूर्व कार्यरत अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों के कार्य एवं दायित्व समान है । विद्यालय का शिक्षण कार्य बाधित न हो । इसलिए सभी अध्यापकों का एक साथ प्रशिक्षण में सम्मिलित होना उचित नहीं है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में डाएट, खण्ड संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र में तालमेल बनाने के दृष्टिकोण से कार्यो का विकेन्द्रीकरण श्रृंखलाबद्ध किया जायेगा ।

शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, भाषा शिक्षक, विज्ञान–गणित शिक्षक, खण्ड संसाधन केन्द्र के समन्वयकों तथा सह–समन्वयक, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की प्रतिभागिता होगी । उच्च प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी डायट सुनिश्चित करेगा ।

वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों तथा अन्य अभिकर्मियों का प्रशिक्षण डाएट वर्ष में दो बार अवश्य करेगा ।

प्रशिक्षण देने हेतु कुशल संदर्भदाता डाएट द्वारा चयनित किये जायेगे । प्रशिक्षकों (संदर्भ दाता) का चयन स्थानीय शिक्षा विदो में से किया जायेगा । प्राथमिक शिक्षा से अविरल रूप से जुड़े व्यक्तियों को ही संदर्भदाता चयनित किया जायेगा । प्राथमिक शिक्षा सुधार कार्यक्रमों से जुड़े गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य भी संदर्भदाता चुने जा सकते है । भाषा दक्षता प्रशिक्षण में भाषा विद् ही संदर्भ दाता नियुक्त होगे । अन्य विषयों में विषय–विशेषज्ञ एवं दक्षता प्राप्त संदर्भ दाता नियुक्त होगे। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण डाएट में आयोजित होगा। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर डाएट में संदर्भ दाताओं को प्रशिक्षित करेंगे ।

विज्ञान व गणित विषय का प्रशिक्षण मॉड्यूल राज्य स्तर पर विकसित किये जायेंगें। भाषा एवं पर्यावरण विषय का प्रशिक्षण मॉड्यूल जनपद स्तर पर विकसित किया जायेगा तथा उनका मुद्रण भी जनपद स्तर पर होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते समय दूरस्थ शिक्षा माध्यमों का उपयोग अधिकाधिक किया जायेगा । शिक्षक प्रशिक्षण में नव विकसित शैक्षिक तकनीक तथा उपकरणों द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। डी.आर.एस. सिस्टम का अपग्रेडेशन किया जायेगा तथा उन्हें डिजीटल बनाया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 47 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर .सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 47 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 48 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 48 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 50 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में

बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एव.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाए आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी.

स्तर पर आयोजित की जायगी। चौथे वर्ष मे आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र / आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 29 शिक्षामित्रों तथा 721 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।
2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 625 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के

समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी/ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी. आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन. पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण–** जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण** – सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ानाः–

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र 1 जौलाई से प्रारम्भ होकर 20 मई तक रहता है जिसमें मात्र 220 दिन ही कार्य दिवस के रूप में उपलब्ध हो पाते है । इन्हीं कार्य दिवसों में शिक्षण कार्य, परीक्षाएँ तथा विद्यालय सम्बन्धी अन्य कार्यो का सम्पादन होता है । विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु मात्र 180–190 दिन ही उपलब्ध हो पाते है। निम्नांकित सारणी 8, 9 द्वारा स्कूलों में वास्तविक शिक्षण समय को दर्शाया गया है।

सारिणी 8

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय :–

		प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
		घंटा/समय	घंटा/समय
भाषा 1	हिन्दी	9 घण्टे	9 घण्टे
भाषा 2	संस्कृत/उर्दू	5 घण्टे	6 घण्टे
भाषा 3	अंग्रेजी	3 घण्टे	8 घण्टे
विज्ञान		6 घण्टे	7 घण्टे
गणित		7 घण्टे	10 घण्टे
पर्या0 परिवेश		7 घण्टे	7 घण्टे

स्रोतः बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर

स्कूल समय सारिणी के अनुसार प्रारम्भिक व उच्च विद्यालयों में शिक्षण अवधि मात्र 5 या 6 घण्टे होती है । इसी अवधि में विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम को विभाजित कर शिक्षण कार्य किया जाता है । समय सारिणी में मुख्य विषयों का अधिक स्थान दिया जाता है जबकि अन्य विषयों को अपेक्षाकृत कम समय ही मिल पाता है ।

शिक्षण दिवस मात्र 180–190 दिन होने के कारण विभिन्न कक्षाओं के वार्षिक पाठ्यक्रम का शिक्षण कक्षा में पूर्ण नहीं हो पाता है ।

सारणी 9

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण के लिए दिवस	188	181
परीक्षा	09	16
अन्य कार्य	11	10
नष्ट हो जाने वाले दिन	08	09
सामाजिक विषय	04	04

स्रोत: बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर

उपर्युक्त सारिणी–9 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 188 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 181 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परिक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समयसे अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों की समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 2.25 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 1.10 करोड़ रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेंगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 1.08 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 80 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूलयांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया

जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी. आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञा शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

एक्शन रिसर्च :

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी. आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।

5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी. आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की, मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी. ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है. इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर

ड्राप आउट की अधिकता हैं। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कॅम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किये जायेगे तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के **प्रशिक्षण/कार्यशाला** तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन

4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण अनुदेशक		
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अग्रजा तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण 05 दिन	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन

23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	हुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन. पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।

- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।
- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

नवाचार कार्यक्रमः–

1. **बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों** को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

सर्वेक्षण के द्वारा यह ज्ञात किया जायगा कि बच्चे किस समय अपने कार्य में व्यस्त रहते है तथा खाली समय उन्हें कब मिलता है । उनके खाली समय के सदुपयोग हेतु उन बच्चों को जिन

व्यवसायों में वे लगे है उससे सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जायेगा यथा अचार, मुरब्बा, चाक, सिलाई कढाई, बुनाई, लकड़ी पर नक्काशी इत्यादि । इस कार्य में स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से स्थल व अवधि का चयन कर ऐसे बच्चों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी । शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा को स्थानीय व्यवसायों के साथ जोड़ दिया जाये जिससे स्थानीय व्यवसायों के कारण शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी और हमारे प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन प्रतिशत में बढ़ोत्तरी होगी ।

गॉव में परम्परागत तरीके से चलाये जाने वाले व्यवसाय जैसे टोकरी बनाना, हसिया, कपड़े सिलाई और फर्नीचर का कार्य, कुम्हार का कार्य, मिट्टी से बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, आदि कर्म विद्यालयों में सिखाया जायेगा ।

2. कम्प्यूटर प्रशिक्षणः–

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथ भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस. सी.ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेगें। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

3. विज्ञान शिक्षण में सुधारः

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक कर्म हेतु प्रयोगशालाओं का अभाव, साथ ही विज्ञान किट के अतिरिक्त अन्य उपकरणों का भी अभाव देखने को मिलता है फलस्वरूप विज्ञान प्रयोगात्मक कार्य विद्यालयों में संभव नहीं हो पाता है। इस हेतु जनपद के किसी एक विकास खंड में समीप के हाई स्कूल या इंटर कालेज को पाइलेट संकुल के रूप में चयनित कर समीप के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को जोड़कर तथा बच्चों को ले जाकर विज्ञान उपकरणों, रख–रखाव व प्रयोग की जानकारी दी जायेगी तथा प्रयोगात्मक कार्य कराये जायेंगें। इससे विज्ञान विषय के प्रति बच्चों में रूचि जागृत होगी।

अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने पर जनपद के अन्य विकास खंडों के विद्यालयों में भी यही प्रयोग किये जायेगें।

5. शैक्षिक दृष्टि से धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षणः–

विद्यालयों में प्रवेश हेतु चलाये गये अभियान के फलस्वरूप छात्र–छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई है । विकलांग, मानसिक मंदताग्रस्त तथा पिछड़ापन ग्रस्त बालकों की शिक्षा के बारे में अभिभावकों का दृष्टिकोण बदला है। इन बालकों को स्कूल में दाखिल कराना बेहतर समझा जा रहा है। अंग दोष ग्रस्त, दृष्टि दोष से बाधित, श्रवण दोषयुक्त मानसिक रूप से पिछडे बालकों में हीन भावना पनप जाती है। वस्तुतः इन बालकों की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ होती हैं । प्रत्येक बालक का बुद्धिलब्धि स्तर भिन्न होता है। ऐसे बालकों को पहचान कर उनके अनुरूप शिक्षा देना शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इन बालकों की शैक्षिक प्रगति संतोषजनक नहीं होती । समता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से दोषग्रस्त बच्चों की शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराना औचित्यपूर्ण है । सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप शैक्षिक मान्यताओं एवं परिवेश में भी परिवर्तन हो रहा है । अतः समयानुकूलता एवं आवश्यकता के औचित्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों का प्रशिक्षण आवश्यकता आधारित होना चाहिए।

धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की अकादमिक आवश्यकतायें भिन्न हैं अतः पृथक रणनीति और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था अपनायी जायेगी। जो बच्चे कक्षा में धीमी गति से चल रहे हैं, उन पर विशेष ध्यान, प्रतिदिन मूल्यांकन सहायक सामग्री का उपयोग तथा अधिक से अधिक समूहों में बिठाकर उन्हें अच्छी कहानी, चित्रण द्वारा समझाकर उनके बारे में वाद–विवाद कराया जायेगा ।

शिक्षक कक्षा में धीमी गति से चल रहे बच्चो के अभिभावकों से बात चीत कर खेल के माध्यम से आसान शिक्षा देगे जिससे बच्चों का मन शिक्षा में लगेगा। ऐसे बच्चों को विद्यालय में खेल, खिलौने आदि के चित्र बनाकर शिक्षा देगें। अभिभावकों से मिलकर बच्चों के पिछड़ने के कारणों को बताना चाहिए अभिभावकों से कहना चाहिए कि वह अपने बच्चों को समय से विद्यालय भेजे तथा उन्हें गृह कार्य के लिए समय दें जिससे कक्षा में धीमी गति से चल रहे बच्चे आगे बढ़ सकें । जो बच्चे धीमी गति से चल रहे है शिक्षक को उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए । यदि बच्चे का मनोबल बढ़ेगा तो उसकी पढ़ने की जिज्ञासा भी बढ़ेगी और बच्चा कक्षा में नहीं पिछड़ेगा ।

5. बैक टू स्कूल प्रोग्रामः–

ग्राम स्तर एवं बस्ती स्तर पर गठित टीम घर–घर जाकर विश्लेषण प्रस्तुत करेगी–

1– बच्चे जो स्कूल जाने योग्य है वह स्कूल से बाहर क्यों है ।

2– बच्चों का स्कूल में नामांकन कैसे कराया जाये ।

3– क्या उस ग्राम अथवा बस्ती में स्कूल निर्माण की आवश्यकता है ।

जो बच्चे विद्यालय में पढ़ना छोड़ दिये हैं, डाएट उन बच्चों के लिए बैक टू स्कूल अभियान चलाने के लिए कैम्प आयोजित करेगा । इन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था भी डाएट की देखरेख में होगी । बालिकाओं के लिए विशेष शिविरों का आयोजन होगा जिसमें बीच में ही स्कूल छोड देने वाली अथवा काम काजी बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा एवं कार्य योजना बनायी जायेगी । डाएट इन शिविरों में गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग भी लेगा ।

समस्याग्रस्त बालिकाओं और वंचित समूह के बालकों की शिक्षण व्यवस्था करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान में विशेष कार्यक्रम बनाये जायेंगे । डाएट बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के साथ गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर शिविरों का आयोजन करेगा जिसमें उक्त विषयक समस्याओं के निदानात्मक उपाय निर्धारित किये जायेंगे और उनका क्रियान्वयन किया जायेगा । सर्व शिक्षा अभियान में विकलांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था चुनौतीपूर्ण कार्य है । कामकाजी बालिकाओं, विकलांग और बाल श्रमिकों के लिए चलता फिरता स्कूल (मोबाईल स्कूल) बन जाने से समस्या का समाधान सम्भव हो सकता है।

6. कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारीः–

समुदाय से भौतिक संसाधनों की उपलब्धि में सहयोग लेने के साथ–साथ कक्षा 1 से 8 तक समस्त बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें इसके लिए सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है।

बच्चों की उपलब्धि से अभिभावकों को अवगत करायेंगे। कक्षा की प्रक्रिया को देखने के लिए अभिभावकों को आमन्त्रित करेंगे। जिससे वह पाठ्य विषय – वस्तु, शिक्षण विधा तथा बच्चे की उपलब्धि के विषय में जानकारी ले सकेगें। और स्तरोन्नयन हेतु अपने सुझाव देकर समाधान में सहयोग देगें। बच्चों से विद्यालय में नुक्कड़ नाटकों के द्वारा अभिभावकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे। माह में विद्यालय समय के पश्चात् अभिभावकों के साथ बैठक की जायेगी जिससे छात्रों में किसी विषय की कमजोरी को अध्यापकों एवं अभिभावकों के द्वारा दूर किया जा सके। विद्यालय के छात्रों का मूल्याकंन करके उनको पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

अध्यापकों द्वारा घर–घर जाकर अभिभावक सम्पर्क करना होगा जिससे अभिभावकों को छात्रों की प्रगति की जानकारी मिलती रहे । छात्रों को शिक्षा के प्रति जागृत करने के लिए वर्ष में एक बार भ्रमण पर ले जायेगें। जिससे छात्रों की समझ का विकास होगा एवं पर्यावरण की जानकारी भी मिलेगी ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण एवं रख–रखावः–

बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा डाएट सहारनपुर के भवन का निर्माण 1994–95 में किया गया है । इसके अर्न्तगत प्रशासनिक भवन, सभाकक्ष, एक प्राचार्य निवास, पॉच टाईप फोर, चार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निवास तथा 100 प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय सुविधा हेतु छात्रावास निर्मित है । सम्पूर्ण डाएट भवन के रख–रखाव तथा मरम्मत हेतु वार्षिक रूप से लगभग 50000 रूपये का प्रावधान अपेक्षित है।

उपकरण एवं साजसज्जाः–

वर्तमान समय में डाएट में एक इलेक्ट्रो टाईप मशीन, एक फोटो स्टेट मशीन, एक फैक्स मशीन, दो रंगीन टेलीविजन, एक वी.सी.आर., एक ओवरहेड प्रोजेक्टर, एक ए.पी.डायस्कोप, एक सेट ध्वनि विस्तारक यन्त्र माईक सहित आदि उपकरण है जो विद्युत चालित है । डाएट भवन विद्युत

फिटिंग (वायरिंग) से पूर्णतया युक्त है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण डाएट भवन में विद्युत आपूर्ति रात्रि में 11 बजे से प्रातः 4.00 बजे तक हो पाती है । दिन के समय विद्युत आपूर्ति लगभग शून्य है जबकि डाएट के क्रियाकलापों का समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक है। ऐसी स्थिति में विद्युत चालित उपकरणों का उपयोग सम्भव नहीं है ।

विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संस्थान में एक 5 किलोवाट के विद्युत जनरेटर की व्यवस्था है जो इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और सम्पूर्ण डाएट परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु अपर्याप्त है । अतः संस्थान हेतु लगभग 25 किलोवाट के विद्युत जनरेटर की आवश्यकता है।

कम्प्यूटर लैब :–

वर्तमान समय में संस्थान में एक कम्प्यूटर सेट भी उपलब्ध है जो कम्प्यूटर लैब के अभाव में एक कक्ष में रखा है । संस्थान में एक वातानुकूलित कम्प्यूटर लैब की आवश्यकता है । कम्प्यूटर चलाने एवं उसकी देखभाल हेतु संस्थान में कम्प्यूटर आपरेटर का पद सृजित नहीं है। अस्तु एक कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति प्रस्तावित है तथा नया कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू0पी0एस0, स्कैनर की आवश्यकता है।

पुस्तकालयः–

संस्थान में प्रशासनिक भवन में पुस्तकालय हेतु एक पुस्तकालय कक्ष निर्मित है । पुस्तकालय में विभिन्न विषयों से सम्बन्धित लगभग 5000 पुस्तकें संग्रहित है । संस्थान में एक पद पुस्तकालयाध्यक्ष का सृजित है जो वर्तमान समय में रिक्त है। पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था हेतु डाएट में एक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति प्रतीक्षित है ।

सारणी 12

पदों का विवरण 1.1.2001 के आधार पर

	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	01	–
उपप्राचार्य	01	–	01
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	–	06
प्रवक्ता	17	10	07
कार्यअनुभव शिक्षक	01	01	–
सांख्यिकीकार	01	01	–
प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या	–	–	–

परिशिष्ट–1

अकादमिक पर्यवेक्षण और विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति

विकास खण्ड	स्कूलों की संख्या जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी				पर्यवेक्षक, डाएट, मेन्टर द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सुझाव बिन्दु
		ए	बी	सी	डी	
1. सरसावा	111	45	33	22	11	1– विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार शिक्षकों की संख्या में कमी होने के कारण शिक्षण कार्य मे कमी ।
2. नागल	100	20	35	26	19	2– अध्यापकों पर अतिरिक्त कार्य का भार होने के कारण शिक्षकों की शिक्षण कार्य में अरूचि व रूकावट ।
3. पुवॉरका	111	25	65	15	06	3– विद्यालय में सुधार हेतु एन0 पी0 आर.0 सी0 समन्वयक को कुछ मजबूत अधिकार दिये जाये जैसे अनुपस्थिति लगाना, सेवा पंजिका में अंकित करना, स्थानान्तरण कराना आदि ।
4. नकुड़	108	08	48	44	08	4– जिन विद्यालयों में वहाँ के अध्यापक व प्रधानाध्यापक द्वारा सुधार कार्य न किये जाये वहाँ पर उनके विरूद्ध डी कार्यवाही की जाये ।
5. बलियाखेड़ी	97	21	63	12	01	5– विद्यालय के अनुशासन व स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।
6. मुजफ्फराबाद	131	58	23	28	22	6– विषय वस्तु को रूचिकर बनाने के लिए विषय वस्तु से सम्बन्धित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
7. नानौता	83	13	46	24	–	7– आदर्श अध्यापक का परिचय अध्यापकों द्वारा दिया जाये।
8. साढौली कदीम	79	09	36	32	02	8– भाषा शिक्षण करते समय छात्रों के उच्चारण व उनके लिखित कार्य को शुद्ध किया जाये ।
9. नंगोह	123	58	62	03	–	
10. देवबन्द	88	–	–	–	–	
11. रामपुरमनिहारान	90	–	–	–	–	

(स्त्रोत विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर)

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	50.00 लाख

उपकरण / साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेंटिग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	10.00 लाख

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध / अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं / सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेन्सी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव / पी.ओ.एल.	0.50
	योग	10.00 लाख

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियें के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

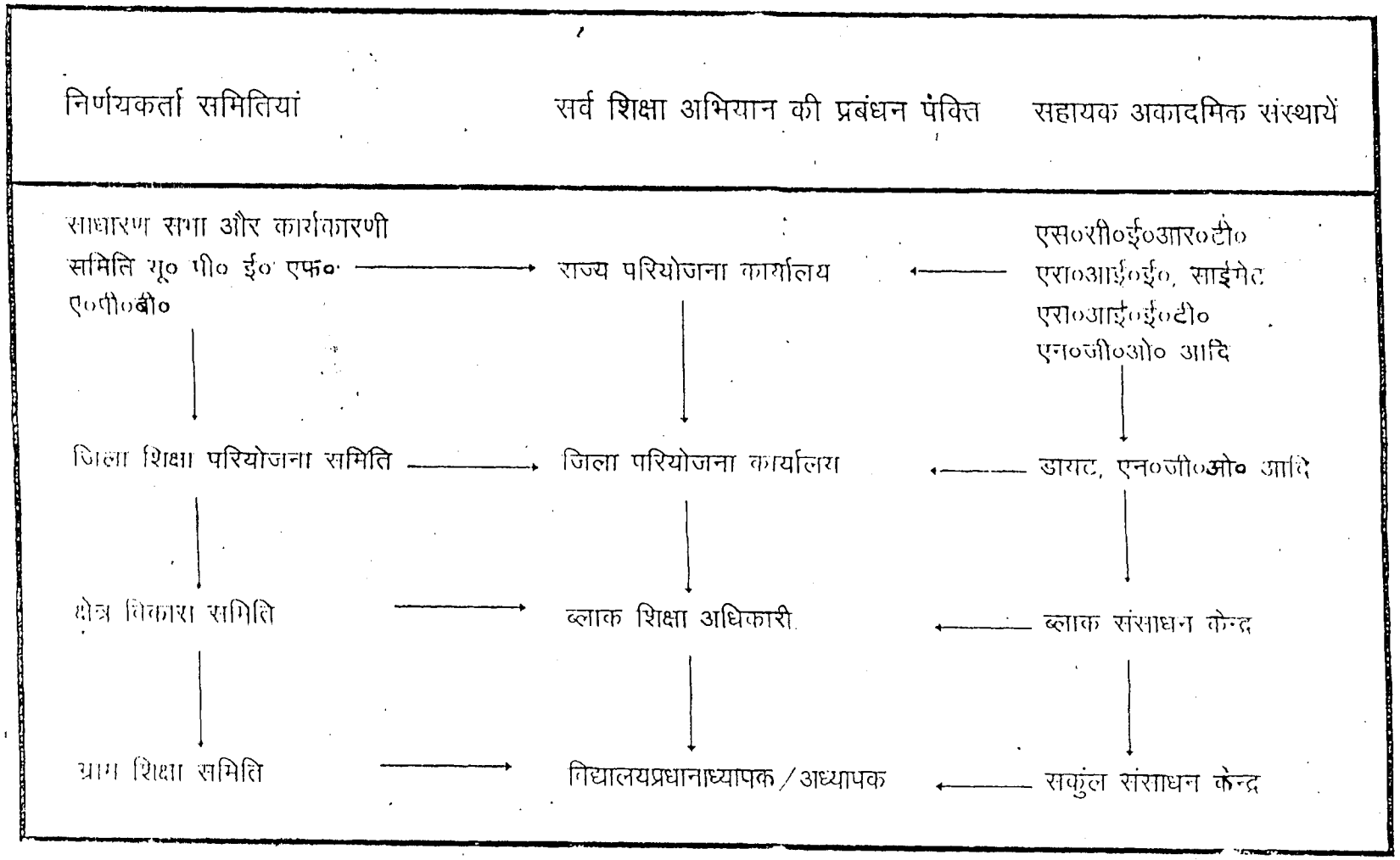
निर्णयकर्ता समितियां
सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति
सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी०
राज्य परियोजना कार्यालय
एस०सी०ई०आर०टी०
एस०आई०ई०, साईमेट
एस०आई०ई०टी०
एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति
जिला परियोजना कार्यालय
डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र शिक्षा समिति
ब्लाक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक
सकुंल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अर्न्तगत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया।जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति में जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सोंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1. ब्लाक प्रमुख — अध्यक्ष
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक — सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक .. सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियें एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नही।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल से वाहर बच्चों के संबंध में वस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डाइट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवंधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये सस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेंगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्ष कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रवन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूवर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्वर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय वैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकर्नाक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण** (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि वार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी:-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रवंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यक्तानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शौक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, एंवम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलो पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

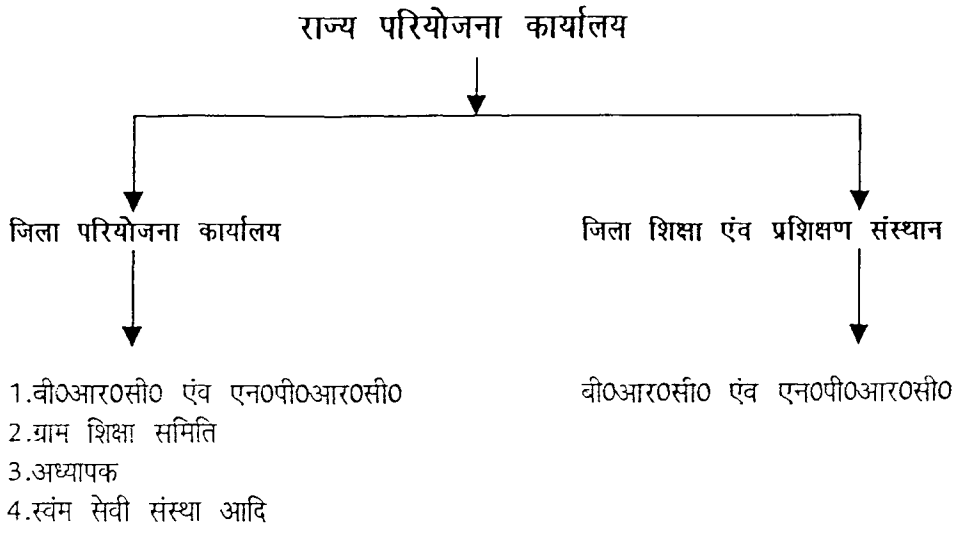

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा।राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जावेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड .पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

[illegible]-II

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS																					
A1	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	12	3108	11	2849															23	5957
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	17	5746	50	16900	50	16900	50	16900	50	16900									217	73346
2	Salary of PS Asstt Teacher/New School)	7	12	504	23	1932	23	1932	23	1932	23	1932	23	1932	23	1932	23	1932	23	1932	196	15960
	Salary of PS Shiksha Mitra	2.25	12	162	23	621	23	621	23	621	23	621	23	621	23	621	23	621	23	621	196	5130
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	68	2856	268	22512	468	39312	668	56112	868	72912	868	72912	868	72912	868	72912	868	72912	5812	485352
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	17	765	67	6030	117	10530	167	15030	217	19530	217	19530	217	19530	217	19530	217	19530	1453	130005
5	Fumiture / Fixture & Equipment																					
	PS	15			23	345															23	345
	UPS	50			67	3350	50	2500	50	2500	50	2500									217	10850
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1800
	Total		**139**	**13341**	**533**	**54739**	**732**	**71995**	**982**	**93295**	**1232**	**114595**	**1132**	**95195**	**1132**	**95195**	**1132**	**95195**	**1132**	**95195**	**8146**	**728745**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10																				
	Cohart Study	200			1	200					1	200					1	200			3	600
	Total				**1**	**200**					**1**	**200**					**1**	**200**			**3**	**600**
	Interventions for out of school children																					

185

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A3	Alternative School (EGS + AIE)																					
	EGS																					
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	3930	2771	11430	8059	21930	15461	18000	12690	6570	4632									61860	43613
	Primary (AIE)	1.0 per child	3125	3125	9375	9375	15625	15625	12500	12500	3125	3125	1563	1563							45313	45313
	Upper Primary (AIE)	1.0 per child	1250	1250	3250	3250	6375	6375	5125	5125	3125	3125	1563	1563	1563	1563	1563	1563			23814	23814
	Total		8305	7146	24055	20684	43930	37461	35625	30315	12820	10882	3126	3126	1563	1563	1563	1563			130987	112740
A4	Back to school campaign	1.5 per child			75	113	50	75	50	75	50	75	50	75							275	413
	Innovation for EGS	50			1	50															1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child			100	150	50	75	50	75	50	75	100	150							350	525
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa																					
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	SubTotal (A)		8445	20537	24766	75986	44763	109656	36708	123810	14154	125877	4409	98596	2696	96808	2697	97008	1133	95245	139771	843523
(R)	RETENTION																					
	Additional Classrooms	70	104	7280	450	31500	450	31500	450	31500	450	31500	400	28000							2304	161280
	Additional Teachers Primary School	7.7			350	32340	680	62832	1101	101732	1341	123908	1591	147008	1850	170940	1948	179995	2048	189235	10909	1007990
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5																				
R1	Toilets (PS + UPS)	10	46	460																	46	460
	Ree. of Old PS	191			20	3820	9	1719													29	5539
	Ree of Old UPS	270			2	540															2	540
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	62	1116																	62	1116

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Repairs																					
	Minor	20			45	900	5	100													50	1000
	Major	70			25	1750	4	280													29	2030
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	200	1000	300	1500	300	1500	300	1500	200	1000	162	810							1462	7310
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	140	5600	220	8800	220	8800	295	11800											875	35000
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school					12	24	23	46	23	46	23	46	23	46	23	46	23	46	150	300
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school					17	34	67	134	117	234	167	334	217	434	217	434	217	434	1019	2038
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district																				
	Promoting Girls Education																					
	Summer Camps	10 per camp			14	140	14	140	14	140	14	140	14	140	14	140					84	840
R6	MCDA including	75 per cluster							10	750			5	375							15	1125
	Gender Sensitization																					
R7	SUPW for Girls	25 per school					5	125	7	175	10	250	14	350	14	350	14	350			64	1600
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre																				
1	Strengthening ICDs Centres																					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100							1	100									2	200
4	Civil Works (one additional room)	70																				
5	TLM	5 per centre	100	500	30	150	30	150	30	150	20	100									210	1050
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	100	450	130	585	160	720	190	855	210	945	210	945	210	945	210	945	210	945	1630	7335

187

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre			100	150	130	195	160	240	190	285	210	315	210	315	210	315	210	315	1420	2130
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																					
	Induction	3	100	300	30	90	30	90	30	90	20	60									210	630
	Recurring	1.2			100	120	130	156	160	192	190	228	210	250	210	250	210	250	210	250	1420	1696
R10	Community Mobolisation																					
1	MTA/PTA Training	0.007	781	5	781	5	781	5	781	5	781	5									3905	25
2	Kala Jatha (VEC, Blick Lovel & Dist. Level)	8 per NPRC	113	904	113	904							113	904							339	2712
3	Development of Awareness Material	5 per block	14	70	14	70	14	70													42	210
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	113	565	113	565	113	565	113	565	113	565	113	565	113	565	113	565	113	565	1017	5085
5	Production of Audio Tapes	10 per district		10		10																20
6	Production of Video Tapes	10 per district			1	10	1	10													2	20
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district																				
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25			2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	16	400
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	27	135
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
R12b	Award for Best NPRC	7 Per Block	11	77	11	77	11	77	11	77	11	77	11	77	11	77	11	77	11	77	99	693
R12c	Award for Best Teachers	5 Per Block	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	99	495

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child			50	35	50	35	100	71											200	141
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child																				
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)																				
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)			500	600	400	480	400	480	400	480	200	240	200	240					2100	2520
R16	Computer Education for UPS composite school	100			5	500	5	500	5	500	5	500	5	500	5	500					30	3000
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	1462	731	1462	731	1491	746	1552	776	1602	801	1652	826	1702	851	1702	851	1702	851	14327	7164
	Book Bank & School Library	5.0 per school	1462	7310							1552	7760			1702	8510			1702	8510	6418	32090
	Sub Total (B)		**4824**	**26558**	**4883**	**86022**	**5079**	**110983**	**5816**	**151908**	**7267**	**169114**	**5117**	**181815**	**6498**	**184293**	**4675**	**183958**	**6463**	**201358**	**50622**	**1296009**
	(Q) Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day			350	735	330	693	421	884	240	504	250	525	259	244	98	206	100	210	2048	4001
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day			349	147	330	139	421	177	240	101	249	105	258	108	97	41	100	42	2044	860
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	12	5	11	5															23	10
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	17	7	50	21	50	21	50	21	50	21									217	91

189

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
5	Refresher Tonchers Training (10 Days)	0.07 per person per day	4671	3270	5020	3514	5350	3745	5771	4040	6011	4208	6261	4383	6520	4564	6618	4632	6718	4703	52940	37059
6	Refresher Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day					350	368	680	714	1101	1156	1341	1408	1591	1670	1850	1943	1948	2045	8861	9304
7	Induction training of EGS/AIE worker	0.07 per person per day	277	582	525	1103	662	1390													1464	3075
8	Refresher course for Shiksha Mitra	0.07 per person per day																				
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day			277	291	802	842	1464	1537	1464	1537									4007	4207
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	11	8																	11	8
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day	113	79																	113	79
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day			11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	11	4	88	32
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day			113	40	113	40	113	40	113	40	113	40	113	40	113	40	113	40	904	320
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	30	42	30	42	30	42	30	42	30	42	30	42	30	42	30	42	30	42	270	378
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	10	21	90	189

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	124	186	124	186	124	186	124	186	124	186	124	186	124	186	124	186	124	186	1116	1674
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	22	8	22	8	22	8	22	8	22	8	22	8	22	8	22	8	22	8	198	72
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	11	4																	11	4
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person			100	150	100	150	100	150	100	150	100	150	100	150					600	900
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	390	35	391	35					390	35	391	35							1562	140
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	9	630
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	4671	1635	2012	704															6683	2339
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	6	21	6	21	6	21	6	21	6	21	6	21	6	21	6	21	6	21	54	189
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	36	90
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	2456	516	2931	616															5387	1132
	Total		12826	6499	12337	7723	8295	7750	9228	7925	9917	8114	8913	7008	9049	7138	8984	7224	9187	7402	88736	66783
Q2	Teaching Learning Material																					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	4671	2336	5370	2685	6030	3015	6872	3436	7352	3676	7851	3926	8368	4184	8563	4282	8763	4382	63840	31922

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	916	458	916	458	1001	500	1251	626	1501	751	1751	876	2001	1000	2001	1001	2001	1000	13339	6670
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS+UPS)	0.150 per Child per year	201300	30195	228600	34290	259800	38970	268000	40200	276900	41535	286000	42900	295800	44370	302300	45345	309000	46350	2427700	364155
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1221	611	1233	617	1244	622	1244	622	1244	622	1244	622	1244	622	1244	622	1244	622	11162	5582
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	241	241	291	291	341	341	341	341	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	3084	3084
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000							1	1000					1	1000			3	3000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160			1	160			1	160			1	160			1	160	5	800
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10			1	10											3	30
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each			1	400							1	400							2	800
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each			1	400							1	400							2	800
12	School Awards	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	18	450
	Total		**208355**	**35221**	**236416**	**39361**	**268420**	**43818**	**277712**	**45445**	**287376**	**48328**	**297225**	**49708**	**307791**	**50920**	**314486**	**52834**	**321386**	**53098**	**2519167**	**418733**
	Subtotal (C)		**221181**	**41720**	**248753**	**47084**	**276715**	**51568**	**286940**	**53370**	**297293**	**56442**	**306138**	**56716**	**316840**	**58058**	**323470**	**60058**	**330573**	**60500**	**2607903**	**485516**
C1	DIET																					
	Civil Work	5000			1	5000															1	5000
1	Furniture	100			1	100															1	100

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Actlvity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
2	Equipments (including audio visual)	300			1	300															1	300
3	Computers Work Station	600			1	600															1	600
4	Vehicle (where appkicable)	350																				
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
7	Maintenance of Vehicle	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
8	Research/Action Research	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
	Seminars	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
9	Faculty Development	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
10	Exposure Visits	50	1	50			1	50	1	50	1	50									4	200
	Publications	400	1	200	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	9	3400
11	Library	25	1	25	1	25	1	25			1	25			1	25					5	125
12	Salary of Computer Operator	7	6	42	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	102	714
13	Salary of Driver (where applicable)	4	6	24	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	102	408
	Contingency	100	1	50	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	9	850
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Total		**23**	**686**	**38**	**7152**	**35**	**1202**	**34**	**1177**	**35**	**1202**	**33**	**1127**	**34**	**1152**	**33**	**1127**	**33**	**1127**	**298**	**15952**
C2	Block Resource Centre																					
1	Civil Construction	800																				
2	Salary Coordinator	6.5																				
3	Asstt. Coordinator	5.5	11	363	11	726	11	726	11	726	11	726	11	726	11	726	11	726	11	726	99	6171
4	Chowkidar	3																				
5	Equipment/Furniture	100																				
6	Travelling Allowance	5	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	99	495

193

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
7	Maint of Equipment	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	99	99
8	Maint of building	6	11	66	11	66	11	66	11	66	11	66	11	66	11	66	11	66	11	66	99	594
9	Books	10	11	110																	11	110
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1462	438	1462	438	1491	447	1552	466	1602	480	1652	496	1702	511	1702	511	1702	511	14327	4298
11	Consumables	5	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	11	55	99	495
12	Contingency	12	11	132	11	132	11	132	11	132	11	132	11	132	11	132	11	132	11	132	99	1188
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	132	40	132	40	132	40	132	40	132	40	132	40	132	40	132	40	132	40	1188	360
	Total		**1671**	**1270**	**1660**	**1523**	**1689**	**1532**	**1750**	**1551**	**1800**	**1565**	**1850**	**1581**	**1900**	**1596**	**1900**	**1596**	**1900**	**1596**	**16120**	**13810**
C3	School Complex (NPRC)																					
1	Construction	200																				
2	Salary Coordinator	6.5																				
3	Equipment/Furniture	10									113	1130									113	1130
4	Books for Library/Book Bank	5	113	565					113	565			113	565							339	1695
5	Contingency	2.5	113	283	113	283	113	283	113	283	113	283	113	283	113	283	113	283	113	283	1017	2547
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	113	271	113	271	113	271	113	271	113	271	113	271	113	271	113	271	113	271	1017	2439
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	1221	244	1233	247	1244	249	1244	249	1244	249	1244	249	1244	249	1244	249	1244	249	11162	2234
	Total		**1560**	**1363**	**1459**	**801**	**1470**	**803**	**1583**	**1368**	**1583**	**1933**	**1583**	**1368**	**1470**	**803**	**1470**	**803**	**1470**	**803**	**13648**	**10045**
C4	District Project Office																					
	Staffing Coordinators4																					
	Consultants2																					
	AAO																					
	Driver1																					

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	(if vehicle is purchases)	7x12	1	426	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	9	7242
	Equipment	50	1	50	1	50															2	100
	Furniture & Fixtures	50	1	50																	1	50
	Books	10			1	10							1	10							2	20
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350																				
	Motorcycle	50	15	750																	15	750
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	9	675
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	11	792	11	792	11	792	11	792	11	792									55	3960
	POL for Motor Cycle	12x4	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	9	432
	Maintenance of Equipment	10			1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	8	80
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1462	231	1491	236	1552	245	1602	253	1652	261	1702	269	1702	269	1702	269	1702	269	14567	2302
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Research & Evaluation	0.300 per schoil			1491	447			1602	481			1702	510			1702	510			6497	1948
	Total		**1498**	**2512**	**3004**	**2610**	**1572**	**2112**	**3224**	**2601**	**1672**	**2128**	**3414**	**1864**	**1711**	**1344**	**3413**	**1854**	**1711**	**1344**	**21219**	**18369**

195

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
SAHARANPUR

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4 1	MIS																					
1	MIS Cail Fumisning	50		50																		50
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p.m. ×12	3	126	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	3	252	27	2142
	Salary of MIS Officer	10 x 12	1	60	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	9	1020
3	MIS Equipments (where applicable)	460		460																		460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of equipments	20			1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	8	160
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		6	741	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	7	437	62	4237
	Sub Total (D)		4758	6672	6168	12523	4773	6086	6598	7134	5097	7265	6887	6377	5122	5332	6823	5817	5121	5307	51347	62413
	Grand Total		239208	95387	284570	221615	331330	278293	336062	336222	323811	358698	322551	343504	331156	344491	337665	346841	343290	362410	2849643	2687461

Note : Salary of Teachers in the 1st Year provided for Six Months.

SUMMARY OF PROJECT COST - I
SAHARANPUR

(Rs. in Thousands)

YEAR	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	TOTAL COST
2001-2002				
Amount	15456	3253	76678	**95387.00**
2002-2003				
Amount	67664	3047	150904	**221615.00**
2003-2004				
Amount	63648	2549	212096	**278293.00**
2004-2005				
Amount	61700	3038	271484	**336222.00**
2005-2006				
Amount	49400	2565	306733	**358698.00**
2006-2007				
Amount	45710	2301	295493	**343504.00**
2007-2008				
Amount	0	1781	342710	**344491.00**
2008-2009				
Amount	0	2291	344550	**346841.00**
2009-2010				
Amount	0	1781	360629	**362410.00**
TOTAL	**303578**	**22606**	**2361277**	**2687461**
As % of Total Cost	**11.30**	**0.84**	**87.86**	**100.00**

SUMMARY OF PROJECT COST - II
SAHARANPUR

(Amount in Lakhs)

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP. BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	20537.00	26558.00	41720.00	6572.00	95387.00
As % of Total Project Cost	21.53	27.84	43.74	6.89	100.00
2002-2003					
Amount	75986.00	86022.00	47084.00	12523.00	221615.00
As % of Total Project Cost	34.29	38.82	21.25	5.65	100.00
2003-2004					
Amount	109656.00	110983.00	51568.00	6086.00	278293.00
As % of Total Project Cost	39.40	39.88	18.53	2.19	100.00
2004-2005					
Amount	123810.00	151908.00	53370.00	7134.00	336222.00
As % of Total Project Cost	36.82	45.18	15.87	2.12	100.00
2005-2006					
Amount	125877.00	169114.00	56442.00	7265.00	358698.00
As % of Total Project Cost	35.09	47.15	15.74	2.03	100.00
2006-2007					
Amount	98596.00	181815.00	56716.00	6377.00	343504.00
As % of Total Project Cost	28.70	52.93	16.51	1.86	100.00
2007-2008					
Amount	96808.00	184293.00	58058.00	5332.00	344491.00
As % of Total Project Cost	28.10	53.50	16.85	1.55	100.00
2008-2009					
Amount	97008.00	183958.00	60058.00	5817.00	346841.00
As % of Total Project Cost	27.97	53.04	17.32	1.68	100.00
2009-2010					
Amount	95245.00	201358.00	60500.00	5307.00	362410.00
As % of Total Project Cost	26.28	55.56	16.69	1.46	100.00
GRAND TOTAL	843523.00	1296009.00	485516.00	62413.00	2687461.00
As % of Total Cost	31.39	48.22	18.07	2.32	100.00

अध्याय - 12

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SAHARANPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	12	3108	12	3108
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	17	5746	17	5746
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School)	7	12	504	12	504
	Salary of PS Shiksha Mitra	2.25	12	162	12	162
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	68	2856	68	2856
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	17	765	17	765
5	Furniture / Fixture & Equipment					
	PS	15				
	UPS	50				
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200
	Total		**139**	**13341**	**139**	**13341**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10				
	Cohart Study	200				
	Total					
	Interventions for out of school children					
A3	Alternative School (EGS + AIE)					
	EGS					
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	3930	2771	1965	1386
	Primary (AIE)	1.0 per child	3125	3125	1563	1563
	Upper Primary (AIE)	1.0 per child	1250	1250	625	625
	Total		**8305**	**7146**	**4153**	**3573**

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SAHARANPUR

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
A4	Back to school campaign	1.5 per child				
	Innovation for EGS	50				
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child				
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa					
	Upgradation of Micro Planning Data	50	1	50	1	25
	SubTotal (A)		**8445**	**20537**	**4292**	**16939**
(R)	**RETENTION**					
	Additional Classrooms	70	104	7280	104	7280
	Additional Teachers Primary School	7.7				
	Additional Teachers Upper Primary School	6.5				
R1	Toilets (PS + UPS)	10	46	460	46	460
	Ree. of Old PS	191				
	Ree of Old UPS	270				
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	62	1116	62	1116
	Repairs					
	Minor	20				
	Major	70				
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	200	1000	200	1000
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	140	5600	140	5600
R4	School Improvement Grant (PS)	2 pa per school				
	School Improvement Grant (UPS)	2 pa per school				
R5	Innovative Programmes upto max. Rs. 50 lacs	5000 per district				
	Promoting Girls Education					

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SAHARANPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Summer Camps	10 per camp				
R6	MCDA including	75 per cluster				
	Gender Sensitization					
R7	SUPW for Girls	25 per school				
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre				
1	Strengthening ICDs Centres					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district	1	100	1	100
4	Civil Works (one additional room)	70				
5	TLM	5 per centre	100	500	100	500
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	100	450	100	450
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre				
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)					
	Induction	3	100	300	100	300
	Recurring	1.2				
R10	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA Training	0.007	781	5	781	5
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	113	904	57	452
3	Development of Awareness Material	5 per block	14	70	7	35
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	113	565	57	283
5	Production of Audio Tapes	10 per district		10		5
6	Production of Video Tapes	10 per district				

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SAHARANPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district				
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25				
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15
R12a	Award for Best BRC	10 Per Block	1	10	1	10
R12b	Award for Best NPRC	7 Per Block	11	77	11	77
R12c	Award for Best Teachers	5 Per Block	11	55	11	55
R13	Remedioal Teaching of SC/ST Education	0.705 per child				
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child				
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)				
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)				
R16	Computer Education for UPS composite school	100				
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	1462	731	731	366
	Book Bank & School Library	5.0 per school	1462	7310	731	3655
	Sub Total (B)		**4824**	**26558**	**3242**	**21763**
	(Q) Quality Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day				
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day				
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	12	5	6	3
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	17	7	9	4

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SAHARANPUR

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
5	Refresher Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	4671	3270	2336	1635
6	Refresher Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day				
7	Induction training of EGS/AIE worker	0.07 per person per day	277	582	139	291
8	Refresher course for Shiksha Mitra	0.07 per person per day				
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day				
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	11	8	6	4
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day	113	79	57	40
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day				
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day				
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	30	42	15	21
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day	10	21	5	11
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	124	186	62	93
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	22	8	11	4
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	11	4	6	2
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person				
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day	390	35	195	18

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SAHARANPUR

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	1	70	1	35
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	4671	1635	2336	818
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	6	21	3	11
24	Training on EMIF by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	4	10	2	5
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day	2456	516	1228	258
	Total		**12826**	**6499**	**6413**	**3250**
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PT+SM)	0.5	4671	2336	4671	2336
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	916	458	916	458
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS+UPS)	0.150 per Child per year	201300	30195	201300	30195
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1221	611	611	306
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	241	241	121	121
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS + UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000	1	500
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	80
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	80
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	5

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SAHARANPUR

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each				
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each				
12	School Awards	25	2	50	2	50
	Total		**208355**	**35221**	**207622**	**34130**
	Subtotal (C)		**221181**	**41720**	**214035**	**37380**
C1	DIET					
	Civil Work	5000				
1	Furniture	100				
2	Equipments (including audio visual)	300				
3	Computers Work Station	600				
4	Vehicle (where appkicable)	350				
5	Hiring	5	1	5	1	3
6	POL	30	1	30	1	15
7	Maintenance of Vehicle	20	1	20	1	10
8	Research/Action Research	200	1	100	1	50
	Seminars	200	1	100	1	50
9	Faculty Development	30	1	30	1	15
10	Exposure Visits	50	1	50	1	25
	Publications	400	1	200	1	100
11	Library	25	1	25	1	13
12	Salary of Computer Operator	7	6	42	6	42
13	Salary of Driver (where applicable)	4	6	24	6	24
	Contingency	100	1	50	1	50
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10
	Total		**23**	**686**	**19**	**406**
C2	Block Resource Centre					

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SAHARANPUR

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
1	Civil Construction	800				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Asstt. Coordinator	5.5	11	363	11	363
4	Chowkidar	3				
5	Equipment/Furniture	100				
6	Travelling Allowance	5	11	55	11	55
7	Maint of Equipment	1	11	11	6	6
8	Maint of building	6	11	66	6	33
9	Books	10	11	110	6	55
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	1462	438	731	219
11	Consumables	5	11	55	6	28
12	Contingency	12	11	132	6	66
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	132	40	66	20
	Total		**1671**	**1270**	**847**	**844**
C3	School Complex (NPRC)					
1	Construction	200				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Equipment/Furniture	10				
4	Books for Library/Book Bank	5	113	565	57	283
5	Contingency	2.5	113	283	57	142
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	113	271	57	136
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	1221	244	611	122

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SAHARANPUR

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Total		**1560**	**1363**	**780**	**682**
C4	District Project Office					
	Staffing Coordinators4					
	Consultants2					
	AAO					
	Driver1					
	(if vehicle is purchases)	7x12	1	426	1	426
	Equipment	50	1	50	1	50
	Furniture & Fixtures	50	1	50	1	50
	Books	10				
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350				
	Motorcycle	50	15	750	15	750
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20
	Consumables	25	1	25	1	25
	Telephone/fax	30	1	30	1	30
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	75	1	75
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	11	792	11	792
	POL for Motor Cycle	12x4	1	48	1	48
	Maintenance of Equipment	10				
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	1462	231	1462	231
	Contingency	10	1	10	1	10
	Research & Evaluation	0.300 per scholl				
	Total		**1498**	**2512**	**1498**	**2512**
C4 1	MIS					
1	MIS Call Furnisning	50		50		50

ANNUAL WORK PLAN BUDGET

SAHARANPUR

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per Perspective Plan		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p.m. ×12	3	126	2	84
	Salary of MIS Officer	10 x 12	1	60	1	60
3	MIS Equipments (where applicable)	460		460		460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of equipments	20				
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25
	Total		6	741	5	699
	Sub Total (D)		4758	6572	3148	5143
	Grand Total		239208	95387	224717	81224

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11488
Date 09-07-2002
208

परिशिष्ट

रूप संख्या—177

रजि० नं० एस०एस०/एल०पी० ४१०

लाइसेन्स नं० ...

लाइसेन्स टु पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक संवत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1245/सत्रह-वि०-1—1(क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा; और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(च) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ग) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

क्रम-संख्या—177

रजि० नं० एस०एस०/एन०पी० 91

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1245/सत्रह-वि0-1—1(क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

नगरपालिकाओं को उनके कृत्यों के संपादन में ऐसे निदेश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हों।"

(ख) खण्ड (झ-2) निकाल दिया जायगा।

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,— धारा 5 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अभिनिर्दिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18-क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद्, लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :— धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन

"10—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत, परिषद् या राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और निदेशन

जिला पंचायत के कृत्य

के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित सदस्य या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, सामान्यतया ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय ।

नगरपालिकाओं के कृत्य

10-क—यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, निदेशन और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

ग्राम शिक्षा समिति और उसके कृत्य

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो ग्राम शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना ;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं ;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—अध्यारोही प्रभाव संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।"

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2000 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 1999 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1999

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1—1(KA)-29-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 18 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (*e*) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*b*) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (*c*) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 7 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (*d*) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (*c*) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (*d*) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) in clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchayats or Municipalities" shall be *substituted*;

(d) in clause (*f*) the words "and in particular, to [illegible] ment of any [illegible] such [illegible] as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

5. In section 5 of the principal Act,— Amendment of section 5

(*a*) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*,

(*b*) In sub-section (2),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:— Insertion of new section 9-A

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,— Control of teacher and properties of basic schools

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (2) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. *For* section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Functions of Zila Panchayats

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

Functions of Municipalities

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

Gaon Shiksha Samiti and its function

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a Woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary:

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*. — Omission of section 12-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— — Insertion of new section 13-A

"13-A. Over riding effect — Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect."

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*; — Amendment of section 14

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*. — Amendment of section 17

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed. — Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

संख्या:2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र भौन्याल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बे0)
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ0प्र0 के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1- जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

....2...

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत "शिक्षा मित्रों" के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रुपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रुपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तद्नुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ०प्र०।
4- निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ०प्र०शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ०प्र०लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र०
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
9- शिक्षा निदेशक (मा०/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ०प्र०लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग -1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन।
12- शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र शर्मा मिश्रा)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या: 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई, 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना की रूप रेखा निम्नवत् है। यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी।

शिक्षा मित्र संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और माँग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से नियत मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र" होगा।

2- (1) शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

(2) ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है।

शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- (1) शिक्षा मित्र (पुरुष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

(2) उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला/पुरुष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष को चिन्हित किया जायेगा।

.....2....

(iii) किसी भी विद्यालय में शून्यकालिक अध्यापक तथा "शिक्षा मित्र" का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी0ई0पी0/डी0पी0ई0पी0परियोजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदोंमें शिक्षा निदेशक । बे0। द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा निर्धारित संख्या के अनतर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे ।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति । महिला/ पुरुष।का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- (क) ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के गणित अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

(ग) समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आँकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी । तदनुसार 10। छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आँकलन किया जायेगा।

(घ) विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50/ महिलायें होगी। इनका भी चयन बिन्दु (ख) में इंगित आधार पर किया जायेगा।

(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत सुनिश्चित किया जायेगा।

....3...

।ग। ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जावेगा।

संविदा की अवधि — 7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जावेगी ।

संविदा अवधि का मानदेय — 8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रूपया 1450/- प्रतिमाह नियत मानदेय पर रखा जावेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया — 9- ।1। किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

।2। संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जावेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति — 10- ।1। उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जावेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत कर, निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे ।

।2। अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रूपया 1450/-

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वत: समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

111 प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1111 पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक स्तर शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व को निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पदार्थ जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण

12- 111 शिक्षा मित्र को आकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण मुख्यत: इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरलता स्तर पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक द्वितीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक द्वितीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उनकी समस्याओं का समाधान

...5.

किया जायेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जायेगा। यदि कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जायेगा।

(II) शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक /प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे।

(III) ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति "शिक्षा मित्र" भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

(IV) विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तब ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त करती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती

दान की व्यवस्था

13- (I) इस योजना के अधीन "शिक्षा मित्र" के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का आगणन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जायेगा तथा एक किश्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी किश्त पूर्व स्वीकृत किश्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी। धनराशि दो समान किश्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

......

14- प्रस्तर -13 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरूपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किस्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की निम्नानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है ।

दिनेश चन्द्र कनौजिया।
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक;
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनंभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4336/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(बे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:</u>

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(बे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(बे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत से जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. <u>शिक्षा मित्र की अर्हतायें:</u>

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. <u>शिक्षा मित्र का कार्यकाल:</u>

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नही दिया जायेगा।

6. <u>शिक्षा मित्र का मानदेय:</u>

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. <u>शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:</u>

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 1500/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 1500/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हे निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियो का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के सम्बंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

प्रारूप-एक

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,

ग्राम शिक्षा समिति,

ग्राम पंचायत -.....

जिला -.....

महोदय,

ग्राम पंचायत-.....द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.....को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -

(क) हाई स्कूल -	श्रेणी	प्राप्तांक
(ख) इण्टरमीडिएट	श्रेणी	प्राप्तांक
(ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0	श्रेणी	प्राप्तांक

5. जन्म तिथि

[(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]

6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्तें मान्य होगी।

दिनांक- भवदीय,

(

नाम/पता:

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व</u>:

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किनतु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. बेसिक शिक्षा शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

(डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रारूप-दो

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.....आत्मज/पत्नि.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....

जिला.....स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वेच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते है तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उज्रदारी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जायें तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में, यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:रा0प0नि0/ 539 /2001–2002
लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

(1)	प्रमुख सचिव, शिक्षा	अध्यक्ष
(2)	सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(6)	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य–सचिव
(7)	निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
(8)	निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
(9)	भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(12)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक	सदस्य
(13)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(14)	निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
(15)	निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद	सदस्य
(16)	निदेशक, एस0आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य

(17)	निदेशक, महिला समाख्या	सदस्य
(18)	सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो।	सदस्य
(19)	प्रमुख सचिव (शिक्षा) द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो।	सदस्य

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

* शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
* इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
* यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी– "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
* इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
* योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
* राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
* स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
* समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.....3/-

* योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
* वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
* समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
* स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
* समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
* कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
* अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।
* समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
* इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
* यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.....4/-

* यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परि
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:-रा0प0नि0/ 466 /2001-2002
लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद सतर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं0:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अनु0 जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
5.	दो महिला ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
6.	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद्	सदस्य
8.	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
9.	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
12.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
14.	लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
14.	समन्वयक महिला समाख्या	सदस्य
15.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

.....2/-

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेंगी :-

(1) जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

(2) योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

(5) यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

(7) समिति जनपद से निम्न स्तरों (विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर) पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

(8) समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

(9) समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

.....3/-

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(4) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।
(5) मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश।
(11) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं पशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(12) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) समन्वयक, महिला समाख्या।
(14) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

(वृन्दा स्वरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
[illegible]
संख्या-2000/62-2-2000-2/13(9)/93
लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजूकेशन (ई0सी0सी0ई0) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी — अध्यक्ष
(2) जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 — सदस्य
(3) सम्बन्धित विकास खण्ड के प्रति उपविद्यालय निरीक्षक — सदस्य
(4) सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 — सदस्य/सचिव
(5) सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी — सदस्य
(6) जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा — सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उन्हें इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्नवत् प्रोत्साहन/अतिरिक्त मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

1- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री — रू0250/-
2- [illegible] — रू0125/-
3- जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

(डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत चलाये जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहां की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी । उपरोक्तवत् आगणित मानदेय सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी । प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु०5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु01500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी । जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, वहां यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु०5000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय रूप से निर्माण में व्यय की जा सकती है । शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी । आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी । अतः रु० 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान की ग्राम निधि में स्थानान्तरण की जायेगी ।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का सही से लेखा-जोखा रखा जाए ।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे नींबू, अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा । इन पेड़ों की पौध क्रय करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा । प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकत्री का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी केन्द्र के नाप के आधार पर अधिक से अधिक इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों के फलों से लाभार्थियों को प्राकृतिक रूप में प्रचुर पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा ।

8- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करे और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड की बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4- सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर सिंह)
उपसचिव।

क्रम०	जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	
1	2	3	4	5
1-	देवरिया	दरहा	35	[illegible], [illegible], मंझिल, [illegible] गांव, [illegible], रामपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], हरकौरा, छोटपा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मिर्जापुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवपार, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], मिर्जापुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर [illegible] ।
		रुद्रपुर	18	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], शीतल [illegible], [illegible], [illegible] ।
		सलेमपुर	10	[illegible], [illegible], [illegible], देवरिया [illegible] रामपुर, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		बैतालपुर	12	[illegible], जगदीशपुर, [illegible], गोविन्दपुर, [illegible], करमेल [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], ईटवा ।
2-	[illegible]	[illegible]	67	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible]-1, [illegible], [illegible]-, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

	दुधी	44	गीडर, रजखड़, दुम्हान, महुवरवा, झाझारिया, दमोरा, झारोकला, कटौली, झारोखुर्द, पिपराही, महतौली, रजखु, मल्देवा, सगाड़, जुरी, देहा, दीदुम, हमया, झझवार, सिमाटोला, पिपरडीह, रामपुर, हरपुरा, महुली, दाहिया, मझौलिया, ससैयाडीह, परती, कोतवा, मुड़ेहवा, पोतिलह्वा, जाताजुआ, केवाल रज रजखड़-।।, दुम्हान-।।, हथानी, नरसा दमोर ।अपना।, कटौली, धारा, महुआरिया, कुमरडीहा, जंपर, दीदुम । कुमरडीहा ।
3- ललितपुर	मड़ावरा	16	रनगांव, गुरयाना, देरवारा, मड़ावरा, अर्जुनखिरिया, गौना, गौना, रजपुरा, इकौना, जलंदर, पहाड़ीकला, सौलदा, बारीसागर, बमराना, उल्दनाखुर्द, डोंगरा
	बिरधा	04	जाताबेहट, कुसमांरा, पटकेमरा, बौरी ।
	बार	25	बारौन, टोड़ी, बेलगवां, सरावली, गोंगरा, नार, पगर, देवराम, सिंगलौजा, नाअपुर, डगराना, बारीटोरन, बेलोनीतोण, गैदोरा, कलवारा, बाडा, क्षेत्ररारा, मारौली, बगारा, हीरापुर, पिलना, करवई, दिदौरा, बैतवारा, रावली ।
	जखौरा	03	चितरा, सिवनीखुर्द, वमरौजा ।
	महरौनी	03	पठा, कम्हेड़ी, बैजवारा ।
	तालबेहट	24	करेगा, वनगुवां कला, पिपरोठा।बोलाई।, मगांव, मड़ कोटरा, उदगुवा, पिजयपुरा, पुराकला, पुरायली, रुधेरा, कड़ेसरा कलां, सेरवांसकला, पिपरोठा, मिहारीपुरा, रामीपुरा, नायगी, मडेसरा, कूटोरा, कड़ारी, सबुरा, धवारी, बांसा, रजावन ।
4- बदायूं	वजीरगंज	25	रोठा, बनौतिया, सरोई-मोठा, कुलियां-फतेहपुर, सिसइया, पेपल, सरेन, जागी हरनाथपुर, सईपुर, सिरतौली गंज, रहौलिया, उरैना, हरनाथपुर, बीरमपुर, पहदुसा, मीरापुर, चिकवरी, मामरपुर, कबेर, इ पलौटा, बरवारी, इसरा, धमिसगोटिया, सिहवारा, बलकोटा [illegible] ।

		[illegible]	25	गुदरनगर, [illegible], सिधौली, देवपुर, अलेमऊ, [illegible], [illegible], [illegible], कटरा-मरगौ, [illegible], [illegible], पारा, [illegible], अहेड़ा, रफानापुर, [illegible], [illegible], धनगुरा, [illegible], उदयपुर, करियामई, [illegible] ।
5-	महराजगंज	परिहरा	11	डोमरा, पटियारा-2, [illegible], सिरौरा, [illegible], [illegible], कोहरा, देवीपुर, मधुबन, बारहा, मोहरा तिवारी, हंसोरी ।
		महराजगंज	15	रामपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मधुबन, [illegible], भैजौली, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], तिवारी, [illegible], कुटहा, [illegible] ।
		शिवरतनगंज	10	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], हरगांव
		फरेन्दा	40	[illegible], तेनार-महदेवा, [illegible], [illegible], [illegible], सिरसानगर, [illegible], [illegible], महदेवा बुजुर्ग, [illegible], गणेशपुर, [illegible], [illegible], फरेन्दा खुर्द, [illegible] तिवारी, गोपालपुर पिपरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], परसा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], महदेवा, [illegible] देवीपाटन, [illegible], [illegible], पचरुखी, हरपुर, फरेन्दा बुजुर्ग, रामनगर, [illegible] ।
6-	[illegible]	[illegible]	21	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रतनपुर [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], फतेपुर [illegible] ।
		[illegible]	21	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवरास, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

........4

7-	फिरोजाबाद शिकोहाबाद	49	दशिघारा, रहटटी, नाद्रमई, सिदरऊआ, सहजापुर, अरांव, इट्टौली, फिसपुर, मोहम्मदाबाद, डाहिली, ऊजरी, पुरीछब्बर, हरगजपुर, अहमदपुर, देवनगुर-ऊर्फ, हरिया, सुउडा, मुबारकपुर, नया-बगला, मरजानकपुर, नवारा, नाओसिलौली, इस्दुमई, मोहली, ... पुर, प्रतापहरा, रौठरा, अब्दुलनगर, चिलावली, उधपुरा फिराट, मुलदेवगढ़, पूड़ा पटहरा, अलहा, मलापपुर, धमरौली, प्रेमड़ा, ओटाई, सहजपुर-ऊर्फ, सरपरा नट्ट, बसीरपुर, नीम-गोरियाखे० कट्ठी, मांमी, नतीरपुर, नगपुर, जाफ़रीपुर, सुभावकपुर, मनपुरा, करतपुरा, इपताप, मलापपुर।
	टुण्डला	41	मोहम्मदपुर, टुण्डलागाव, टुण्डलागाव, बाई, मोहम्मदाबाद, बदलामहमादाबाद, टुण्डली, ख० दर्री, ख० सिंघी, याई, दरहुआ, गोरपुरा, गोरपुरा, पारे गांव, ठारहीरा, सुतपुर, नंदौली, नाहई, मढ़ी गोपाल, पुरहावली, पुरहावली, नारोलीपुर, कोटकी, देवकेड़ा, पगारारी, नई बस्ती, ख़ैरपुर, मढ़ी मुबारक, युनावलपुर, हेमराजपुर, मासिय, श्रीनगर, मढ़ी बोरी, नटवन, हिम्मतपुर, नरहरा, नटहरन, मढ़ी, विर्ज, रिमसिंहपुर, मटोका, छिताइ।
8-	लखीमपुरखीरी धिगारहव	26	सरपतहा, मिरजापुरवा, मोहनसिंहटोलड़, कबोरी, हैडरा, हैडरा, हैडरा-2, बब परसोता, मोतीपुर, मोतीपुर, सिंगाहीमाता, सिंगाही समरौला, परसोता, बुधा परसोता, दुबाबरसोता, बरेनावाद, रसालगंज, मंगापुरवा, सिंगहीखेरा, सिंगाही, सिंगाही, सिंगहा, कुम्भापुरवा, नकी पुरवा, रघुनापुरबंगली सिंगाहीखरा।
	मितुला	25	पठेड़ा, छिमरौल, नाकहा, रामनगर, अमारा, ब तेलपुर, कड़िहिया, देवरिया, अलीगंज, रहा देवरिया, बहपुरवा, मेहसी, मुनरिया, नौहर-1, पकरियाबुला, सुछियाहेपसिंह, नगवा, नौबोहा,

				[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], पुरी, ओमिया, अयहिमा । अमेठी ।
--	मुरादाबाद	मुरादाबाद	15	मनोहरपुर, [illegible], दारागड़ा, [illegible], [illegible], मोलीपुर, रामपुर, सिरसौर, दे मानी, [illegible], देरवारल्लपुर, नानकी दासपुर, रसूलपुर, [illegible], सोरसपुर, [illegible], सियामपुर, मक्बोलनगर अ [illegible], रामसपुर, [illegible], पारा [illegible] ।
		बिलारी	09	सकूला, रसलपुरपुर, [illegible], रमोहारा, [illegible] भाजी, राजा का सहजपुर, छुछ, गैदरा, देपुर ।
		कुन्दरकी	15	चिलपुर, रायमलला, विविगाठेर, हादीपुर सिंग, चांदपुरमहोला, गोवरपुर, मुपुर, हरियाला, मढौला, आस, अटपुरा, लालपुर, कमालपुर, हरीपुर, पालपुर, सहदतपुर, [illegible] ।
10-	गोण्डा	पन्डरीकृपाल	25	पन्डी ठाकुर, मरहरिया हरियंग, तेजपुर ग्यान, सिंगौरअहदपुर, रसपापुरदयाल, पिपरादवेरिया द्वितीय, रेनापुर, पिपरा, मिटौरा प्रथम, ज्मरिया, ओजापार, मिपुर, मुजेहरना खुर्द, सिरोरामोहन, पिपिला, उत्तीपुर द्वितीय, बछौरवा, पिलखाँवा, परसिया, मुजेहरवा माफी, चौलमपा, पीरपुर, पूरेवार, पूरखोल, इकडापुर, सिगौलिया, भगुलमो, सीटी, पटरवांती, मतारी ।
11-	हरदोई	सण्डीला	25	पुरवामऊ, मीती, कुर्ती ठियरहा, भुलामऊ, अटवापरी, सिहटी, अतनपुर, वेयबगंज-।।, तिलोईसारता, हाउ-।, परवा, अरेदपुर, बयलारा, सियरपरा, मह, भुनौली-।, मटोहरापुर, माहिमत-।, [illegible] अमवर्ग, महरूसिंग, मडलवाला, लोहितामऊ, मटेरा-।, टिकरासटा, मीरनगर अजनंदा ।
		छतौना	22	मझटी, कुट्टी, हुसैनी, रवतौरी, वरवा, [illegible], ठंडा, गोयपा, अनहपुर, करौलाख, चपुरहा, चनौली, बरादम देव, पसौली, कुहरा, गौरी, डालथा-।।, [illegible]-पारा, मेउम्बा, हालपुर, दोहागी, दहली, [illegible] ।

12- बरेली बरेलीशहर 124 इन्दिरानगर, बाकरगंज, संजयनगर, सिविल लाइन्स टोला, राजेन्द्रनगर, कालीबाड़ी, कुंडा, हरुनगला, [illegible], कुतुबखाना, करोलान, कोहाड़ापीर, [illegible], कटघर, रामपुरबाग, कुड, सिविल लाइन्स, [illegible], [illegible], रबड़ी टोला, बाराखम्भा, मीरगंज, [illegible], मेहटा पुलिया, नियापुर, नईबस्ती, प्रेमनगर, [illegible], [illegible], [illegible] की छावनी, [illegible], [illegible], दुर्जनपुरी, देवपुर, चौधरी सराय, कटरा मानराय, [illegible], मीरनगर, [illegible], मढ़ीनाथ, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बाकुलताबंज, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], सुभाषपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-II, [illegible], राजेन्द्रनगर-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, अतरछेड़ी-II, शिवपुरी-II, मीरगंजपुर-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, अलीगंज-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible], [illegible]-II, [illegible]-II, राजेन्द्रनगर-II, [illegible]-II, कुड-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, मढ़ीनाथ-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible]-III, मढ़ीनाथ-III, अतरछेड़ी-III, राजपुरकलां-III, शिवपुरी-III, [illegible]-III, [illegible]-II, [illegible], [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, शिवपुरी-4, शिवपुरी-5, शिवपुरी-6, शिवपुरी-7, राजपुर कलां-4, [illegible]-II, बाकरगंज-III, मढ़ीनाथ-4, [illegible]-4, [illegible]-5, मढ़ीनाथ-4 ।

13- पीलीभीत [illegible] 25 [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], बहादुरगंज, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

		[illegible]पुर	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर [illegible], [illegible], दुरेवा, [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], पुर [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
		[illegible]डा	25	[illegible], [illegible] ।
14-	सि.टर्थनगर	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]कर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] ।
		[illegible]गंज	25	[illegible], रेहरा, [illegible]पुर, [illegible]डिया, [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर ।
5-	[illegible]नगर	[illegible]	22	[illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।

......

संख्या-3274 /5-11-2000- ई-42/?

प्रेषक,

डा. डी.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बे.)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
रा.शै.अ. एवं मूल्यांकन
उ०प्र०, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2000

विषय:- उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण।

:-----:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम.एल.17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिसकी पूर्ण सूची संलग्न है, [illegible] पी.ओ.आई. यू.एन के अन्तर्गत लिया गया है, इन्हें करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में प्रशिक्षित शिक्षकों से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों का चिन्हित करना व उन्हें उपचार-हेतु रेफर तथा कृमिनाशक (डी-वार्मिंग)

अभियान चलाया जाता है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सके।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से सितम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तद्नुसार सूचित करायेंगे।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में एक माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन नापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ स्थानों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1.	लाल संदर्भ कार्ड	गम्भीर रोगों के लिये
2.	पीला संदर्भ कार्ड	कम गम्भीर रोगों के लिए
3.	हरा संदर्भ कार्ड	साधारण रोगों के लिए

स्वास्थ्य कार्डों व संदर्भ कार्डों में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं उनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्त्री (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक को सहयोग करेंगी।

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठक करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी इस कार्य हेतु रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/स्वैच्छिक/कल्याणकारी संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ब्लाक में सी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये सी.एच.सी. पर प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपैडिक सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक गाँव पंचायत व विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही समयानुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह अन्त प्राप्त पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लखनऊ को व उसकी एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को अवगत करायेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(डा० सी.डी. [illegible])
सचिव।

संख्या-3274(1)/5-11-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव ~~महोदय~~ महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, वैदिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

(कामिनी श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उ०प्र० राज्य के लिए शिक्षा परियोजना {बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद}

1. वाराणसी
2. गजरौली
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14 औरैया
15. हाथरस
16. चन्दौली
17. चित्रकूट

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम {डी०पी०ई०पी० जनपद}

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुरखीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहांपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

डी.एस.पी.([illegible]) जनपदों की सूची

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	उन्नाव	33.	बिजनौर
2.	रायबरेली	34.	बागेश्वर
3.	कानपुर देहात	35.	पिथौरागढ़
4.	फर्रुखाबाद	36.	चम्पावत
5.	कन्नौज	37.	उत्तरकाशी
6.	मैनपुरी	38.	टिहरी
7.	एटा	39.	रामपुर
8.	आगरा	40.	बाराबंकी
9.	मथुरा	41.	बहराइच
10.	मेरठ	42.	श्रावस्ती
11.	बागपत	43.	[illegible]
12.	बुलन्दशहर		
13.	गाजियाबाद		
14.	गौतमबुद्ध नगर		
15.	कुशीनगर		
16.	झांसी		
16.	जालौन		
18.	फैजाबाद		
19.	अम्बेडकर नगर		
20.	सुल्तानपुर		
21.	आजमगढ़		
22.	बलिया		
23.	मऊ		
24.	जौनपुर		
25.	गाजीपुर		
26.	मिर्जापुर		
27.	प्रतापगढ़		
28.	फतेहपुर		
29.	हमीरपुर		
30.	महोबा		
31.	मुजफ्फरनगर		
32.	हरिद्वार		

विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट

जनपद का नाम............

रिपोर्टिंग माह ....

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सामु0स्वा0 केन्द्रों में विकलांगों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त विकलांग प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रव्य दोष	दृष्टिदोष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	. वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल–कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	. क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? . क्या शौचालय स्वच्छ हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था / हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक / कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक / अभिभावक शिक्षक बैठक / कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों / टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास / गतिविधियां करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ–सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण / अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	• वेशभूषा, साफ सुथरी • संयत एवं मुस्कुराहट • प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, सामंजस्यता • शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	• स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। • शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। • उसकी बात / भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। • बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ/विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्याापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद/पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं? • पुस्तकालय की पुंस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास कराके जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

NIEPA DC
D11488

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	क्या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?

कुल अंक	:	50
श्रेणीकरण	:	

अंक	श्रेणी
41-50	अ (A)
26-40	ब (B)
16-25	स (C)
0-15	द (D)

Month wise categories provided to the school

	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May
NPRC-C											
BRC-C											
SDI, ABSA											
BSA											
DIET											
Others											
Total											

...onal
...istration,
D- 11488
Date 09-07-2002